लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

Preservation
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

१२ मार्च, १९६४/२२ फाल्गुन, १८८५(शक) का शुद्धि-पत्र

१ पृष्ठ १८७७, अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० : श्री विश्राम प्रसाद का नाम भी पढ़िये ।

२. पृष्ठ १८८९, अतारांकित प्रश्न संख्या ११११ : शीर्षक में 'दरदामों' के स्थान पर 'दामोदर' पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 24—शुक्रवार, १२ मार्च १९६४, २२ फाल्गुन, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१८३३—६३
	***तारांकित**	
	प्रश्न संख्या	
५४३	जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन . . .	१८३३—३५
५४६	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी	१८३५—३८
५४७	फेफड़े का कैंसर . . .	१८३८—४३
५४८	योग अनुसंधान मंत्रणा समिति . .	१८४३—४६
५४९	विदेशी सहायता का उपयोग	१८४६—४८
५५०	तीसरी योजना में निर्धारित रकमें .	१८४८—५२
५५१	आनन्दग्राम, नई दिल्ली में कुष्ठ रोगी .	१८५२—५४
५५३	गोहाटी में विद्युत जनन संयंत्र . . .	१८५४—५५
	अल्प सूचना	
	प्रश्न संख्या	
८	पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों का पुनर्वास .	१८५५—६३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१८६३—९६
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
५४२	पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान समिति और राजेन्द्र संस्थान	१८६३—६४
५४४	सुवर्ण रेखा नदी के पानी का उपयोग .	१८६४
५४५	विषाणु "देन्गु" ज्वर .	१८६४—६५
५५२	कोलम्बो योजना समीक्षा .	१८६५
५५४	फर्मों की तलाशी	१८६५—६६
५५५	परिवहन आयोग . .	१८६६
५५६	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	१८६६
५५७	दिल्ली के गांवों में बिजली का लगाया जाना	१८६६—६७
५५८	मूल उद्योगों को बढ़ाना	१८६७

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 24 THURSDAY, MARCH 12, 1964/PHALGUNA 22, 1885 (SAKA)

Oral Answers to Questions		1833—63
*Starred Question Nos.	Subject	PAGE
543	L. I. C. Investments . . .	1833—35
546	Searches made by Customs Authorities	1835—38
547	Lung Cancer	1838—43
548	Yoga Research Advisory Committee	1843—46
549	Utilisation of Foreign Aid	1846—48
550	Third Plan Allocations	1848—52
551	Leprosy Patients and Anandgram, New Delhi	1852—54
553	Generating Units at Gauhati . . .	1854—55
*Short Notice Question No.		
8	Rehabilitation of Migrants from East Pakistan	1855—63
Written Answers to Questions—		1863—96
*Starred Question Nos.		
542	Rajendra Memorial Research Society and Rajendra Institute at Patna	1863—64
544	Harnessing of Subarnarekha River . .	1864
545	Virus of 'Dengue' Fever	1864—65
552	Colombo Plan Review	1865
554	Searches in Firms . .	1865—66
555	Transport Commission . .	1866
556	All India Institute of Medical Sciences . .	1866
557	Electrification of Villages in Delhi . .	1866—67
558	Boosting of Key Industries	1867

*The sign × marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५५९	परिवार नियोजन . . .	१८६८
५६०	"आवास सहकारी समितियों" का कार्यकारी दल .	१८६८—६९
५६१	दिल्ली के लिए वित्त निगम .	१८६९
५६२	अमरीका से ऋण .	१८६९—७०
५६३	नया मेडिकल कालिज .	१८७०
५६४	सिन्धु आयोग .	१८७०—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०७६	विषाणु संक्रमण	१८७१
१०७७	स्वास्थ्य मंत्रालय में समिति	१८७१
१०७८	अशोक होटल . . .	१८७१
१०७९	पेन्शन के लिये आवेदन पत्र	१८७२
१०८०	नजफगढ़ कस्बा	१८७२
१०८१	भारत में लोगोपेडिक इंस्टीटयूट . . .	१८७२
१०८२	मैसूर राज्य में परिवार नियोजन .	१८७२—७४
१०८३	मैसूर में फाइलेरिया का उन्मूलन . .	१८७४
१०८४	मैसूर राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .	१८७४
१०८५	उड़ीसा में विद्युत और सिंचाई योजनायें . .	१८७५
१०८६	उड़ीसा में परिवार नियोजन . .	१८७५
१०८७	उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें	१८७५
१०८८	उड़ीसा में परिवार नियोजन क्लिनिक	१८७६
१०८९	श्रीनिवासपुरी, दिल्ली में पानी की दरें . . .	१८७६—७७
१०९०	केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरियों की इमारतें .	१८७७—७८
१०९१	हैजे के कारण मृत्यु .	१८७८—८०
१०९२	भारत में अन्धे व्यक्ति	१८८०
१०९३	विद्युत परियोजनायें	१८८०
१०९४	दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान .	१८८१
१०९५	आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान .	१८८१
१०९६	सरकारी उपक्रम . . .	१८८१—८२
१०९७	गानिया और इन्द्रावती परियोजनायें .	१८८२

Written Answers & Questions—*contd.*

Starred Questions No.	Subjects	PAGE
559	Family Planning	1868
560	Working Group on "Housing Cooperatives"	1868—69
561	Finance Corporation for Delhi	1869
562	Loan from U.S.A.	1869—70
563	New Medical Colleges	1870
564	Indus Commission	1870—71
Unstarred Questions Nos.		
1076	Virus Infection	1871
1077	Committee in Ministry of Heal h	1871
1078	Ashoka Hotels	1871
1079	Applications for Pensions	1872
1080	Najafgarh Town	1872
1081	Logopedic Institute in Delhi	1872
1082	Family Planning in Mysore State	1872—74
1083	Eradication of Filaria in Mysore	1874
1084	Primary Health Centres in Mysore State	1874
1085	Power and Irrigation Schemes in Orissa	1875
1086	Family Planning in Orissa	1875
1087	Research Schemes in Orissa	1876
1088	Family Planning Clinics in Orissa	1876
1089	Water Charges in Srinivaspuri, Delhi	1876—77
1090	C.G.H.S. Dispensary Buildings	1877—78
1091	Deaths due to Cholera	1878—80
1092	Blind people in India	1880
1093	Power Projects	1880
1094	Houses for slum-dwellers in Delhi	1881
1095	Ayurvedic Research institutes	1881
1096	Public Undertakings	1881—82
1097	Gania and Indravati Projects	1882

प्रश्नों के लिखित उत्तर —जारी	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०९८	घरेलू ईंधन की खपत . .	१८८२—८३
१०९९	"पालम हवाई अड्डे पर सामान की निकासी" . .	१८८३
११००	पोंग बांध और सतलुज व्यास को मिलाने वाली नहर परियोजना	१८८३—८४
११०१	विदेशी जहाजों से बरामद किया गया सोना . .	१८८४
११०२	कृषि पुनर्वित्त निगम . . .	१८८४
११०३	पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .	१८८४—८५
११०४	पंजाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनायें	१८८५
११०५	पंजाब में होम्योपैथिक चिकित्सालय	१८८५—८६
११०६	परिवार नियोजन . .	१८८६
११०७	जम्मू तथा काश्मीर को सहायता .	१८८६
११०८	कुष्ठ रोग	१८८६—८७
११०९	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली	१८८७
१११०	दिल्ली के स्कूलों में चेचक के टीके . .	१८८७—८८
१११९	दामोदर घाटी निगम . . .	१८८९—९०
१११२	पलाई सेंट्रल बैंक (समापन)	१८९०
१११३	कार से बरामद किये गये पटाखे . .	१८९०—९१
१११४	आसाम में लोहे की नालीदार चादरों की कमी .	१८९१
१११५	बिजली का अनधिकृत प्रयोग .	१८९१
१११६	पंजाब में आयकर का निर्धारण .	१८९१
१११७	तम्बाकू की अनधिकृत खेती	१८९२
१११८	नोटों की नई श्रृंखला	१८९२
१११९	मनीपुर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये सीटों का रिजर्वेशन .	१८९२—९३
११२०	मनीपुर का विकास	१८९३
११२१	दिल्ली में मकान बनाने वालों के लिये सुविधायें . .	१८९३—९४
११२२	केरल में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम . . .	१८९४
११२३	केरल में कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना . . .	१८९५—९६
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१८९७—९९
	जम्मू क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८९९—१९००

Written Answers to Questions

Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
1098	Domestic Fuel Consumption	1882—83
1099	Clearance of Luggage at Palam Airport . .	1883
1100	Pong Dam and Sutlej Beas Link Project . . .	1883—84
1101	Gold seized from Foreign Vessel	1883
1102	Agricultural Refinance Corporation . . .	1883
1103	Primary Health Centres in Punjab	1883—85
1104	Centrally Sponsored Health Schemes in Punjab .	1885
1105	Homoeopathic Hospitals in Punjab	1885—86
1106	Family Planning	1886
1107	Assistance to J. & K.	1886
1108	Leprosy	1886—87
1109	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi .	1887
1110	Vaccination in Delhi Schools	1887—88
1111	D.V.C.	1889—90
1112	Palai Central Bank	1890
1113	Crackers Recovered from Car	1890—91
1114	Shortage of C. I. Sheets in Assam	1891
1115	Unauthorised use of Power	1891
1116	Income Tax Assessment in Punjab	1891
1117	Unauthorised Cultivation of Tobacco . . .	1892
1118	New Series of Currency Notes	1892
1119	Reservation of Seats for Medical Courses for Manipur .	1892—93
1120	Development of Manipur	1893
1121	Facilities for House Builders in Delhi. . . .	1893—94
1122	Malaria Eradication Programme in Kerala . . .	1894
1123	Leprosy Central Scheme in Kerala	1895—96
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .		1897—99
Firing by Pakistani troops at Indian posts in Jammu area . .		
apers laid on the Table		1899—1900

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	
शिक्षा मंत्रालय	१९००—२१
श्री बैरो	१९००—०१
श्रीमती रेणुका राय . . .	१९०१—०३
श्री त्यागी	१९०३—०४
श्री विश्राम प्रसाद	१९०४—०५
श्री अ० त्रि० शर्मा	१९०५—०६
श्री धुलेश्वर मीना . .	१९०७
श्री ही० ना० मुकर्जी	१९०७—०९
श्रीमती यशोदा रेड्डी .	१९०९—१०
श्री प्र० के० देव	१९१०—११
श्री मजीठिया . . .	१९११—१२
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	१९१२—१३
श्री कन्डप्पन	१९१३—१४
श्री श्याम लाल सर्राफ	१९१४—१५
श्रीमती कमला चौधरी	१९१५
श्री किशन पटनायक . . .	१९१५—१६
श्री म० क० चागला	१९१६—२१

Subject	Pages
Demands for grants	
Ministry of Education	1900—21
Shri Barrow	1900—01
Shrimati Renuka Ray	1901—03
Shri Tyagi	1903—04
Shri Vishram Prasad	1904—05
Shri A. T. Sarma	1905—06
Shri Dhuleshwar Meena	1907
Shri H. N. Mukerjee	1907—09
Shrimati Yashoda Reddy	1909—10
Shri P. K. Deo	1910—11
Shri Majithia	1911—12
Shri Prakash Vir Shastri	1912—13
Shri S. Kandappan	1913—14
Shri Sham Lal Saraf	1914—15
Shrimati Kamla Chaudhuri	1915
Shri Kishen Pattnayak	1915—16
Shri M. C. Chagla	1916—21

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस में अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and constains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, १२ मार्च, १९६४/२२ फाल्गुन, १८८५ (शक)
Thursday, March 12, 1964/Phalgvna 22, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven cf the clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

+

*५४३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को अपनी पूंजी सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में विनियोजित करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना विनियोजन किया गया और उस पर कुल कितना लाभ हुआ ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुरःस्थापित में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० —२५२५/६४]**

Shri Yashpal Singh : What is the ratio between the investments in private and public sector ?

Shri B. R. Bhagat : It is given in the statement that the investment in the private sector is Rs. 121 crores. The total investment is Rs. 623 crores. Thus it comes to about 20 per cent. Some investment has also been made in the cooperative sector,which you may call private, and it comes to about one-fourth.

Shri Yashpal Singh : Has the L.I.C. ever shown how much it is investing in the film line ?

Shri B.R. Bhagat : The L.I.C. does not invest in cinemas etc. The Film Finance Corporation is meant for this purpose.

श्री शशि रंजन : क्या इन विनियोजनों के बारे में निर्णय कोई निकाय करता है अथवा कोई एक व्यक्ति और यदि कोई निकाय करता है तो उसके सदस्यों के क्या नाम हैं और यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका क्या नाम है ?

श्री ब० रा० भगत : यह निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। यह कार्य जीवन बीमा निगम बोर्ड की विनियोजन समिति करती है।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री जी, यदि अब नहीं तो बाद में, ब्यौरे सहित यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों में, विशेष रूप से अखबारी कागज उद्योग में, कितना विनियोजन किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : उसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इस बारे में एक विवरण रखने का कष्ट करें। श्री दुबे।

श्री रा० गि० दुबे : वित्त मंत्री जी के इस आशय के वक्तव्य को देखते हुए कि मजूरी, खपत आदि में समन्वय स्थापित किया जायेगा, क्या विनियोजन नीति के बारे में जीवन बीमा निगम को कोई विशिष्ट निदेश दिया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : किसी निदेश की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः, जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति बीमा अधिनियम की धारा २७-क तथा संसद् द्वारा स्वीकृत नीति पर आधारित है। वित्त मंत्री जी द्वारा जो नीति सम्बन्धी घोषणा की गई है, वह इससे भिन्न नहीं है।

श्री दे० जी० नायक : सहकारी क्षेत्र में केवल ३.३ प्रतिशत विनियोजन क्यों किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक नया क्षेत्र है जिसमें जीवन बीमा निगम की अभिरुचि है। यद्यपि यह क्षेत्र आज सीमित है परन्तु इसका विकास होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, विशेषकर राज्य विद्युत् बोर्डों में, जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया विनियोजन उत्साहवर्धक नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री टि० त० कृष्णमाचारी) : हम माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस समय हमारे सामने वे तथ्य नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि क्या इस क्षेत्र में किया गया विनियोजन निराशाजनक है। परन्तु मैं एक बात कह दूं कि जब तक इन उपक्रमों द्वारा अधिक ब्याज देने वाले नये अंश न जारी किये जायें तब तक लगाये गये धन पर जो इस समय आय होती है उसके देखते हुए जीवन बीमा निगम और धन नहीं लगा सकता।

श्री कपूर सिंह : गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये इसी प्रकार के विनियोजनों की तुलना में जीवन बीमा निगम के विनियोजनों पर प्राप्त होने वाले लाभ की क्या प्रतिशतता है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये। परन्तु जीवन बीमा निगम प्रत्येक मामले की जांच करता है और तभी विनियोजन करता है जब कि उस पर अच्छी आय मिले।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या कुछ चुने हुए उद्योगों में ही विनियोजन किया जाता है ? यदि हां तो वे कौन से मुख्य उद्योग हैं जिन में अधिकतर यह विनियोजन किया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : जीवन बीमा निगम इस बारे में योजना की पूर्ववर्तिताओं के अनुसार चलता है। जीवन बीमा निगम उन उद्योगों में अधिक विनियोजन करता है जिन को उच्चतर पूर्ववर्तिता प्राप्त है। निगम समवाय की आय तथा लाभदेयता को ध्यान में रख कर पूंजी लगाता है क्योंकि यह बीमाधारियों का ही धन है जिसका कि निगम न्यासी है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी

***५४६. श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के कम मूल्य के और आयात के ज्यादा मूल्य के बीजक बनाने के सन्देह पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने जिन व्यापारिक संस्थाओं की इमारतों की तलाशी ली थी क्या उनके विरुद्ध जांच पड़ताल या अदालती कार्रवाई पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख). जांच पड़ताल अभी जारी है। कुछ मामलों में "कारण दिखाओ" नोटिस जारी किये गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय उपमंत्री ने कहा कि जांच पड़ताल चल रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि जांच कौन कर रहा है, जांच कहां तक हो चुकी है तथा अन्तर्ग्रस्त व्यापारिक संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १८ फर्म हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : व्यापारिक संस्थायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १८ व्यापारिक संस्थाओं के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच विभिन्न प्रक्रमों में है--कुछ में अदालती कार्यवाही चल रही है तथा कुछ में अभी जांच ही चल रही है--तथा सीमा शुल्क अधिकारी आवश्यकतानुसार इस जांच पड़ताल के हेतु विभिन्न प्राधिकारियों से अनेक प्रकार की सहायता लेते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, व्यापारिक संस्थाओं के नाम नहीं बताये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे नाम बताये जा सकते हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमन्, १८ नाम हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको पढ़ने का कष्ट करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमन्, क्या जांच के दौरान नाम बताना मेरे लिये उचित होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। या तो वे यह कहें कि नाम बताना लोक हित में नहीं है या फिर नाम बतायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : नाम इस प्रकार हैं :

१. मेसर्स अलेक्सी लुकास एंड कं०।

२. मेसर्स जानकीदास रामगोपाल।

३. मेसर्स एम० डी० भूला एंड कं०।

४. मेसर्स ईस्ट इंडिया कामर्शियल कं० (प्रा०) लि०।

५. मेसर्स इस्टर्न इंडस्ट्रीज़।

६. मेसर्स जय हिन्द सप्लाई कं० (प्रा०) लि०।

७. मेसर्स बर्ड एंड कं०।

८. मेसर्स बुंगे एंड कं०।

९. मेसर्स सेठिया एंड कं०।

१०. मेसर्स इस्कोडा एंड कं०।

११. मेसर्स इंडिया रिफ्रैक्टरीज़ लि०।

१२. मेसर्स अच्छूराम सोहनलाल।

१३. मेसर्स खान एंड सन्स।

१४. मेसर्स मोहनलाल एंड कं०।

१५. मेसर्स आर० आर० एंड कं०।

१६. मेसर्स हरसुखलाल लक्ष्मीचंद।

१७. मेसर्स साज़ एंड कं०।

१८. मेसर्स जैन एंड कं०।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस आशय के कुछ समाचारों का कोई आधार है कि कुछ मंत्रियों तथा अधिकारियों पर इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है कि वे कार्यवाही में विलम्ब करें अथवा कुछ मामलों को बिल्कुल दबा दें ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ना० कृष्णमाचारी) : श्रीमान् जी, इस विभाग से जिसका वस्तुत: सम्बन्ध है वह मैं ही हूं तथा मुझ पर इस प्रकार से दबाव नहीं डाला जा रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether these firms have been prosecuted under the Defence of India Rules or under some other law ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The Customs authorities are empowered to make investigations against them. They can seize the goods, make an enquiry about it and take in possession the relevant documents. They take help from various authorities for the purpose such as State Governments and Special Police Establishment.

Mr. Speaker : Is all this being done under the Defence of India Rules ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : They are empowered to go through the documents under the Customs Rules.

श्री शशिरंजन : १ मई से १० अगस्त के दौरान जिन १८ व्यापारिक संस्थाओं के विरुद्ध जांच पड़ताल की गई है उनके नाम माननीय मंत्री जी ने बता दिये हैं। क्या इसके बाद भी कुछ जांच पड़ताल की गई है और इन १८ समवायों के साथ साथ कुछ और समवायों की भी सूची तैयार की गई है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ५ मार्च को माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जहां तक बर्ड एंड कं० का सम्बन्ध है, कुछ अदालती कार्यवाही चल रही है। अब फिर यह बताया गया है कि और जांच पड़ताल की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि किस मामले के बारे में अदालती कार्यवाही चल रही है तथा क्या बर्ड एण्ड कम्पनी से सम्बंधित किसी विशेष मामले पर जांच की जा रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह कुछ ऐसा चार्ज है जिसको हम यहां नहीं करते हैं। कुल मामले लगभग २००० हैं। जो नाम बताये गये हैं वे उन फर्मों के हैं जिनकी तलाशी ली गई है। लगभग २,००० आदमियों को पकड़ा गया है तथा अदालती कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी के लिये एक मास में लगभग २०० मामलों का ही निपटारा करना संभव है। हम उस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि मामले शीघ्रता-पूर्वक निबटाये जा सकें। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बर्ड एन्ड कं० को कुछ मामलों के बारे में एक "कारण दिखाओ" नोटिस जारी कर दिया गया है। एक न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ताकि जो अधिकारी जांच का काम कर रहा है वह यह काम न करे। प्रकाश में आये कुछ अन्य तथ्यों के बारे मे जांच पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि कि इन के बारे मे "कारण दिखाओ" नोटिस जारी करने पड़े। मैं ब्यौरा देने में असमर्थ हूं। यह मामला सीधा मुझ से सम्बन्ध नहीं रखता है। जांच समाप्त हो जाने पर अथवा जांच के किसी विशेष प्रक्रम में होने पर मुझे रिपोर्ट प्राप्त होती हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री जी ने बड़े पैमाने पर होने वाले इस कदाचार को बंद करने के लिये किसी कार्य प्रणाली के बारे में विचार किया है और क्या इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये वे कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि मैं यह कहूं कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं तो मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात से अप्रसन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार की गलत बातों का पता लगाने के लिये प्रक्रियाओं निर्धारित हैं। यह कार्य अधिकारी करते हैं। यह पुलिस का कार्य है। यदि माननीय सदस्य किसी ऐसी पुलिस का सुझाव दे सकते हैं जो अपराधों को जड़ से कर दे, तो वही पुलिस इस बुराई को भी दूर कर सकती है। कुछ को हम पकड़ लेते हैं तथा कुछ बच जाते हैं। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल अधिकांशत: अनौपचारिक अथवा संयोगवश प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है।

श्री सिंहासन सिंह : क्या ये व्यक्ति माल का निर्यात तथा आयात करते समय सीमा शुल्क अधिकारियों की पकड़ मे आने से अपने को बचाने मे सफल हो गये थे तथा बाद में अधिकारियों ने कुछ सूचना मिलने पर इनके स्थानों की तलाशियां लीं जिस में इन अनियमितताओं का पता चला और उसके बाद जांच पड़ताल की गई ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामले मे मंत्री जी से विस्तृत जानकारी की आशा कैसे की जा सकती है ? मेरे विचार से वे इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

Shri Ram Sewak Yadav : How much amount is involved in the under-invoicing of exports and over-invoicing of imports?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : I do not have this information at present. However, if I get it I would pass this on to the hon. Member.

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि भारतियों के सहयोग से कुछ विदेशी व्यापारिक संस्थायें कम तथा अधिक बीजक बनाने के इस कदाचार में लगी हुई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में इन विदेशी व्यापारिक संस्थाओं के कार्यकरण पर और अधिक दृष्टि रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक बिल्कुल भिन्न बात है ।

श्री प्र० क० देव : इस बात का पता लगाने के लिये कि विदेशों में किये जाने वाले विभिन्न सौदों के बीजक बिल्कुल ठीक बनाये जाते हैं या नहीं, अपनी वाणिज्यिक गुप्तचर सेवा को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उन मामलों से सम्बन्ध रखता है जिन में तलाशियां ली गई हैं ।

Shri Kachhavaiya : Is the investigation being made by Customs authorities alone or some special Offices of the Centre is also associated with it? How long would to take to complete the investigation?

Shrimati Tarkashwari Sinha : We have recently appointed Director of Inspection, an Officer of the Centre as an adjudicator in the case of Bird&Co. We make such appointments whenever necessary. But in this case the investigations are being conducted by the Customs authorities only.

Shri Kachhavaiya : My question about the date by which the investigations would be completed has not been answered.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The time cannot be laid down.

Lung Cancer

\+

Shri M. L. Dwivedi :
Shri Harish Chandra Mathur :
Shri A. N. Vidyalankar :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri P. R. Chakraverti :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Anjanappa :

*547. **Shri Rameshwar Tantia :**
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri J. B. S. Bist :
Shri Kajrolkar :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Mohan Swarup :
Shri D. J. Naik :
Shri J. N. Hazarika :
Shri D. D. Mantri :
Shri Bihuti Mishra :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the report of Blue-Ribbon Federal Panel of the U.S.A. published on the 11th January, 1964 in Washington, wherain it is mentioned that cigarette smoking is the major cause of lung cancer and other diseases causing early death;

(b) whether Government propose to benefit from the conclusions arrived at in the Report; and

(c) if so, what measures Government are contemplating to check the growing habit of cigarette/Bidi smoking?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju) : (a) The views expressed by the Blue-Ribbon Federal Panel of the U.S.A. as reported in the press have been duly noted by Government. Steps are being taken to obtain a copy of the report.

(b) The harmful effects of smoking are generally known to Government and the conclusions of the U.S.A. Panel are in the same direction. The matter will be further considered on receipt of the report.

(c) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Pleaced in the Library. See* No. LT-2516/64].

Shri M. L. Dwivedi : In view of the fact that the incidence of lung cancer is on the increase in this country and the Public Accounts Committee of England has mentioned in its report that cigarette causes lung cancer and reports of this kind have been received from other countries as well, why is it that the Government of India is not conducting research of its own?

डा० द० स० राजू : हम ने पहिले ही अनेक कदम उठाये हैं। हां, सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में जनता को अवगत कराया जाये। यद्यपि शिक्षित वर्ग धूम्रपान से होने वाली हानियों से भली भांति परिचित हैं। परन्तु फिर भी बहुत आदमी धूम्रपान करते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग पुस्तियकायें प्रकाशित करता है जिन में धूम्रपान के खतरनाक परिणामों के बारे मे सम्पूर्ण ब्यौरा दिया जाता है। इसके अलावा, डाक्टर और अस्पताल भी इस दिशा में प्रचार कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Apart from smoking cigarette and *biris*, people also smoke *hukka*. Does *hukka* smoking also cause lung cancer? What action is being taken by Government in regard to the recommendation of the Health Council that the States should take measures in this regard and why the report of the Council has not been published?

श्री द० स० राजू : हुक्का पीने से होने वाले परिणाम के बारे मे कोई निश्चित जांच नहीं की गई है । परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सिगरेट के मुकाबले पाइप के पीने से कम हानि होती है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह बहुत आश्चर्यजनक है कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में १९५३ मे जो सरकार ने कार्यवाही की थी वह दी गई है । क्या सरकार को मालूम है कि इन ११ वर्षो के दौरान संसार बहुत आगे बढ़ चुका है । हाल में ही अमरीका तथा ब्रिटेन में इस समस्या पर जो प्रकाश डाला गया है, उसको देखते हुए क्या सरकार ने इस बारे मे नये सिरे से कुछ सोच विचार किया है ? जनता को अवगत करने के अतिरिक्त , सरकार ने इस व्यसन को समाप्त करने के लिये क्या कोई प्रशासनीय अथवा वित्तीय कदम भी उठाये हैं ?

डा० द० स० राजू : क्या प्रश्न धूम्रपान के व्यसन के बारे में है अथवा कैंसर की सामान्य रोक थाम के बारे में ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न पटल पर रखे गये विवरण से सम्बन्ध रखता है जिसमें १९५३ में की गई कार्यवाही का हवाला है । सरकार ने १९५३ के बाद क्या कुछ किया है ?

डा० द० स० राजू : वही उपाय अभी तक जारी हैं।

श्री त्यागी : जब तक माननीय मंत्री जी की श्रीमती जी जीवत हैं, तब तक ही वे धूम्रपान की निन्दा कर सकते हैं। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सिखों को, जो कि धूम्रपान नहीं करते हैं, कैंसर नहीं होता है ? क्या सरकार का धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

डा० द० स० राजू : सिखों के बारे मे कोई विशेष जांच पड़ताल नहीं की गई है । परन्तु विश्व मत यह है कि धूम्रपान के साथ साथ कैंसर के रोग मे भी वृद्धि हो रही है . . . (अन्तर्बाधा) ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

इस तरीके से हम कार्य नहीं कर सकते ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : अमरीका के नोबल पुरस्कार विजेता रसायनज्ञ, डा० पौलाइन ने समाचारपत्रों नें यह विचार व्यक्त किये हैं कि एक सिगरेट किसी मनुष्य की आयु को १४ मिनट कम कर देती है । क्या भारत सरकार ने भारतीय दशाओं के अधीन यहां के रसायनज्ञों के द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन कराया है और क्या यह वक्तव्य हम पर भी लागू होता है अथवा नहीं ?

डा० द० स० राजू : कितनी आयु कम हो जाती है यह तो मैं नहीं जानता परन्तु इतना अवश्य है कि इससे आयु कम होती है । शरीर के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है । इससे "ग्रोरोनरी थींमबासिस', 'पेपटिक अल्सर', "कैंसर" तथा अन्य प्रकार के रोग पैदा पैदा हो जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : Two and a half hours should be allotted for a discussion on it.

Mr. Speaker : A separate notice would be required for that.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या डकोटा सेवाओं की भांति वाइकिंग फ्रेंडशिप तथा केरेवेल, वाइकाउन्ट और फ्रेंडशिप सेवाओं में और सिनेमाघरों आदि में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

डा० द० स० राजू : अधिकांश राज्यों में वैधिक उपबन्ध पहिले ही लागू हैं ।

Shri Gulshan : With a view to checking smoking which is on the increase in the country, have the Ministers and the Deputy Ministers at the Centre and in the States gained something by refraining from smoking and if so, the nature thereof?

डा० द० स० राजू : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने.....

श्री त्यागी : प्रधान मंत्री भी ।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : लोक लेखा समिति के सभापति भी..... **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । स्वामी रामेश्वरानन्द ।

Shri Rameshwaranand : Leaving a side the old people for whom it is difficult to give up smoking, does Government contemplate bringing forward any legislation to prevent the teachers and the students from smoking upto a certain age?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार का विचार कोई विधान बनाने का है ताकि बच्चे धूम्रपान न कर सकें ?

डा० द० स० राजू : जैसे मैंने पहिले बताया, जहां तक बच्चों द्वारा धूम्रपान का सम्बन्ध है, इस बारे में अधिकांश राज्यों में पहिले ही विधान मौजूद है ।

Shri Rameshwaranand : My question should be answered in Hindi.

Mr. Speaker : The hon. Deputy Minister said that so far as juvenile smoking is concerned legislation already exists in most of the States.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह सच है कि सिगरेट पर लिपटा कागज इसके तम्बाकू से अधिक हानिकारक है ?

डा० द० स० राजू : किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का विचार भी व्यक्त किया है ।

श्री इ० जी० नायक : बीड़ी तथा तम्बाकू व्यापारी कुछ मनमाने विज्ञापनों के द्वारा ग्रामीण तथा आदिम जाति क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं । क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस प्रकार के मनमाने मिथ्या प्रचार को बंद करने के लिये कोई कदम उठा रही हैं ?

डा० द० स० राजू : इस प्रकार के मिथ्या प्रचार को हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के तरीकों से निष्प्रभावी किया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri : Taking into consideration the harmful effects of smoking, the American Government has imposed restrictions on the advertisements of cigarettes etc. Does the Government of India also propose to impose similar restrictions in this country?

डा० द० स० राजू : मैं इस प्रश्न का अनेक बार उत्तर दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का विचार है ।

डा० द० स० राजू : इस दिशा में कानून बना हुआ है । सार्वजनिक स्थानों जैसा कि सिनेमा, बसें, स्कूल आदि में धूम्रपान करना मना है । राज्य सरकारें कार्यवाही कर सकती है ।

Shri Rameshwaranand : Is the Centre not empowered to see that such types of beneficial laws are properly implemented by the State Governments?

Mr. Speaker : Shri Reghunath Singh.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr Speaker, my question was different. The hon. Minister has not understood it.....

Mr. Speaker : I will give you an opportunity again.

Shri Raghunath Singh : Has any research been made to find out whether chewing tobacco also causes cancer, especially when taken with lime?

Mr. Speaker : The hon. Member is asking for expert opinion. Except for the hon. Minister, who happens to be a doctor, it may be difficult for some other person to answer such questions.

डा० द० स० राजू : खाने का तम्बाकू ओठों तथा जीभ के लिये खतरनाक होता है । तम्बाकू खाने वालों को प्रायः मुंह का कैंसर हो जाता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : My question was very clear. Unfortunately the hon. Minister has not understood it. My question was : whether like the American Government, the Government of India is also conemplating to impose ban on the indiscriminate advertisement of cigarettes, *biries* etc.

डा० द० स० राजू : सरकार का इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : तम्बाकू से राष्ट्र को होने वाली भयंकर हानि को देखते हुए, क्या सरकार का विचार तम्बाकू की खेती को बंद करने का है ?

डा० द० स० राजू : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह एक अधिक व्यापक प्रश्न है ।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that tobacco is such a dangerous thing, have Government ever considered to deal with this problem on war footing and like prohibition on liquor impose restrictions on the use of tobacco also?

अध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं ।

Shri Kachhavaiya : For the last few years, women have also started smoking in our country. Since smoking by women is a matter of disgrace, is Government going to take a stern step in this regard?

Mr. Speaker : What has the hon. Minister done to check it?

श्री ग्र० के० देव : यह सिद्ध हो गया है कि तम्बाकू के अलावा डीजल ट्रकों से आने वाला धुंआ भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है और इससे बहुत अधिक संख्या में लोग फेफड़े के कैंसर के शिकार होते है । यदि हां, तो इस चीज़ को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय सिगरेट के पीने सम्बन्धी बात पर विचार कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस बारे में कुछ पता लगाया है कि वयस्क तथा बच्चों के लिये धूम्रपान पर पाबन्दी लगाने के बारे में विभिन्न राज्यों में जो इस समय विभिन्न विधान हैं, वे इस दिशा में कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए है ? यदि हां, तो इस प्रकार के अध्ययनों से क्या पता चला है ? यदि अध्ययन नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया तथा क्या अब अध्ययन करने का विचार है ?

डा० द० स० राजू : मुझे इसका पता नहीं है कि कोई अध्ययन किया गया है अथवा नहीं । सामान्यतया, विधानों से काफी रोकथोम हो रही है । स्कूलों, सिनेमाओं तथा बसों में काफी हद तक धूम्रपान बंद हो गया है ।

योग अनुसंधान मंत्रणा समिति

+

५४८. **श्री हेम राज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग के चिकित्सा-विषयक पहलुओं के सम्बन्ध में योग अनुसन्धान मंत्रणा समिति की सिफारिशें अंतिम रूप से निर्धारित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसकी कौन कौन सी सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं ;

(ग) योग-चिकित्सा की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए बम्बई और दिल्ली की किन किन संस्थाओं को चुना गया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन संस्थाओं को अब तक क्या सहायता दी है अथवा वह क्या सहायता देने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (घ), सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

योग अनुसंधान मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि योग-चिकित्सा का वैज्ञानिक मूल्यांकन निम्नलिखित संस्थाओं में किया जाना चाहिये :–

१. आई० सी० वाई० स्वास्थ्य केन्द्र, कैवल्यधाम, ४३, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई ।

२. योग संस्था, सान्ता कूज, बम्बई ।

३. योग प्रसार समिति, नई दिल्ली ।

इन संस्थाओं में उपलब्ध उपकरण, कर्मचारी आदि की सुविधाओं का अनुमान लगाने के बाद अनुदान देने तथा अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा ।

ऊपर बताये योग संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करने के लिये दिल्ली तथा बम्बई के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इलैक्ट्रो ऐनसेफालोग्राफी[1] के बारे में अनुकरण करने तथा पुरानी 'ब्रांकाइटिस' तथा दमा के यौगिक उपचार के प्रभाव का पता लगाने के लिये कैवल्यधाम एस० एम० वाई० एम० समिति, लोनावाला को ३७,००० रुपया दिया गया है। चिकित्सा तथा व्याधिकी प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिये योग संस्था, सान्ता क्रूज बम्बई को १३,५०० रु० का अनुदान मंजूर किया गया है। योजना के ब्यौरों का हिसाब निकालने तथा उनके स्वीकृत हो जाने के बाद और अधिक अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री हेम राज : क्या योग प्रसार समिति, नई दिल्ली ने भी कोई योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो क्या उसको कोई अनुदान दिया गया है?

डा० द० स० राजू : एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री हेम राज : योग प्रसार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के चिकित्सा सम्बन्धी महत्व के मूल्यांकन के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जा रहा है।

डा० द० स० राजू : योग प्रसार समिति द्वारा लगभग ६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग कार्य किया जा रहा है और परिणामों की जांच की जा रही है।

श्री रा० गि दुबे : क्या किन्हीं रोगियों का योग-चिकिसा के द्वारा इलाज किया गया है और यदि हो तो क्या परिणाम निकला?

डा० द० स० राजू : योग चिकित्सा पद्धति एक बहुत अच्छी पद्धति है। इसमें मानसिक तथा शारीरिक संयम से काम लेना पड़ता है तथा इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। परन्तु इस पर कोई टिप्पणी करने से पहिले काफी समय तक इसके प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि मानव शरीर में होने वाले रोग के कारण के बारे में जो यौगिक दृष्टिकोण है उसमें तथा एलोपैथी के बैसीलिरी अथवा विरस सिद्धान्त में, जो कि आधुनिक चिकित्सा की तथाकथित वैज्ञानिक पद्धति है, बहुत अधिक अन्तर है। और यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कोई अनुसंधान किया जा रहा है क्योंकि इससे न केवल रोग के निदान पर बल्कि उसके उपचार पर भी प्रभाव पड़ सकता है?

डा० द० स० राजू : यौगिक चिकित्सा पद्धति तथा अन्य चिकित्सा पद्धति में एक प्रकार से कोई भी अन्तर नहीं है। यौगिक चिकित्सा उपचार का एक अंग है तथा यह पद्धति के बारे में समझने की दिशा में सहायता करती है। इससे दिमाग तथा शरीर को सन्तुलन मिलता है। यह एक बहुत अच्छा रोग निरोधक उपाय है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि योग अनुसंधान के नाम पर देश में अनेक बनावटी संगठन स्थापित हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग इनके चंगुल में फंस गए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मान्यता प्राप्त योग अनुसंधान संस्थाओं को प्रमाणपत्र देने का है?

[1]electro-enccephalogrophy

डा० द० स० राजू : इन समस्त अनुसंधान सस्थाओं पर हमारी निगरानी है।

Shri P. L. Barupal: I believe that so many diseases are cured by yogic exercises. Therefore, will the Government introduce compulsory Yogic education in schools and colleges?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : यौगिक क्रियाओं से होने वाले बहुत अधिक लाभों को देखते हुए क्या सरकार का यह विचार है कि एक केन्द्रीय योग संस्था की स्थापना की जाय, कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाय और उन व्यक्तियों को राज्यों को भेजा जाय ? क्या यह भी विचार है कि प्रत्येक राज्य में एक एक संस्था स्थापित कर दी जाए ?

डा० द० स० राजू : यह प्रश्न पहिले पूछे गए प्रश्न जैसा ही है। इन सब जांच पड़तालों के बाद इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

श्री त्यागी : मुख्य प्रश्न के भाग (घ) के प्रसंग में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा व्यक्त विचार के विपरीत दिल्ली की संस्था को सहायता दी गयी है और यदि हां, तो कितनी ? इस संस्था को रियायती दरों पर भूमि भी दी गई थी।

डा० द० स० राजू : जहां तक योग प्रसार समिति का संबंध है, मेरे विचार में अभी तक उसको कोई धन राशि नहीं दी गई है।

डा० पं० शा० देशमुख : क्या स्त्री व पुरुषों के लिए यौगिक क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं क्योंकि मैं देखता हूं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां योग की ओर कम आकर्षित होती हैं ?

डा० द० स० राजू : मेरे विचार से यौगिक क्रियाएं स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक होनी चाहियें। स्त्री व पुरुष की शरीर रचना में कोई अन्तर नहीं है।

डा० मा० श्री अणे : योग चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने लोनावाला स्थित प्रसिद्ध योग अकादमी से परामर्श किया है ?

डा० द० स० राजू : जी, हां। आई० सी० वाई० स्वास्थ्य केन्द्र, कैवल्यधाम लोनावाला संस्था से परामर्श लेता है।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that there is no promising man among the persons who have made Yogi research? Is it under the consideration of the Government to consult those M. Ps. who do Yogic exercises daily and who have received Yogic education?

अध्यक्ष महोदय : यह एग सुझाव है।

Shri Ram Sewak Yadav: Recently, *Mahamrityunjayaap* was done for the recovery of the Prime Minister. May I know, does it also come under the Yoga and if so, whether any study has been carried out about it also?

श्री रघुनाथ सिंह : यह एक बहुत अधिक व्यक्तिगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि श्री पतांजली के सिद्धान्तों के अनुसार जब तक मनुष्य के विचार तथा आचार में पूर्ण समन्वय न हो, तब तक रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता और यदि हां, तो सरकार धर्मनिरपेक्षता के आधार पर योग चिकित्सा को हिन्दू छात्रों से अलग करने के लिए क्या करने की सोच रही है ?

डा० द० स० राजू : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हू । (**अन्तर्बाधा**)

श्री कपूर सिंह : क्या मैं इसके दोहराऊ ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह मंत्री जी से मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Have the Ministry of Education tried to ascertain that in the name of Yoga several bogus institutions, as has been referred to by Shri Tyagi also are operating in our country and if so, do Government propose to impose a ban on such *Yoga Ashrams* who are bringing a bad name to Yoga ?

श्री द० स० राजू : हम बराबर बनावटी संस्थाओं पर निगाह रखते हैं। जब आवश्यक होता है तो कार्यवाही करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्री द० स० राजू : हम किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते। हम बनावटी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देते हैं।

श्री दलजीत सिंह : योग अनुसधान मंत्रणा समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

डा० द० स० राजू : इसका गठन इस प्रकार है :—

१. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय . .	सभापति
२. उपसचिव (पी० एच०), स्वास्थ्य मंत्रालय .	सदस्य
३. उप वित्तीय मंत्रणाकार (स्वास्थ्य) . . .	,,
४. डा० सी० जी० पंडित, निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद्	,,
५. डा० बी० के० आनन्द शरीर रचना प्राध्यापक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्था नई दिल्ली	,,
६. उपसचिव, शिक्षा मंत्रालय	,,
७. भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार, स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

विदेशी सहायता का उपयोग

+

*५४६. **श्री प्र० चं० वरुआ** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री २१ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न सख्या ११६ के उत्तर के संबंध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता के उपयोग के प्रश्न की छानबीन करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) समिति के प्रतिवेदन के इस महीने के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है। प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : चालू योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है, यदि कुछ किया गया है, तो और किन देशों ने सहायता प्रदान की है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इस मामले में निश्चित जानकारी ही देना चाहूंगी। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं ये आंकड़े बाद में दे सकती हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : किन देशों ने सहायता प्रदान की है तथा किस देश की सहायता का पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण हैं तथा क्या योजनावधि के शेष दो वर्षों के दौरान स्थिति में सुधार होने की कोई आशा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विभिन्न देशों से प्राप्त सहायता को उपयोग में लाने की दिशा में सामान्य रूप से प्रगति हुई है। अमरीका जर्मनी, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन सहायता दे रहे हैं। कुछ सहायता उपयोग में लाई जा चुकी है तथा कुछ शेष है। इसी कारण-वश इस समिति की नियुक्ति की गई थी।

श्री रामनाथ चेट्टियार : क्या इसे बात की कोई संभावना है कि विदेशों स प्राप्त धनराशियों का कुछ भाग चतुर्थ योजना के प्रारम्भिक काल में उपयोग में लाया जायेगा ? यदि हां, तो ऐसी कितनी राशि है जिसका उपयोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जहां तक प्राप्त सहायता का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इसका अधिक अंश चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उपयोग में लाये जाने के लिये नहीं रहेगा। परन्तु यह हो सकता है कि इस वर्ष तथा अगले वर्ष प्राप्त की जाने वाली राशि का कुछ अंश चतुर्थ योजना में प्रयोग में लाया जाय।

श्री अ० प्र० जैन : वस्तुत: किस प्रकार की कठिनाइयां अनुभव की गई थीं तथा समिति के निदश-पद क्या हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : समिति के निर्देशपद ये हैं कि वह उपयोग में न लाई गई सहायता के प्रश्न की जांच करेगी। क्या माननीय सदस्य का यह अर्थ है कि समिति को किसी निर्णय पर पहुंचने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री अ० प्र० जैन : विदेश समवाय का उपयोग करने में किस प्रकार की कठिनाइयां अनुभव की गई तथा समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक विदेशी सहायता के उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों का सम्बन्ध है, शर्तें भिन्न भिन्न हैं। कुछ सहायता के साथ शर्त लगी हुई है, इटली से प्राप्त सहायता के समान कुछ सहायता वाणिज्यिक उधार के रूप में है जिसका विशेष प्रयोजनों के अतिरिक्त और किन्हीं कार्यों में उपयोग करना कठिन है। अत: हम लोग कोई तरीका नहीं निकाल सकते जो कि सब मामलों में काम में आ सके। हम कुछ समय से इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं क्योंकि कुछ हद तक तो कुछ परियोजनाएं तैयार नहीं हैं परन्तु मैं कह सकता हूं कि तीन सप्ताह पहिले मैंने इस प्रश्न की जांच की थी तथा मुझे पता चला कि ८० प्रतिशत से अधिक का निष्पादन हो चुका है। करार की कुछ कमियों तथा ठीक प्रकार के माल के प्राप्त करने में कठिनाई के कारण ही कुछ बातों पर निष्पादन नहीं हो सका। फिर भी, समिति अपने तिवेदन में चाहे कुछ भी कहे मेरा विचार है कि पहिले की अपेक्षा गत ६ या ७ महीनों के दौरान धन के उपयोग करने के बारे में हम ने कहीं अधिक प्रगति की है।

Shri Tulshidas Yadav : There is a widespread feeling in the country that the Government of India are not able to fully utilize the aid received for plans from the foreign countries. Is it correct and if so, the reason therefor?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The hon. Minister has just stated that there are many reasons for it, *e.g.*, loans are meant for particular purpose, indigenous material is required for which arrangements are to be made etc. This Committee has been established for the purpose that the loans which have not been utilised so far may be utilised at the earliest.

तीसरी योजना में निर्धारित रकमें

\+

*५५०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों की योजनाओं के लिए आरंभ में निर्धारित रकमें कम करने का निश्चय किया है : और

(ख) क्या शेष अवधि में वर्तमान कमी के पूरा हो जाने की सम्भावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय मे उपमंत्री तथा योजना उपमत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the allocations made or fixed for different States have been utilised fully or will be utilised fully by the end of the Third Five Year Plan ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : तीसरी योजना में सहायता की राशि २,३७५ करोड़ पये निर्धारित की गई है और राज्यों ने चार वर्षों में, वर्तमान आधार पर, १,७८० करोड़

रुपया ले लिया होता, अर्थात् तीसरी योजना की सहायता की राशि का ७५ प्रतिशत। आठ राज्यों, अर्थात् आसाम, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और राजस्थान आदि ने सभी राज्यों के ७५ प्रतिशत से अधिक राशि ले ली है ?

Shri M.L. Dwivedi : What are the names of those States in which this assistance has not been utilised fully ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं इनको तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकता हूं :—

(१) वे राज्य जिन्होंने तीसरी योजना की अपनी केन्द्रीय सहायता का कम अनुपात में उपयोग किया है—आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

(२) वे राज्य जिन्होंने तीसरी योजना की अपनी केन्द्रीय सहायता का अधिक अनुपात में उपयोग किया है—आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर।

(३) वे राज्य जिनमें १९६१-६५ के दौरान तीसरी योजना की उनकी केन्द्रीय सहायता के उपयोग के अनुपात की उनकी तीसरी योजना में १९६१-६५ के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की लागत के बराबर होने की सम्भावना है—केरल।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री का उत्तर सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। राजस्थान ने अपनी २३६ करोड़ रुपये की योजना में कटौती करके उसे २०८ करोड़ रुपये का कर दिया है और अब उन्हें २०८ करोड़ रुपये के इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसके क्या कारण हैं और माननीय मंत्री का कथन तथ्यों के साथ कितना मेल खाता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं सहायता और उसके उपयोग के सम्बन्ध में केवल अलग-अलग आंकड़े ही बता सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह उपयोग का प्रश्न नहीं है। क्या आवंटन में कमी की गई है अथवा नहीं ? क्या मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात नहीं है कि निर्धारित रकम को २३६ करोड़ से घटा कर २०८ करोड़ रुपये का किया जा चुका है, और इस पर भी उनके साधनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस लक्ष्य को भी पूरा कर सकें ? क्या यह उन्हें ज्ञात नहीं है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह कटौती का प्रश्न नहीं है। जैसे ही आपातकाल प्रारम्भ हुआ तैसे ही कुछ मदों पर मितव्ययिता करने का विचार किया गया और वह सब बातें की गई। अन्यथा, मेरे पास अलग-अलग आंकड़े हैं जिन्हें कि मैं सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह सच है कि बिहार की राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिये ५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है और क्या केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने इस पर विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : योजना आयोग के पास देने के लिये अपनी कोई धन राशि नहीं है। वे केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो राशियां दी गई हैं उनको वे आवंटित कर दें। जब राज्य अतिरिक्त आवंटन की मांग करते हैं तो उस मामले की जांच की जाती है और केन्द्र के पास उसे देने के लिये संसाधन भी होने चाहिये, केवल तभी ऐसे मामलों में धन राशियां दी जायेंगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : बिहार सरकार की क्या मांग है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ये मांगें तो निरन्तर की जा रही हैं, सभी राज्य बच्चों की तरह से हैं और वे हर समय मांगें करते रहते हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय पूल में पर्याप्त धन होना चाहिये। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि धन की व्यवस्था करने में कितनी कठिनाई होती है और इसलिये जो धन एकत्रित किया गया है उसे समझदारी से व्यय किया जाना चाहिये।

श्री महेश्वर नायक : कुछ समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि योजना के निष्पादन के लिये कुछ राज्यों के आवंटनों के हाल ही में वृद्धि की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि अधिक धन के लिये संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : बढ़ाई हुई केन्द्रीय सहायता की राज्य-वार सूची मेरे पास है और मैं उसे सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : माननीय मंत्री ने कहा है कि अधिकाधिक धन की मांग करना सभी राज्यों के लिये एक फैशन जैसा हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनायें चल रही हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना, और उनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की राशि ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में ही लगभग समाप्त हो जाती है और इससे राज्य के विकास की उपेक्षा हो रही है। जब ऐसा मामला हो और जब कोई राज्य भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन की प्रार्थना करे तो क्या सरकार की प्रतिक्रिया भविष्य में पहले की प्रतिक्रिया से भिन्न होगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरी कठिनाई यह है कि मुझको धन आवंटन करने वाला कोई नहीं है.... (**अंतर्बाधायें**) धन आवंटित करने के लिये किसी के पास धन तो होना ही चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है कि राज्य सरकारें उनको आवंटित किये गये धन का उपयोग क्यों नहीं कर सकी हैं? यदि जानकारी और दक्षताप्राप्त कर्मचारियों आदि के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो क्या भारत सरकार सम्बन्धित राज्यों की सहायता करेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : योजना की निधियों का उपयोग करने और विकास को तीव्र करने के प्रश्न पर राज्यों और योजना आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है; हम मिल जुल कर कार्य करते हैं। यह एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वित्त विभाग और योजना आयोग इसकी देखरेख करते रहते हैं। राज्यों के साथ निरन्तर पत्रव्यवहार किया जा रहा है। अधिकतर पत्र मुझे राज्यों के मंत्रियों और

मुख्य मंत्रियों से प्राप्त होते हैं। यह कार्य यदाकदा अथवा ठहर ठहर कर नहीं किया जाता ; यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और हम राज्य सरकारों की मांगों को यथासम्भव पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मांग बड़ी होती है और वह वास्तव में उचित मांग भी होती है जैसे नागार्जुनसागर परियोजना की मांग जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यदि हम धन की व्यवस्था कर पाते हैं तो हम वहां पर कार्य की गति को तीव्र कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इससे निश्चय ही राष्ट्र का हित होगा। परन्तु अक्सर पर्याप्त वित्त और उपकरन की व्यवस्था करने के रूप में कुछ बाधायें हमारे मार्ग में आ खड़ी होती हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग दोनों ही राज्यों की सहायता करने के इच्छुक हैं ; परन्तु कभी कभी जो संसोधन उपलब्ध होते हैं वह हमारी निजी इच्छा के समानुपातिक अथवा बराबर नहीं होते कि हम इच्छानुसार इतना कर सकें।

श्री प० कुन्हन : धन की कमी के कारण केरल सरकार ने बड़ी सिंचाई योजनाओं के कार्य को बन्द कर दिया है। क्या चालू वर्ष में इन्होंने अतिरिक्त धन की मांग की है?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न काल में प्रत्येक राज्य के बारे में पृथक पृथक चर्चा की जायेगी तो सूची के प्रश्नों को पूरा कर सकना सम्भव नहीं होगा । वह इस प्रश्न को अलग से उठायें । श्री रंगा ।

श्री रंगा : क्या हम इस बात को ठीक समझ रहे हैं, अर्थात् यह कि योजना आयोग द्वारा किये गये तथा कथित आवंटनों को वित्त मंत्रालय के लिये दी गई सलाह के रूप में माना जाता है और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों अथवा किये जाने वाले आवंटनों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय अन्तिम निर्णय करता है और यह भी कि पंचवर्षीय योजना के बाहर की अन्य विभिन्न परियोजनाओं के उनके प्रस्तावित व्यय को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा ऋणों अथवा अनुदानों के लिये दी गई दलीलों की तुलना में विशिष्ट परियोजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रतिज्ञित मांगों को भारत सरकार अधिक अधिमान देती है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है वह इस प्रकार है: कार्यकारी दलों द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों की आवश्यकता की धनराशि का योजना आयोग अनुमान लगाता है । वे अस्थायी आवंटन कर देते हैं । फिर विकास परिषद की बैठक होती है और उसमें इन मामलों पर उसके सदस्य के साथ और विशेषरूप से सम्बन्धित मंत्रियों के साथ आगे चर्चा की जाती है । परन्तु राशि का निर्धारण और अन्तिम आवंटन योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है । वित्त मंत्रालय आवंटन सम्बन्धी ब्यौरों की जांच नहीं करती। मुख्य आवंटनों के मामले में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय निश्चय ही सहमत हो जाते हैं ।

समय-समय पर की जाने वाली विशेष मांगों के बारे में हम यह करते हैं कि योजना के बारे में राज्यों की प्रतिवर्ष की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाते हैं । परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परियोजना का कार्य लक्ष्य से अधिक हो जाता है अर्थात् अधिक शीघ्रता से हो जाता है और इसलिये उन्हें अधिक धन की आवश्यकता

होती है । कुछ मामलों में इसके विपरीत बात होती है लागतें अधिक हो जाती हैं और इससे परियोजना के कार्य की गति को तीव्र करने के कार्य में कठिनाई होती है । कभी कभी यह कठिन कार्य होता है ; किसी समय हम उन्हें कार्य की गति नष्ट करने के लिये कहते हैं ; परन्तु सामान्यतया हम ऐसा नहीं कहते । हम धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु बाहरी बातें भी मार्ग में आती हैं : अकाल, बाढ़, कमी की स्थितियां आ जाती हैं और अन्य भी ऐसी योजनायें आ जाती हैं जिन्हें अधिक शीघ्रता-पूर्वक सहायता देनी होती है ? इन मामलों में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग एकमत होकर कार्य करते हैं और एक दूसरे के प्रतिकूल भाव नहीं रखते । जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनसे हम राज्यों की मांगों को यथासम्भव पूरा करने का प्रयत्न करते हैं ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : राज्यों की योजनाओं की उच्चतम सीमाओं के अन्दर सीमित, संसाधनों के आवंटनों में जो परिवर्तन किये जाते हैं अथवा करने का प्रस्ताव होता है उनके बारे में केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग को सूचित करने के लिये क्या कोई निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की हुई है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि योजना के आवंटन में परिवर्तन करने के राजस्थान सरकार के इरादे अथवा निर्णय के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने जो एक आम बात कही है उसके बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की हुई है; उसके सम्बन्ध में कोई संहिता नहीं है । परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसमें व्यवहार रूप में योजनायें काफी संतोषजनक होती हैं । विशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में कठिनाई आती है । इससे आगे के प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मध्य प्रदेश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा अभ्यावेदन किया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आवंटनों के अतिरिक्त उन्हें और भी धन दिया जाये?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया है अतिरिक्त धन की मांग आये दिन की जाती रहती है । जब मैं जाकर अपनी डाक खोलता हूं तो मुझे विभिन्न राज्यों के प्रतीक चिह्न दिखाई देते हैं और उनमें मुख्य मंत्रियों और सम्बन्धित मंत्रियों के पत्र दिखलाई पड़ते हैं जो कि सभी मेरे मित्र हैं, और कभी-कभी वे टेलीफोन पर मुझे बुलाते हैं और कुछ कार्य करने के लिये कहते हैं । यह निरन्तर प्रक्रिया चल रही है । वास्तव में प्रत्येक राज्य को ही धन की आवश्यकता होती है और मध्य प्रदेश इसका कोई अपवाद नहीं है ।

आनन्द ग्राम, नई दिल्ली में कुष्ठ रोगी

+

*५५१. **श्री जेधे :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के कुछ विद्यार्थी दिल्ली के निकट आनन्दग्राम कालोनी

में कुष्ठ रोगियों के साथ इस उद्देश्य से रह रहे हैं कि कुष्ठ रोगियों को अस्पृश्य समझने की लोक-भावना को दूर किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता की इस गलतफहमी को दूर करने के लिये कोई क़दम उठाने का है ; और

(ग) पूर्णतः अथवा अंशतः रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों को फिर से बसाने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां । १४ विद्यार्थियों का एक दल, जिसमें १२ आस्ट्रेलिया के, १ फ्रांस का और १ जापान का विद्यार्थी था, १४ जनवरी को आया था और ३ फरवरी १९६४ को वापस चला गया ।

(ख) यह पहिले से ही किया जा रहा है । कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोगियों के लिये उनके गांवों में निवास स्थानीय और अस्थिर उपचार की जो व्यवस्था की गई है उससे लोगों में फैली कुष्ठ सम्बन्धी कुछ गलतफहमियों को दूर करने में बहुत सहायता मिली है ।

(ग) पूर्णतः अथवा अंशतः रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों को फिर से बसाने की योजना तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गई है ।

श्री जेधे : क्या विद्यार्थियों को चिकित्सा सम्बन्धी कुछ सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० द० स० राजू : सम्पूर्ण देश में ?

श्री जेध : जी हां ।

डा० द० स० राजू : हमारा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है और लगभग ३.५० रोगियों का निवास स्थानीय उपचार किया जा रहा है ।

श्री जेधे : क्या यह दल विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा था ?

डा० द० स० राजू : जी, नहीं, वे अपनी इच्छा से आये थे ।

डा० दे० जी नायक : क्या कुष्ठ नियंत्रण योजना के चलाये जाने के कारण कुष्ठ रोग के होने में घटोतरी हो रही है ?

डा० द० स० राजू : कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ; कृपरन्तु मैं समझता हूं यह अब कम हो रहा है ।

Shri Tulsidas Jadhav : Do Government try to give maximum possible domiciliary treatment to the leprosy patients instead of concentrating them at one place ?

डा० द० स० राजू : रोगियों का उनके घरों में ही उपचार करने के लिये हम निवासस्थानीय उपचार योजना का प्रसार कर रहे हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस समय कुछ स्थानों पर एकत्रित हुए कुष्ठ रोगियों को अलग-अलग स्थानों पर रखने और निवासस्थानीय उपचार को प्रारम्भ करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० द० स० राजू : ऐसा नहीं किया जायेगा । उन्हें वर्तमान शिविरों में ही रहना होगा और उन शिविरों में ही उपचार जारी रखा जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १६वीं शताब्दी के मध्य में नानक पंचम ने कुष्ठ रोगियों को शेष समाज से मिला कर रखने के सम्बन्ध में केवल व्यापक उपदेश ही नहीं दिये अपितु इसे व्यवहार रूप में भी किया और यदि हां, तो क्या जो समस्या आज सरकार के सामने खड़ी है उसे हल करने के लिये वे उस ऐतिहासिक उदाहरण का अनुसरण करेंगे ?

डा० द० स० राजू : जी हां, हम उसी बात को आपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : How much provision has been made in this Plan for Leprosy Control Programme and how much expenditure is incurred per year.

डा० द० स० राजू : तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये हमने ४२४.४० लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या ऋषिकेश में गंगा को जाने वाली सड़क पर रहने वाले कुष्ठ रोगियों का वहीं पर उपचार किया जा रहा है अथवा उन्हें कुष्ठ रोगियों के किसी आश्रम में रखा गया है ?

डा० द० स० राजू : कुष्ठ नियंत्रण सम्बन्धी स्थानीय इकाई द्वारा उनका उपचार किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैंने अपने माननीय मित्र श्री श्यामलाल सर्राफ की बात ठीक से सुनी है तो उन्होंने 'कोढ़ी' (लीपर) शब्द का प्रयोग किया है । मेरा विचार है कि सरकार तथा चिकित्सा जगत ने 'कोढ़ी' (लीपर) शब्द के स्थान पर 'कुष्ठ रोगी' (लेप्रोसी पेशेन्ट) शब्द अपना लिया है ।

डा० द० स० राजू : यह ठीक है ।

गोहाटी में विद्युत जनन[1] संयंत्र

*५५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोहाटी में दो विद्युत् जनन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को किस प्रकार चलाने का विचार है तथा इनके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गोहाटी में तीस मैगावाट वाला एक वाष्प तापीय संयंत्र और १२.५ मैगावाट वाले दो गैसटरबाइन सैटों को स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। एक संकटकालीन उपाय के रूप में केन्द्रीय आरक्षित पूल में से एक १२.५ मैगावाट वाला सैट गौहाटी में स्थापित किये जाने के लिये फिलहाल आसाम को दे दिया गया है।

[1]Generating.

(ख) ३० मैगावाट वाला सैट मट्टी वाले तेल से चलाया जायेगा और १२.५ मैगावाट वाले सैट हलके डीजल तेल से चलाये जायेंगे। आशा है कि केन्द्रीय पूल वाला सैट १९६४ के ग्रीष्मकाल में स्थापित कर दिया जायेगा।

यह आशा की जाती है कि ३० मैगावाट वाला सैट १९६६-६७ में चालू हो जायेगा और गैस टरबाइन सैट १९६५-६६ में।

श्री प्र० चं० बरुआ : उस क्षेत्र में बिजली की मांग से जितनी कम बिजली उपलब्ध है क्या वह कमी इन दो विद्युत् जनन संयंत्रों को स्थापित करने के पश्चात पूरी हो जायेगी और यदि नहीं तो इस कमी को पूरा करने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा० कु० ल० राव : आसाम की स्थिति अब पहिले से बहुत अच्छी है। इस समय वहां हमें ३३ मैगावाट बिजली मिल रही है परन्तु इस वर्ष के दौरान हमें ७९ मैगावाट बिजली और भी मिल जायेगी जिससे कि मिलने वाली बिजली का कुल योग ११२ मैगावाट हो जायेगा। इस प्रकार उस क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो जायेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विद्युत की कमी के कारण आसाम के औद्योगिक विकास की गति स्थिर है, यदि हां, तो क्या इन दो संयंत्रों से बनाई गई विद्युत केवल औद्योगिक विकास के लिये ही दी जायेगी अथवा आसाम में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये भी उपलब्ध हो सकेगी?

डा० कु० ल० राव : मैं प्रश्न को ठीक तरह नहीं समझ पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इन संयंत्रों से बनाई गई विद्युत औद्योगिक प्रयोजनों और घरेलू उपयोग दोनों ही के लिये पर्याप्त सिद्ध होगी।

डा० कु० ल० राव : ऐसी ही बात है।

श्री प्र० के० देव : क्या आसाम में पाई गई प्राकृतिक गैस को विद्युत-जनन के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई योजना चल रही है?

डा० कु० ल० राव : नाहरकटिया में ऐसा किया जा रहा है। हम २३ मैगावाट वाले तीन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जिनमें से दो इस वर्ष तैयार हो जायेंगे।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों का पुनर्वास

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८.

श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम राज :

क्या निर्माण, आवास, तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह हाल में आसाम की गारो पहाड़ियों में पूर्वी पाकिस्तान

2714 (Ai) LSD—3.

से आये शरणार्थियों को देखने गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने साम्प्रादायिक उन्माद के शिकार हुए इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य के मुख्य मंत्री से कोई चर्चा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो मुख्यतया क्या निष्कर्ष निकला ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग ७५,००० प्रव्रजक गारो पहाड़ियों में अब तक पहुंच चुके हैं। ऐसी आशा है कि ७०,००० से लेकर ८०,००० तक और प्रव्रजक व्यक्ति वहां पर अगले कुछ महीनों में आ जायेंगे, जिससे कि वहां प्रव्रजकों की कुल संख्या १,५०,००० हो जायेगी। यह निश्चय किया गया था कि स्थान की बचत करनी होगी जिससे कि नये प्रव्रजकों को स्थानीय जनसंख्या के बीच ही खपाया जा सके। भूमि संरक्षण तथा वनरोपण की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की गई थी तथा वे योजनायें मंजूर की गई थीं। यह भी निश्चय किया गया था कि अगले दो-तीन महीनों में राज्य सरकार विशेषज्ञों के एक बोर्ड की सहायता से और योजनायें तैयार करेगी जिनमें औद्योगिक विकास की योजनायें भी सम्मिलित होंगी।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए इन शरणार्थियों ने माननीय मंत्री से यह कहा है कि वे वापस नहीं जाना चाहते और इसी देश में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस नग्न सत्य को पाकिस्तान के सम्मुख प्रगट करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो कि इस समय हमारे विरुद्ध यह विषैला प्रचार कर रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को भारत में भाग आने का उत्तरदायित्व भारत पर है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना: प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है। केवल इतनी ही बात नहीं है, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि पाकिस्तान से भारत में जो ७५,००० दुर्भाग्यशाली प्रव्रजक आ चुके हैं उनके अतिरिक्त और भी ७०,००० से ८०,००० तक प्रव्रजकों के भारत में आने की आशा है। शरणार्थियों के साथ अपनी बातचीत से मुझे महसूस हुआ कि उनमें से एक ही वापस नहीं जाने वाला है। जहां तक इस नग्न सत्य को पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाने का सम्बन्ध है, पुनर्वास मंत्री के रूप में मैंने अपनी स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर दी है और इन परिस्थितियों में जो कुछ भी कहा जा सकता था वह मैंने कहा है।

श्री हेम बरुआ: क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक उन्माद के शिकार हुए, पाकिस्तानी गोलियों द्वारा छलनी किये गये, बुरी तरह मार कर गिराये गये और विकलांग हुए, इन अभागे शरणार्थियों के शिविरों को देखने के पश्चात माननीय मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है ; और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुनः विचार के परिणामस्वरूप हमारा आगे क्या रुख होगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना: यह नीति सम्बन्धी एक बड़ा प्रश्न है जिस पर मंत्रिमण्डल द्वारा चर्चा की जायेगी तथा इस प्रश्न पर प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये। परन्तु मैं

एक बात कह सकता हूं और वह इस प्रकार है। आसाम, पश्चिम बंगाल अथवा मध्य प्रदेश में मुझे जिन शरणार्थियों और अन्य लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था उन सबने यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मुसलमान भारत में अवैध रूप से घुस आये हैं—और जिनकी संख्या लाखों में हैं—उनको देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये और उन सभी पाकिस्तानी मुसलमानों को जो कि हमारे देश में नौकरियों पर लग गये हैं देश से बाहर चले जाने के लिये कहा जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : आसाम के मुख्य मंत्री के साथ तथा जो लाखों अभागे शरणार्थी भारत में आये हैं उनमें से कुछ के साथ बातचीत करके और उस क्षेत्र में अपने तीव्र पर्य-वेक्षण से भी क्या माननीय मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान से अथवा कम से कम सीमावर्ती जिलों से अल्पसंख्यकों हिन्दुओं और ईसाइयों को बाहर खदेड़ने का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम चला रखा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वयं अपने निजी संसाधनों से और भारत के बाहर के सहानुभूतिशील संगठनों के माध्यम से विदेशी संसाधनों की व्यवस्था करके इन शरणार्थियों को शरण देने और उन्हें पुनः बसाने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि बहुत शीघ्र ही वे लोग भारी संख्या में भारत आने वाले हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : गारो पहाड़ियों, रायपुर और दण्डकारण्य में अपने दौरे के दौरान मैं रहस्यपूर्ण बातों को न जान सका। इसलिये इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु शरणार्थियों से बाचचीत करके मेरा यह विचार बना है, जैसा कि मैं मूल प्रश्न के अपने उत्तर में बता चुका हूं कि और भी बहुत सारे शरणार्थी भारत आयेंगे।

श्री हरिविष्णु कामत : विदेशों से संसाधनों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या बात है ? क्या सरकार मित्र-भाव रखने वाली संस्थाओं से, जैसे कि ईसाई मिशन, संसाधनों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? कल समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि मंत्री महोदय ने कुछ ईसाई संस्थाओं के साथ बातचीत की है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्वाही के लिये एक सुझाव है।

श्री हरिविष्णु कामत : श्रीमन्, यह सुझाव नहीं है। क्या सरकार देश के और बाहरी देशों के संसाधनों की व्यवस्था करने के लिये तैयार है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : अभी तक हमारे सामने ९० लाख से एक करोड़ तक शरणार्थियों का पुनर्वास करने की समस्या आई थी और हमने अपने निजी राष्ट्रीय साधनों से इस पर कुछ करोड़ रुपये व्यय किये हैं। मैं नहीं समझता कि इस दौरान हमें विदेशों से कोई सहायता मिली है। यदि कोई सहायता दी जाती है, तो सर्वदा ही वह हमें स्वीकार्य है। कुछ ईसाई मिशनरियों के लोग मुझ से वहां पर मिले थे और वो मिशनरियों आस्ट्रेलिया और अमेरिका की थीं—दी सेवन्थ डे एडवेन्टिस्ट्स—और उन्होंने मुझसे कहा कि वे शरणार्थियों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने उन से कहा कि उन अभागे लोगों की वे जो कुछ भी सहायता कर सकते हैं वह स्वीकार की जायेगी। कल सायंकाल को भी बहुत सी मिशनरियों के लोग, पादरी और अन्य लोग मुझे से यहां दिल्ली में मिले थे और मैंने उनसे भी यही बात कही थी, अर्थात यह कि यदि वे लोग उन अभागे व्यक्तियों

की सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक थोड़े ही रहा है। परन्तु ६० लाख से १ करोड़ तक शरणार्थियों को फिर से बसाने में मामले में हमें अभी तक किसी भी बाहरी देश से कोई सहायता नहीं मिली है।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार को इसके लिये अपील करनी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग २ लाख शरणार्थी भारत में आ रहे हैं अथवा आ चुके हैं। क्या दण्डकारण्य में तथा अन्य स्थानों पर उन के लिये समुचित व्यवस्था की गई है और क्या, इस बीच, दण्डकारण्य के मार्ग में पड़ने वाले शिविरों में उचित प्रबन्ध किया जा रहा है ? मैं इस प्रश्नको माना शिविर के सम्बन्ध में समाचारों और लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए पूछ रहा हूं कि वहां पर शरणार्थियों की बहुत भीड़ भाड़ है और उनके लिये उचित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई जान पड़ती है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस समस्या को दो भागों में बांटना होगा—एक, तो उन लोगों की जो कि मेमन सिंह जिले से आसाम में आये हैं और दूसरे उन लोगों की जो कि या तो ढाका से अथवा पश्चिम बंगाल की खुली हुई सीमा अर्थात् बरिसल, फरीदपुर, खुलना और जैसोर जिलों से आ रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये हुए लोगों की संख्या लगभग ४८,००० से ५०,००० तक है । उन में से १५,००० को माना शिविर में ले जाया गया है जिसे कि हम ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के प्रशासी नियंत्रण में खोला है । तीन दिन पहले जब मैं माना शिविर में था तो मैं ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की बैठक में मैं ने प्रातः काल को भी उन के साथ बातचीत की थी और उन से यह कहा कि और अधिक शिविर खोलने होंगे क्योंकि माना शिविर में अधिक शरणार्थी इकट्ठे हो रहे हैं। माना शिविर में एक निश्चित संख्या में ही लोग रखे जा सकते हैं, उस से अधिक नहीं । इसलिये शिविरों के खोलने और शरणार्थियों का पुनर्वास करने दोनों ही कार्यों के लिये हम ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Keeping in view the internal security of Assam State and its future has the Minister of Rehabilitation also considered the desirability of sending the refugees to those States which have willingly extended help for their rehabilitation? This will also lessen the financial burden on the Assam State Government.

Shri Mehr Chand Khanna : I have had talks with several States. The Home Minister, the Minister of Finance and other Ministers were also present during these talks. Other States have shown keen sympathy in th s regard and they will make all possible endeavours towards this. So far as the expenditure is concerned, the Government of India had been and will continue to bear it.

श्री रंगा : क्या जिस ढंग में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो कि लगभग सयत्नजाति-विनाश के समान है, और जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के भरण-पोषण का भार हमारे ऊपर लाया जा रहा है उस सब की शिकायत करके इस भयावह संकट की ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का ध्यान दिलाया गया है ? दूसरे, क्या विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन को भी यह बात बताई गई है कि अपने विश्वव्यापी क्षुधा निवारण आन्दोलन से वे हमें कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : प्रश्न यह का प्रथम भाग वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये और दूसरा भाग खाद्य तथा कृषि मंत्री मंत्रालय से ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रडक्लिफ़ आयोग को दिये गये इस अभ्यावेदन के बारे में शरणार्थियों ने माननीय मंत्री से कुछ कहा था कि गारो पहाड़ियों के सीमावाले क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रधानतः आदिवासी लोग रहते हैं; यदि हां, तो क्या दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को मानते हुए, जिस पर कि पाकिस्तान तुला हुआ है, सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव बना रही है कि पाकिस्तान से यह मांग की जाय कि इस क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित कर दिया जाये ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर पुनः स्वीकारात्मक है । जब मैं इन शिविरों में गया था और शरणार्थियों से मिला था तो प्रमुख मिशनरियों में से एक ने मुझ जो अभ्यावेदन दिया था उसमें यह मांग की गई थी कि कुछ एक क्षेत्र को भारत को दिये जाने के लिये पाकिस्तान से कहा जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : गारोलैंड ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरा विचार है कि वह भूमि ८० मील लम्बी और ७ मील चौड़ी थी अथवा कुछ इस के लगभग थी---मुझे आंकड़े याद नहीं हैं । परन्तु इस प्रकार की एक प्रार्थना अवश्य ही मुझ से की गई थी ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : पिछली बार जब मैं गारो पहाड़ियों में गई थी तो उसी समय माननीय मंत्री भी गारो पहाड़ियों का दौरा कर रहे थे और शरणार्थियों ने मुझ से तथा माननीय मंत्री से भी यह कहा था कि वे लोग जिन स्थानों से गारो पहाड़ियों में आये हैं वे सीमावर्ती क्षेत्र से केवल ५ मील की दूरी पर हैं और यह कि कुछ और भी शरणार्थी अंधेरी रातों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि शुक्लपक्ष की चांदनी रातों में वे लोग पाकिस्तान में पुलिस के अत्याचारों के कारण सीमा पार नहीं कर सकते । अब जब कि कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातें हैं, तो कितने शरणार्थी सीमा पार कर के गारो पहाड़ियों में आये हैं और क्या माननीय मंत्री के गारो पहाड़ियों में दौरे के पश्चात् सरकार को पाकिस्तानी पुलिस के अत्याचारों के बारे में कोई और सूचना मिली है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : गारो पहाड़ियों में अपने दौरे के पश्चात् मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है ; परन्तु यह सच है कि अधिकांश शरणार्थियों ने मुझ से यह कहा था कि एक ओर तो पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र ने पाकिस्तान में उनका रहना बिलकुल दूभर कर दिया था । और दूसरी ओर यदि वे वहां से आते थे तो पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के लोग उन पर गोलियां चलाते थे और उन्हें मार डालते थे, और उनको भाग निकलने का अवसर तभी मिल पाता था जब कि या तो कृष्णपक्ष की अंधेरी रातें होती थी अथवा वर्षा हो रही होती थी । यह सच है कि इन अभागे लोगों ने मुझ से ऐसा कहा था ।

श्रीमती रेणुका बड़कटी : मैं यह जाना चाहती थी कि क्या कुछ और भी शरणार्थी आये हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे पास नवीनतम सूचना नहीं है, परन्तु जैसा कि मैंने अपने कथन में कहा है, कि मुझे यह सब बताया गया था । आसाम सरकार का भी यही दृष्टिकोण था अर्थात् यह कि ७०,००० से लेकर ८०,००० तक और शरणार्थियों के आने की संभावना है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मैं यह जान सकती हूं कि जिस समय माननीय मंत्री आसाम में थे तो क्या उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि उन शरणार्थियों में से कितनी युवा कुमारियों और युवा स्त्रियों का अपहरण किया गया था ? और यदि हां, तो उन्हें बचा निकालने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : पाकिस्तान में अपहृत की गई स्त्रियों के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं वहां एक अस्पताल में गया था और मैंने गोलियों से घायल हुए एक व्यक्ति को वहां पर पड़े देखा जिस ने मुझे यह बताया कि वे लोग उसकी युवा पुत्री का अपहरण कर रहे थे और इसलिये उसे उन से लड़ना पड़ा तथा उसे गोलियों के घाव आये। उस अस्पताल में मैंने एक महिला मां पड़ी देखी जिस के एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, पिता मार डाला गया था । और दूसरा बच्चा जिस से मैं बातचीत करना चाहता था बहुत ही मर्माहत था । जहां तक अप त महिलाओं का सम्बन्ध है, मैं उनकी ठीक संख्या नहीं बता सकता । परन्तु इन अभागे लोगों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं उन से कोई भी सरलता से यह समझ सकता है कि कोई भी महिला अथवा बच्चा वहां पर सुरक्षित नहीं है ।

Shri R. S. Pandey : A Conference of the Chief Ministers of certain States was held recently on making arrangements for rehabilitation of refugees coming from East Pakistan, in which the Chief Minister of Madhya Pradesh also participated. May I know the extent of help in the form of land, money and houses assured by them for making arrangements for the rehabilitation purposes and also as to what assurance has been given by you to them in this regard ?

Mr. Speaker : It is not directly concerned with this question.

Shri R. S. Pandey : This is regarding rehabilitation.

Mr. Speaker : But entire rehabilitation work is not covered by it. This is only regarding Minister's visit to Assam and the discussion held there.

डा० मा० श्री० अणे : जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उन के पुनर्वास के कार्य की बढ़ती हुई मात्रा को ध्यान में रखते हुए, क्या अपने निजी संसाधनों और निधियों को बढ़ाते की दृष्टि से सरकार का विचार भारत के सभी लोगों और भारत से बाहर की लोकोपकारक संस्थाओं से भी सहायता की अपील करने का है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : श्रीमन्, जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में समझ रहे हैं और वित्त मंत्री...

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि भारत के लोगों से एक अपील की जाये और धन एकत्रित किया जाये ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं समझता हूं कि संसद-सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा एक अपील की गई है । उनका पुनर्वास करना मेरा कर्तव्य है ।

श्री त्यागी : पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जातियों के व्यक्तियों पर किये जा रहे अत्याचारों से बाहरी देशों को अवगत कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या इस संबन्ध में विश्व को यथार्थ स्थिति की जानकारी देने के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इसका पूर्ण उत्तर दायित्व वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पर है कि वह इस .....(अंतर्बाधा । मैं केवल शरणार्थियों का पुनर्वास करने का ही प्रयत्न कर सकता हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन्, औचित्य के एक प्रश्न पर । जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री महोदय उसका उत्तर यह देते हैं कि यह अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित है । उन स्थानों पर सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं और निकट सम्पर्क वाले मंत्रालय का प्रतिनिधि भी इस समय उपस्थित है । क्या सदन को इस बात का अधिकार नहीं कि वह अन्य मंत्रालय से भी पुनर्वास मंत्री द्वारा दी गई जानकारी की अनुपूरक जानकारी देने के लिये कहे ? यह कहने की कि यह प्रश्न अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित है और अनुपूरक प्रश्नों में जो बड़े भारी महत्व के प्रश्न होते हैं उन्हें टाल देने की पुनर्वास मंत्री की आदत बनती जा रही है । श्री त्यागी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था और ...(**अंतर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य को अच्छी तरह से ज्ञात है, प्रत्येक प्रश्न किसी मंत्रालय विशेष को भेजा जाता है जो कि उसके लिए उत्तरदायी होता है और इसलिये वही मंत्री उसका उत्तर दे सकता है । जब किसी सदस्य द्वारा दूसरा कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिस के लिये अन्य कोई मंत्रालय उत्तरदायी होता है तो उस अन्य मंत्रालय का मंत्री या तो इन वाद-विवादों से उस प्रश्न को जान लेता है अथवा जो मंत्री उत्तर दे रहा है वह इस प्रश्न को उस अन्य मंत्री को बता देता है । परन्तु जहां तक प्रश्न के उस भाग का उत्तर देने का सम्बन्ध है जो कि उस मंत्री के विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो प्रत्येक अवसर पर उसका उत्तर देने के लिये मैं उस मंत्री को विवश नहीं कर सकता ।

श्री त्यागी : श्रीमन्, क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है । दो अथवा तीन दिन पहले यह पूछा गया था और यह वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के भी ध्यान में आया होगा । एक और प्रश्न पूछ कर भी सदस्य यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि माननीय प्रधान मंत्री इस समय यहां पर होते तो इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये वह अवश्य ही खड़े हो गये होते । यही बात उचित भी होती । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री का कोई प्रतिनिधि आज भी इस सभा सदन में मंत्रियों के बीच बैठा है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । पुनर्वास मंत्री के अतिरिक्त जिन्होंने कि यह कहा कि "मैं इस बारे में नहीं जानता क्योंकि यह मामला दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित है", और किसी भी मंत्री ने कुछ भी नहीं बताया है । यह बहुत ही गलत बात है । यह बहुत ही आवश्यक है कि जब इस सदन में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों में बहुत भारी महत्व के प्रश्न हों तो उनका उत्तर देकर हमें संतुष्ट किया जाये ।

श्री रंगा : मैं इस कथन के साथ सहमत हूं। मेरे दो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री ने जब यह कहा था कि सम्बन्धित मंत्रीगण यहां पर उपस्थित नहीं हैं तो मैं ने सोचा था कि उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है । उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु जब अन्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हों, अथवा मंत्रिमण्डल के ऐसे मंत्री यहां पर उपस्थित हों जो कि किसी मामले से इतने ही सम्बन्धित हों जितना कि संसद्-सदस्यों से होने

की अपेक्षा की जाती है, तो हमारे लिये यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि उन में से कोई खड़ा हो कर उतनी जानकारी दे जितनी कि उन के पास है । अन्यथा, जब इस प्रश्न जैसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उठाया जाये तो हम को कम से कम यह आश्वासन तो दिया जाना चाहिए कि हालांकि इस समय संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं फिर भी सम्बन्धित मंत्री के बाद में सदन को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे । परन्तु इसके स्थान पर मंत्री महोदय यदि किसी प्रश्न को अस्वीकार कर देते है अथवा--अस्वीकार नहीं करते परन्तु--केवल यह कह देते हैं कि वह उसका उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि सम्बन्धित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं, तो फिर से हमें आम प्रक्रिया द्वारा उस प्रश्न को उठाया पड़ेगा और इस से उन मामलों में केवल बिलम्ब ही होगा और इस से सदन को कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री त्यागी : क्या मैं भी कुछ निवेदन कर सकता हूं ? उन प्रश्नों अथवा अन्य अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो कि किसी अन्य मंत्रालय से संबंधित होते हैं, सरकार की एक परिपाटी के रूप में यह सावधानी बरती जाती है कि जब कोई अन्य मंत्रालय प्रश्नों से सम्बन्धित होता है तो उत्तर देने वाला मंत्री उस मंत्रालय से जानकारी ले लेता है । यह प्रश्न सीधा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है, क्योंकि यह पाकिस्तान के बारे में है, और इसलिये अपने पास पूर्ण जानकारी रखने के लिए मंत्री महोदय को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श लना चाहिये था । श्रीमन्, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, यह सदन इस बात को जानने के लिये बहुत ही उत्सुक है कि पाकिस्तान के इन अत्याचारों से संसार को अवगत कराने के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पहले यह प्रश्न यहां पर पूछा गया था और उसका उत्तर भी दिया गया था । यह मुझे निश्चित रूप से याद है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : कुछ नये . . .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति । मैं और किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : प्रचार व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ बातें हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिये मैं बीस मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता ।

जहां तक आम प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि मैं इस सुझाव को मान लेता हूं कि किसी अन्य मंत्री को, जिस से कि अनुपूरक प्रश्न कदाचित अधिक सम्बन्ध रखता हो और जिस से पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने की आशा की जाती हो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार होना चाहिए तो इस से विभिन्न मंत्रालयों के लिये विभिन्न दिनों को बांटने का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा और तब उसका कोई लाभ ही नहीं होगा ; फिर प्रश्न काल के दौरान तब प्रश्न पूछे जा रहे होंगे उस समय सारे समय के लिये ही सरकार के सभी प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिये मुझे कहना पड़ेगा । ऐसा सम्भव नहीं है । हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ निश्चित दिनों पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कुछ मंत्रियों को उपस्थित रहना ही चाहिये।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि घटनावश कोई अन्य मंत्री यहां पर उपस्थित है और एक ऐसा प्रश्न उठता है जिस के उत्तर के लिये वह मंत्री उत्तरदायी है, तब भी बिना किसी सूचना के उस मंत्री से उत्तर देने के लिये कहना खतरे से खाली नहीं है; यदि बिना किसी सूचना के और मंत्री की बिना किन्ही तैयारियों के और जो जानकारी उस मंत्री से पूछी जा रही है उसके सम्बन्ध में उसके जांच किये बिना ही उस मंत्री से अचानक ही उत्तर देने के लिये कहा जाता है, तो उस में गलतियां हो सकती हैं। मैं इस जोखिम को भी नहीं उठाऊंगा।

परन्तु जहां तक बड़े भारी महत्व वाले इन प्रश्नों का सम्बन्ध है, तो जब वे यहां पर सदन में पूछे जायें और जिस मंत्री से पूछे जायें वह यह कहे कि वे प्रश्न किसी अन्य मंत्री से सम्बन्धित हैं, तो मुझे दृढ़ आशा है कि अन्य सम्बन्धित मंत्री भी उन्हें पढ़ेगा और उस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करके वह बाद में जानकारी प्रदान करेगा। उसे ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): क्या मैं आपकी अनुमति से एक बात कह दूं। यदि प्रश्न विशिष्ट है तो या तो हममें से कोई उसका उत्तर दे देगा अथवा बाद में सदन को उत्तर दिलवा देगा। परन्तु यदि प्रश्न बहुत आम है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया है, और सदन में पहले उसका उत्तर दिया जा चुका है, तो हम केवल उत्तरों को फिर से दुहरा भी सकते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने की सूचना।

श्री हेम बरुआ : इससे पहले कि आप उसका कार्य आरम्भ करें, क्या मैं एक नम्र निवेदन कर सकता हूं? सदन इस सम्बन्ध में एकमत है कि हमें इस देश के जनहितैषी व्यक्तियों और विदेशी लोकोपकारक संस्थाओं से एक अपील करनी चाहिये कि.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्री से पूछा गया था और उसका उत्तर भी दे दिया गया था।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपके हस्ताक्षर करवा कर संसद भी एक ऐसी अपील क्यों न करे?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि वह मुझे इस प्रकार की राय अब नहीं देंगे।

Shri Sheo Narain : Sir, I wont to say a very important thing in this connection. I may kindly be heard.

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Sheo Narain : Senior representatives of the Government are sitting here. They must give a reply.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान समिति और राजेन्द्र संस्थान

*५४२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २१ नवम्बर १९६३ के तारांकित

प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बीच बिहार राज्य सरकार से पटना में राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान समिति और राजेन्द्र स्मारक संस्थान की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा योग दिये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

सुवर्ण रेखा नदी के पानी का उपयोग

*५४४. **श्री गो० महन्ती :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा उड़ीसा के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी के पानी का उपयोग करने की याजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं का परीक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विषाणु "देन्गु" ज्वर

*५४५. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "देन्गु" ज्वर के विषाणु की जांच करने के लिये अमरीका की होपकिन्स अनुसन्धान संस्था से कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था की क्या उपपतियां हैं ; और

(ग) क्या उसने किसी उपचारात्मक या निरोधात्मक औषधि का पता लगाया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका की जोन्स होपकन्स अनुसंधान संस्था ने निम्न बातों की पुष्टि की :

(१) महामारी के आरम्भ काल में पुनस्वस्थ व्यक्ति में देन्गु के विषाणु के विरुद्ध अनुमाप में काफी वृद्धि होती है ।

(२) यद्यपि एक घातक मामले में जिगर में से देन्गु के विषाणु को निकाल दिया गया, इस का अभी पता लगाया जाना है ।

(३) महामारी के बाद के समय में ३ गंभीर रोगियों में से, विभाग में किये गये चूहे के दिमाग के रास्ते से, "आरबर" विषाणुओं से संबंधित चिकुनगुनिया विषाणु निकाला गया ।

(४) इस से यह स्पष्ट है कि जुलाई से दिसम्बर, १९६३ तक कलकत्ता में हुए 'रक्तस्रावात्मक ज्वर" ग्रुप क "चिकुन गुनया " और ग्रुप ख "देन्गु" के विषाणु के कारण हो सकता है । थाईलैण्ड में किये गये प्रयोग भी ऐसे ही सिद्ध हुए ।

(ग) इन दोनों प्रकार के विषाणुओं के लिये कोई विशिष्ट उपचारात्मक औषधि नहीं है । अभी कोई विरोधात्मक टीका उपलब्ध नहीं है और उसी रोग में प्रथक किये गये विकारों में एन्टीजीनिक विभिन्नताओं के मौजूद रहने के कारण और एक रोग दूसरे में इससे कोई लाभ भी होने की संभावना नहीं है । इसको रोकने का एकमात्र उपाय "एडिस एजिप्टी" का नियंत्रण है जो कि इन विषाणुओं के रोगवाही कीटों का नियंत्रण है ।

कोलम्बो योजना समीक्षा[1]

*५५२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६२–६३ में आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कोलम्बो योजना समीक्षा तथा योजना कोलम्बो मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन में व्यक्त विचारों की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) कोलम्बो योजना मंत्रणा समिति का काम मुख्यतः प्रदेश के देशों को सामान्य आर्थिक महत्व के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान है और इसकी अधिकांश सिफारिशें सामान्य परिवेक्षण की हैं। इन सिफारिशों में एक अन्तर्प्रादेशिक प्रशिक्षण सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही करने के लिये एक स्थानीय सम्पर्क अधिकारी के मनोनीत किये जाने के बारे में है । इस सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार ने एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया है ।

फर्मों की तलाशी

*५५४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४ की जनवरी में तथा फरवरी के प्रथम सप्ताह में अधिक मूल्य के बीजक बनाने तथा कम मूल्य के बीजक बनाने के सम्बन्ध में कितनी फर्मों की तलाशी ली गई थी; और

(ख) ऐसी फर्मों के विरुद्ध अब तक कितने मुकदमे चालू किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) आयात और निर्यात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने तथा कम मूल्य के बीजक बनाने के सम्बन्ध में जनवरी में

[1] Colombo Plan Review.

फरवरी, १९६४ के प्रथम सप्ताह में पांच फ़र्मों की तलाशी ली गयी।

(ख) अभी तक एक फर्म को "कारण बताओ" नोटिस दिये गये हैं।

परिवहन आयोग

*५५५. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध ब्रिटिश परिवहन विशेषज्ञ, श्री एम० आर० बोनाविया, के परामर्श के अनुसार सरकार देश के सभी प्रकार के परिवहन का समन्वय करने के लिये ११ सदस्यों का स्थायी भारतीय परिवहन आयोग स्थापित करने के पक्ष में हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग का गठन कब तक किया जायेगा; और

(ग) आयोग के मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरासन) : (क) से (ग) ब्रिटिश परिवहन विशेषज्ञ, श्री एम० आर० बोनाविया ने दिसम्बर, १९६३ और फरवरी, ६४ के बीच लगभग सात सप्ताह तक परिवहन नीति तथा समन्वय समिति की प्रार्थना पर भारत का दौरा किया और समिति के लिये उन्होंने कुछ टिप्पण तैयार किये, जिन में भारत में, सड़क-रेल समन्वय सम्बन्धी एक ज्ञापन भी है। यह ज्ञापन अभी समिति के विचाराधीन है जिस ने अभी तक इस निहित सिफारिशों पर विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

*५५६. श्री रा० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में सर्पदंश के इलाज का अनुसन्धान सफल सिद्ध हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुसन्धान के परिणामों को प्रभावोत्पादक रूप में लागू कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां। वाइपर ग्रुप के एक प्रकार के सर्पदंश विष से विषदिग्ध चूहों के इलाज का प्रयोग सफल हुआ है।

(ख) और कार्य जारी है और इसके परिणामों को लागू करने से पहले यह आवश्यक है।

Electrification of Villages in Delhi

*557. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages electrified so far in the Union Territory of Delhi and of those that are proposed to be electrified; and

(*b*) the number of villages left untouched from the scheme of electrification ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. RAO) : (a) and (*b*). 159 villages have been electrified upto the end of February, 1964 All the remaining villages in the Union Territory of Delhi, that is, 157 villages are proposed to be electrified by the end of the Third Plan.

मूल उद्योगों को बढ़ाना

*५५८. श्री महेश्वर नायक :
श्री राम हरख यादव :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के सभी मूल उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिये 'क्रैश प्रोग्राम' लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें किए गए कुछ निर्णय बताये गये हैं ।

विवरण

मूल उद्योगों में उत्पादन की गति तीव्र करने के लिये योजना आयोग ने लोहा तथा इस्पात, अलौह धातु, भारी इंजीनियरिंग, उर्वरक, तेल तथा सीमेंट उद्योग में सम्बधित मंत्रालयों के परामर्श से कार्य-क्रमों और परियोजनाओं का विस्तृत पुनरावलोकन किया। उन पुनरावलोकन के फलस्वरूप, निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे ।

कच्चा लोहा : कच्चे लोहे के संभरण में वृद्धि करने के लिये भिलाई और दुर्गापुर में चौथी योजना में इन परियोजनाओं के विस्तार से पूर्व ही एक एक धमन भट्टी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अलौह धातु : अल्युमीनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिये मैसूर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये उपायों का परीक्षण किया जा रहा है।

भारी इंजीनियरिंग : औद्योगिक और इंजीनियरिंग उपकरण के निर्माण के लिये उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये एक दूसरा फाउंडरी फोर्ज, एक नया भारी विद्युत उपकरण, एक रोल फाउंड्री, उर्वरक और रासायनिक उपकरणों के लिये एक फेब्रीकेशन शाप और एक स्ट्रक्चरल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरों की जांच की जा रही है।

तेल : अतिरिक्त साफ करने की क्षमता की स्थापना की जांच की जा रही है।

उर्वरक : राउरकेला उर्वरक कारखाने को गैस के अधिक संभरण के लिये उपायों की परीक्षा की जा रही है ।

सीमेंट : स्लैग सीमेंट के उत्पादन के लिये तत्काल अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

FAMILY PLANNING

*559. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri A. N. Vidyalankar :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an Indian doctor has invented a new technique of sterilization for Family Planning ;

(*b*) whether Government have tested the device and if so, the result thereof; and

(*c*) the main features of the technique ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): (*a*) (*i*) An Indian Surgeon has reported a technique of temporary sterilization. This subject was first published in the Journal of Indian Medical Association in 1960. He has informed on 2nd March, 1964, that he has since performed about 127 operations and proposed to publish the details of the operation and technique after carrying out a few hundred operations. He has also reported on his technique of sterilization operation which he calls single incision single stitch.

(*ii*) Another Indian Surgeon has been carrying on reversal vasectomy operations by a special technique developed by him for several years.

(*b*) It is proposed to test the technique of temporary sterilization referred to in (*a*) (*i*) soon after full details are available. The technique referred to in (*a*) (*ii*) has been examined. Out of 50 cases operated, 45 were reported to be successful, (*i.e.* sperms appeared in the semen after rejoining operation) and of these 45 cases wives of 32 became pregnant.

(*c*) The technique of temporary sterilization referred in (*a*) (*i*) is reported to be simple ligature of the vas with plain catgut and when it gets absorbed the vas is reported to become patent. The technique of (*a*) (*ii*) is end to end anastomosis with a nylon thread as an internal splint for a week.

"आवास सहकारी समितियों" का कार्यकारी दल

*५६०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री १७ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आवास सहकारी समितियों" के कार्यकारी दल की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) उनकी क्रियान्विति के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास सहकारी समितियों के विकास के लिये एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम बनाने का परामर्श दिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख) कार्यकारी दल ने ५२ सिफारिशें की हैं। इनमें से ३५ केवल राज्य सरकारों के लिये हैं और उनको उन्हें विचार और क्रियान्विति के लिये प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां उपलब्ध होते ही भेज दिया जायेगा। बाकी १७ सिफारिशों में से १२ केन्द्रीय सरकार के लिये हैं और ५ केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के लिये। इन पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) राज्य सरकारों के लिये की गयी ३५ सिफारिशों में एक यह भी है और उनको प्रतिवेदन की प्रतियां परिचालित करते समय इस ओर उनका ध्यान दिलाया जायेगा।

दिल्ली के लिए वित्त निगम

*५६१. **श्री जेधे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में व्यापार की सुविधा के लिये दिल्ली में वित्त निगम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरीका से ऋण

*५६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री राम हरख यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने हाल में ही भारत के उद्योगों के लिये पुर्जों के आयात के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये लगभग २२५० लाख डालर का ऋण देना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) इस ऋण को किन परियोजनाओं के लिये आवंटित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) अमरीका ने हमें २२५० लाख डालर का एक गैर-परियोजना ऋण दिया है।

(ख) यह ऋण डालरों में ४० वर्षों में भुगताया जायेगा और आरम्भ में १० वर्षों की छूट होगी। इस ऋण पर पहले दस वर्षों तक ३/४ प्रतिशत और बाकी अवधि में २ प्रतिशत ब्याज लगेगा।

(ग) यह गैर-परियोजना ऋण है और इसका विभिन्न प्रकार का कच्चा सामान, पुर्जे आदि के आयात के लिये और अर्थ व्यवस्था के लिये आवश्यक उपकरणों का सन्तुलन करने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ।

नया मेडिकल कालेज

*५६३. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि नया मेडिकल कालिज आरम्भ करने से पहले अपने प्रस्ताव केन्द्र द्वारा जांच के लिये तथा स्वीकृति के लिये भेंजे ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रक्रिया के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) कई नये मेडिकल कालिजों में स्नातक के नीचे के चिकित्सा पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिये कर्मचारी, उपकरण, पुस्तकालय आदि की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं और इस लिये ये संस्थायें उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकतीं जिसके लिये ये स्थापित की गयी हैं । इन स्थितियों में कालिज स्थापित करने का परिणाम यह होगा कि इन संस्थाओं से विद्यार्थी अपर्याप्त रूप में शिक्षित निकलेंगे और उन्हें चिकित्सा विज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं होगा जिससे चिकित्सा परिषद् इस अर्हता को मान्यता दे । अन्ततः इसका परिणाम देश में चिकित्सा व्यवसाय का स्तर गिराना होगा, जिसे दूर किया जाना चाहिये । देश में न्यूनतम स्तर की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार नये मेडिकल कालिज बनाने के लिये एक सामान्य प्रक्रिया निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

तदनुसार, अब यह निश्चय किया गया है कि क्योंकि मेडिकल कालिजों की स्थापना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में शामिल किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी राज्य सरकार तीसरी योजना की बाकी अवधि में कोई नया मेडिकल कालिज नहीं बनायेगी, चाहे वह योजना स्वीकृत भी की जा चुकी हो । राज्य सरकार को पूरे विवरण समेत प्रस्ताव को पहले जांच और अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजना चाहिये राज्य सरकारों को यह भी बता दिया गया है कि केन्द्र की अनुमति लिये बगैर जो मेडिकल कालिज खोले जायेंगे, उनको केन्द्रीय सहायता नहीं मिलेगी ।

सिन्धु आयोग

*५६४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु आयोग ने पाकिस्तान की सिन्धु नदी प्रणाली के निचले भाग का दौरा किया था तथा जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा जांच का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) जी, हां। सिन्धु नदी आयोग ने १८ से २६ फरवरी, १९६४ तक सिन्धु नदी के निचले भाग का निरीक्षण किया। सिन्धु नदी संधि १९६० के अनुसरण में आयोग को हर पांच वर्षों में एक बार सिन्धु बेसिन की सभी नदियों का सामान्य निरीक्षण करना होता है।

(ग) आयोग ने पाकिस्तान में सिन्धु नदी के निचले भाग में विभिन्न विकास-कार्यों और निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया।

विषाणु संक्रमण

१०७६. **श्री चन्दभान सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में दिल्ली में और इसके आसपास विषाणु संक्रमण अर्थात् (१) सुषुम्नाशोध (माइलीटिस), (२) मस्तिष्कशोध (एन्सेफैलिटिस), (३) जिगर में सूजन (हेपाटाइटिस), (४) गर्दन तोड़ बुखार (मेनिन गाइटिस) के क्या आंकड़े हैं ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में दिल्ली में और इसके आसपास पानी से पैदा हाने वाले रोगों अर्थात् (१) हैजा (२) टाइफाइट (३) पेचिस के क्या आंकड़े हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी हुई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २५४७/६४]

स्वास्थ्य मंत्रालय में समिति

१०७७. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्वाथ्य मंत्रालय में समितियों और उप-समितियों की क्या संख्या है ; और

(ख) इन समितियों तथा उप-समितियों के सदस्यों की कुल संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :

(क) समितियां—५०

उप-समितियां—४३

(ख) समितियां—६९६

उप-समितियां—२४१

अशोक होटल

१०७८. **श्री बादशाह गुप्त**: क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३–६४ में जनवरी, १९६४ के, अन्त तक अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली से कितनी आय हुई ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) : कम्पनी के गैर-लेखापरीक्षित लेखों से पता चलता है कि १ अप्रैल, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक की अवधि में अशोक होटल्स लिमिटेड से ९५,९३,७०० रुपये की आय हुई और ६४,०७,७०० रुपये का व्यय हुआ और इस प्रकार कुल लाभ ३१,८६,००० रुपये का हुआ।

पेंशन के लिए आवेदन पत्र

१०७९. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की क्या संख्या है जिनके पेन्शन के लिए आवेदन-पत्र अभी लम्बित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

नजफगढ़ कस्बा

१०८०. **श्री राम हरख यादव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नजफगढ़ कस्बे का विकास करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) नजफगढ़ कस्बे के पुनर्विकास का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) .प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत में लोगोपेडिक इंस्टीट्यूट

१०८१. **श्री सिंह्या :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक लोगोपेडिक इंस्टीट्यूट (वाणीदोष अध्ययन सम्बन्धी संस्था) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या अमरीका के डा० पामर ने यह सिफारिश की है कि इस संस्था की स्थापना के लिये मैसूर शहर सर्वोत्तम स्थान है;

(ग) क्या इस परियोजना पर अमरीका सरकार धन लगायेगी;

(घ) क्या मैसूर सरकार ने इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी थी और यदि हां, तो कब; और

(ङ) यह मामला किस प्रक्रम पर लम्बित है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पी० एल० ४८० और पी० ल० ८६-६१० से वित्तीय सहायता मिलेगी । यह परियोजना पूरे तीन वर्ष चलेगी और इसके दो और वर्षों तक बढ़ाये जाने की संभावना है ।

(घ) राज्य सरकार ने मैसूर शहर में परियोजना की स्थापना में रुचि दिखायी है । दिसम्बर, १९६३ में उस सरकार ने हमें लिखा था ।

(ङ) यह निर्णय किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना दिल्ली में स्थापित की जाय ।

---

1 Logopedic Institute.

मैसूर राज्य में परिवार नियोजन

१०८२. **श्री सिद्दय्या** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये कितनी निधि का आवंटन किया गया;

(ख) अब तक राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ;

(ग) क्या यह रकम पूरी पूरी खर्च कर ली गयी है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मैसूर राज्य में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) मैसूर राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये १४.५० लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र से निम्न प्रकार वार्षिक आवंटन किया गया है :

वर्ष	आवंटन
	(रुपये लाखों में)
१९६१-६२	८.३२
१९६२-६३	१७.४१
१९६३-६४	५.९४

वर्ष १९६४-६५ में और १९६५-६६ में आवंटन संस्थान की स्वीकृति और निरन्तरता की आवश्यकता पर निर्भर होगा ।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में मैसूर राज्य को सभी केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं के लिये, जिसमें परिवार नियोजन भी शामिल है, और योजना-वार नहीं, ६.८८ लाख रुपये का सहाय्य-अनुदान दिया गया। मैसूर सरकार को वर्ष १९६२–६३ में केन्द्रीय सहायता के रूप में ६.०१ लाख रुपये का अनुदान दिया गया । वर्ष १९६३–६४ के लिये राज्य सरकार को देय केन्द्रीय सहायता राज्य से व्यय का विवरण प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में मंजूर की जायेगी ।

(ग) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में आवंटित रकम पूरी पूरी खर्च नहीं की गयी । वर्ष १९६३–६४ में व्यय का ब्यौरा पता नहीं है ।

(घ) वर्ष १९५६ से जनवरी १९६४ तक की गयी प्रगति निम्न प्रकार है :

१. बन्ध्यीकृत किये गये व्यक्ति		२८९१९
	(पुरुष—	२०३५२)
	(महिलाएं—	८५६७)
२. परिवार नियोजन केन्द्र		१०६
	(ग्रामीण—	८६)
	(नगरीय—	२०)
३. गर्भ-निरोधक वस्तु वितरण केन्द्र		८५९
	(ग्रामीण—	६९८)
	(नगरीय—	१६१)

४. प्रशिक्षित किये गये व्यक्ति	६६२
५. प्रचार सामग्री बनायी गयी	
१. पोस्टर	३५,०००
२. दुस्तिकायें	४०,०००
३. एनेमल बोर्ड	६००

मैसूर में फाइलेरिया का उन्मूलन

१०८३. श्री सिद्दय्या : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये तृतीय योजना में मैसूर राज्य को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) इसके उन्मूलन के लिये अब तक क्या विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (ग). इस समय फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये कोई योजना चालू नहीं है। तथापि फाइलेरिया पर काबू पाने के लिये, तृतीय योजना में अब तक केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को १.८७ लाख रु० का निःशुल्क मच्छर लार्वानाशी तेल दे कर सहायता दी है।

१९६२–६३ तक राज्य को जो मच्छर-लर्वानाशी तेल दिया गया था उस का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है और जो तेल १९६३–६४ में दिया गया था उसका उपयोग किया जा रहा है।

मैसूर राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

१०८४. श्री सिद्दय्या : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं ;

(ख) १९६४–६५ और १९६५–६६ में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). सभी खंडों में सामुदायिकविकास कार्यक्रम के भाग के रूप में मैसूर सरकार द्वारा खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या २६५ है। २३५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से ही मंजूर कर दिये गये हैं; और शेष ३० केन्द्रों को १९६४–६५ में स्थापित करने का विचार है। यदि ये सभी ३० केन्द्र खोल दिये जायेंगे तो १९६५–६६ में कोई भी सामुदायिक विकास खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बिना नहीं रहेगा।

(ग) ४०,००० रु० की व्यवस्था के अतिरिक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये, जिसमें कि २४ खंड होंगे, अवस्था १ खंड के आयोजन आयव्ययक में ७०,००० रु० की राशि राज्य की स्वास्थ्य योजना में निर्धारित की गई है।

उड़ीसा में विद्युत् और सिंचाई योजनायें

१०८५. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने संघ सरकार से अपनी विद्युत् और सिंचाई क्षमता का विकास करने के लिये १९६३–६४ और १९६४–६५ के लिये अतिरिक्त सहायता देने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव): (क) और (ख). अपनी सिंचाई और विद्युत् क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करने के लिये वर्ष १९६३–६४ के लिये उड़ीसा सरकार ने किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थना नहीं की थी। १९६४–६५ के लिये राज्य सरकार ने सिंचाई और विद्युत् के लिये ६ करोड़ रु० और परिवहन योजनाओं के लिये ३ करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता के लिये मांग की। इस के उत्तर में योजना आयोग, राज्य सरकार को पहले बताई गई २९ करोड़ रु० की कुल केन्द्रीय सहायता को ३४.२ करोड़ रु० तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गया है।

उड़ीसा में परिवार नियोजन

१०८६. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६२ में राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) कितनी राशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) अब तक इन कार्यक्रमों को क्रियान्विति में राज्य ने क्या प्रगति की है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को ३.१६ लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(ख) केन्द्रीय सहायता की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में उड़ीसा सरकार ने आज तक जो प्रगति की है वह निम्न है :—

स्थापित किये गये प्रादेशिक परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	खोले गये क्लिनिकों की संख्या	आपरेशन के केसों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या
१	११५ (इसमें एक चलता फिरता क्लिनिक भी शामिल है)	३१८३	१९८७

उड़ीसा में अनुसंधान योजनाएं

१०८७. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड ने उड़ीसा के लिये कोई अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तब उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसी काल में योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई तथा केन्द्र किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). उस वर्ष कोई नई अनुसन्धान योजना मंजूर नहीं की गई थी। राज्य का एक मात्र हीराकुड का अनुसन्धान केन्द्र द्वितीय योजना काल में नियत निम्न दो योजनाओं पर काम करता रहा :—

(१) जलाशयों सम्बन्धी लतछटीकरण अध्ययन, और

(२) गारा और कंकरीट के मिलाने के डिजाइन के सिद्धान्त ।

चालू वित्तीय वर्ष में उन के लिये कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि उन के पास पहले मंजूर किये गये अनुदानों में से काफी राशि बिना खर्च हुई पड़ी है। द्वितीय और तृतीय योजनाओं में इस केन्द्र को कुल १,६८,००० रु० का अनुदान मंजूर किया गया था। इसमें से मार्च, १९६३ के अन्त तक ८५,२२० रु० व्यय किये जा चुके हैं। इस प्रकार अनुसन्धान केन्द्र के पास १९६३–६४ में खर्च करने के लिये ८२,७८० रु० बकाया रह जाते हैं ।

उड़ीसा में परिवार नियोजन क्लिनिक

१०८८. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने परिवार नियोजन क्लिनिक (देहाती और शहरी) काम कर रहे हैं; और

(ख) १९६४–६५ में उस राज्य में कितने परिवार नियोजन क्लिनिक खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) १११ (६९ देहाती और ४२ शहरी)। राज्य में एक चलता फिरता परिवार नियोजन क्लिनिक भी है।

(ख) १६६ नियमित परिवार नियोजन क्लिनिक और ९४ केन्द्र गर्भरोधकों के वितरण के लिये।

श्रीनिवासपुरी दिल्ली में पानी की दरें

१०८९. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, श्रीनिवासपुरी, दिल्ली में रहने वालों के लिये पानी की समान दरें ४ रु० से घटा कर ३ रु० प्रति मास कर दी हैं;

(ख) ये घटी हुई दरें किस तारीख से लागू की गई हैं; और

(ग) इस कमी के कारण जो बकाया रकम इकट्ठी हो गई है क्या उसे लौटा दिया गया है अथवा उसका समायोजन कर दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरियों की इमारतें

१०९०. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरियों की इमारतों के निर्माण में कोई प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ४७ डिस्पेंसरियां हैं जिन में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी शामिल है। निम्नलिखित डिस्पेंसरियां अपनी नई इमारतो में आ गई हैं :—

१. लाजपत नगर
२. श्रीनिवासपुरी
३. लक्ष्मीबाई नगर
४. वेलेज़ली रोड

निम्नलिखित डिस्पेंसरियों को स्थायी रूप से अर्जित की गई इमारतों में लाया गया है :

(१) दरियागंज
(२) पूसा रोड
(३) पुल बंगश
(४) जंगपुरा

इसके अतिरिक्त ४ डिस्पेंसरियों, अर्थात्, (१) किदवई नगर, (२) नार्थ एवेन्यू (३) सेवा नगर (कस्तूरबा नगर) और (४) मोती बाग-१ की इमारतों का निर्माण हो रहा है और आशा है कि निर्माण-कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

२. निम्नलिखित डिस्पेंसरियों के लिये निर्माण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा :—

(१) एंड्रयूजगंज
(२) नानकपुरा (मोती बाग—२)

(३) चाणक्यपुरी

(४) रामाकृष्णापुरम् (एन० एच० २)

(५) रामाकृष्णापुरम् (एन० एच० ४)

(६) रामाकृष्णापुरम् (एन० एच० ६)

(७) लोदी रोड

(८) चांदनी चौक

३. निम्नलिखित डिस्पेंसरियों के लिये स्थान प्राप्त कर लिये गये हैं और ज्यों ही अपेक्षित तकनीकी औपचारिक कार्य पूरा हो जायेगा त्यों ही निर्माण आरम्भ हो जायेगा :—

(१) दिल्ली छावनी

(२) मिंटो रोड

(३) सरोजिनी नगर (पूर्वी भाग)

(४) शाहजहां रोड

(५) कालकाजी

शेष डिस्पेंसरी की इमारतों के लिये, निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय, दिल्ली विकास अधिकारियों, निगम अधिकारियों आदि द्वारा, उपयुक्त स्थानों की प्राप्ति के लिये यत्न किये जा रहे हैं।

Deaths due to Cholera

1091. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Subodh Hansda :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri S. B. Patil :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of persons who died of cholera in the country during 1963, State-wise ;

(b) the steps taken by the Government to check the disease and the extent to which success has been achieved in this connection ; and

(c) whether efforts have been made in any laboratories to ascertain the cause of high incidence of this disease ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju) : (a) 20,714 persons died of cholera in the country during the year 1963. This does not include the figure for Assam and Jammu & Kashmir for which the required information is not available. The State-wise break up is given in the enclosed statement.

Statement

1. Andhra Pradesh	1,656
2. Assam	..
3. Bihar	3,075
4. Gujarat	14
5. Jammu & Kashmir	..
6. Kerala	4
7. Madras	4,980
8. Madhya Pradesh	14
9. Mysore	856
10. Maharashtra	1,230
11. Orissa	2,597
12. Rajasthan	..
13. Uttar Pradesh	388
14. West Bengal	5,913
15. Delhi	..
16. Goa	..
17. Himachal Pradesh	..
18. Manipur	..
19. Pondicherry	37
20. Laccadive, Amindive & Minicoy Islands	..
	20,714

(*b*) The control/eradication of cholera is primarily the concern of the State Governments. So far as the Central Government are concerned, the following steps have been taken in this direction :—

(*i*) A Cholera Research Centre has been functioning under the auspices of the Indian Council of Medical Research at Calcutta since 1962.

(*ii*) An Epidemiological Unit has been provided in the Department of Epidemiology at the All India Institute of Hygiene and Public Health Calcutta, to help the States, whenever, needed, for epidemiological investigation to help them in the control programme. Similar help is also rendered from the Unit located at the Central Research Institute, Kasauli.

(*iii*) In order to establish epidemiological unit in everv State, candidates sponsored by the Central and State Governments have been trained in epidemiology at the University of Edinburgh under World Health Organisation fellowships. So far 11 candidates from the States of Uttar Pradesh, Mysore, Rajasthan, Orissa, Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal, Delhi and from the Centre have been trained. The establishment of local units is under way.

(c) (i) The Indian Council of Medical Research has established a Cholera Research Centre in Calcutta in collaboration with the WHO to carry out continuous research on various aspects of the problem of cholera with a view to developing ultimately practical measures for the control of the disease.

(ii) Researches on the best means of preventive & Control of Cholera are also in progress in Tamluk (West Bengal) in collaboration with the School of Tropical Medicine, Calcutta.

(iii) One laboratory at the Public Health Institute, Patna also carries on investigation into the disease of cholera.

भारत में अंधे व्यक्ति

१०९२. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में लगभग २० लाख अंधे व्यक्ति हैं और यह संख्या विश्व में सब से बड़ी संख्याओं में से एक है और विश्व की अंधे व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग पांचवां भाग है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : १९४४ में केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अंधे व्यक्तियों की संख्या २० लाख बताई। वर्ष १९५८—६३ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा रोहा नियंत्रण वृहत् परियोजना के माध्यम से १५ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि ३५ लाख व्यक्ति आर्थिक रूप से अंधे हैं, अर्थात् वे व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकते और उनके लिये दृष्टि अत्यावश्यक है। इसी प्रकार इन पन्द्रह राज्यों के नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से अंधे व्यक्तियों की संख्या ७.५ लाख है और इस प्रकार यह संख्या ४२.५ लाख हो गयी है। किसी विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में कोई भी ठीक आंकड़े नहीं बताये जा सकते। क्योंकि अंधेपन की व्याख्या देश देश में भिन्न भिन्न होती है भारत में अंधे व्यक्तियों की संख्या की संसार में अंधे व्यक्तियों की संख्या से तुलना नहीं की जा सकती।

विद्युत परियोजनाएं

१०९३. **श्री प्र० च० बरुआ** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ के लिये आसाम और अन्य राज्यों को, उनकी विद्युत परियोजनाओं के लिये, विशेष केन्द्रीय सहायता देने का कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां, योजना के उपबन्धों के अन्दर विद्युत क्षेत्र की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसाम और कुछ अन्य राज्यों को त्वरित सहायता दी जा रही है ।

(ख) कुछ बड़ी परियोजनाओं को छोड़ कर केन्द्रीय सहायता राज्यों को पूरी योजना के लिये दी जा रही है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान

१०९४ **श्री महेश्वर नायक** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला ब्रादर्स ने राजधानी में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान बनाने की पेशकश की है ;

(ख) पेशकश का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार और दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) जी, हां । बिड़ला ब्रादर्स ने मुख्यायुक्त को कुछ चुनी हुई गन्दी बस्तियों में लगभग ५०० परिवारों के लिये मकान बनाने की पेशकश की है । यह पेशकश मुख्यायुक्त ने दिल्ली नगर निगम को भेज दी है, जो दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना की क्रियान्विति के लिये प्रभारी हैं और मामला उसके विचाराधीन है ।

आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान

१०९५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में एक आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने के लिये हाल ही में कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रम

१०९६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना में प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीसरी योजना में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में शामिल की गई बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में तीसरी योजना के प्रतिवेदन में बताया गया है । इन औद्योगिक योजनाओं की प्रगति का मध्यावधि मूल्यांकन में पुनर्विलोकन किया गया है ।

विभिन्न राज्यों में औद्योगिक योजनाओं पर वित्तीय व्यय की निम्नलिखित सूची है । तीसरी योजना के उद्योगों के विकास कार्यक्रम के लिये सरकारी क्षेत्र में १३३० करोड़ रुपये के विनियोजन का अनुमान है । इसके लिये पहले तीन वर्षों में लगभग ५९६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है :—

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य सरकारी क्षेत्र औद्योगिक परियोजनायें	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र औद्योगिक परियोजनायें	जोड़ (राज्य/केन्द्र)
आन्ध्र प्रदेश . .	३.१	१०.५	१३.६
आसाम . .	१.७	१६.९	१८.६
बिहार . . .	२.४	१०२.६	१०२.०
गुजरात . . .	३.०	६.०	९.०
केरल . . .	३.४	१०.३	१३.७
मध्य प्रदेश . . .	१.३	१२२.५	१२३.८
मद्रास . . .	०.२	५९.१	५९.३
महाराष्ट्र . . .	२.६	३३.५	३६.१
मैसूर . . .	२.२	३.९	६.१
उड़ीसा . . .	२.८	८२.७	८५.५
पंजाब . . .	०.५	६.०	६.५
राजस्थान . . .	०.२	०.६	०.८
उत्तर प्रदेश . . .	४.०	२१.०	२५.०
पश्चिम बंगाल . .	१०.५	८०.७	९१.२
जम्मू तथा काश्मीर .	२.१	—	२.१
जोड़ .	४०.०	५५६.३	५९६.३

गानिया और इन्द्रावती परियोजनायें

१०९७. **श्री गो० महन्ती** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गान्निया और इन्द्रावती परियोजनाओं (उड़ीसा) की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) सरकार का विचार परियोजनाओं को कब आरम्भ करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं। जांच हो रही है।

(ख) इस समय उत्पन्न नहीं होता है ।

घरेलू इंधन की खपत

१०९८. **श्री हेडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २ दिसम्बर, १९६३ को प्रकाशित ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू इंधन की खपत के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसन्धान परिषद् के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के स्थान पर गोबर तथा लकड़ी जैसे गैर-वाणिज्यिक ईंधन को इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग प्राकृतिक साधन सम्बन्धी समिति द्वारा ग्रामीण ईंधन समायोजन का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का एक भाग राष्ट्रीय आर्थिक अनुसन्धान परिषद को सौंपा गया था जिसने ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ईंधन की खपत का सर्वेक्षण किया था। परिषद ने दिसम्बर, १९६३ में सर्वेक्षण के परिणामों का संक्षिप्त प्रारम्भिक तथा अन्तरिम टिप्पण भेजा था। सर्वेक्षण की अन्तिम उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है। इनके मिल जाने पर अग्रेतर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

पालम हवाई अड्डे पर सामान की निकासी

१०९९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम सीमा शुल्क अधिकारियों ने पर्यटकों के सामान की निकासी की सुविधा के लिये अपनी सेवा में परिवर्तन कर दिया है ;

(ख) क्या वहां पर नियुक्त एक्जीक्यूटिव अधिकारी को यह अधिकार है कि 'कस्टम्स हाउस' भेजने के बजाय वहीं पर ममलों को निबटा दे ;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि तक के मामले ; और

(घ) क्या एयरन से लाइन्ज तक सामान का परिवहन करने के लिये कोई मैकेनिकल कन्वेयर बैल्ट लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पालम हवाई अड्डे पर सामान की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी, विशेषतया पर्यटकों को, शीघ्र करने के लिये क़दम उठाये गये हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है । प्रक्रिया पर लगातार विचार किया जाता रहता है जिससे आवश्यक होने पर परिवर्तन किया जा सके। ऐसा लगातार होता रहता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) असिस्टेंट कलक्टर आफ कस्टम्स तथा सुपरिंटेंडेंट आफ कस्टम्स को अधिकार दे दिया गया है कि १०,००० रुपये तथा १००० रुपये के मामले तय करें तथा क्रमश: ५००० रुपये तथा १,००० रुपये तक का जुर्माना करें ।

(घ) जी नहीं ।

पोंग बांध और सतलुज व्यास को मिलाने वाली नहर परियोजना

११००. **श्री दलजीत सिंह** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४–६५ के लिये पोंग बांध और सतलुज व्यास को मिलाने वाली नहर परियोजना के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा अलग अलग कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : १९६४–६५ के लिये व्यास परियोजना के लिये अभी तक कोई धन मंजूर नहीं किया गया है। तथापि १९६४–६५ के लिये इस परियोजना के लिये १३७२ लाख रु० की आय-व्ययक में व्यवस्था की गई है जो कि निम्नलिखित है :—

पोंग बांध (एकक २)	९४६ लाख रु०
व्यास-सतलुज को मिलाने वाली नहर (एकक १) . .	४२६ लाख रु०
कुल	१३७२ लाख रु०

विदेशी जहाजों से बरामद किया गया सोना

११०१. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ५ फरवरी, १९६४ को या इसके आस पास बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक विदेशी जहाज के एक कर्मचारी से ७९० तोला सोना बरामद किया ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री सि० सु० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। सोना ४ फरवरी, १९६४ को बरामद किया गया ।

(ख) उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

कृषि पुनर्वित्त निगम

११०२. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम के स्थापित किये जाने के समय से अब तक इसके द्वारा देश में कृषि ऋण संस्थाओं को कितनी राशि का वितरण किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ऋणों की मंजूरी में काफी विलम्ब हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सि० सु० कृष्णमाचारी) : (क) अभी तक कोई राशि नहीं बांटी गई है।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि जिन योजनाओं के लिये निगम वित्तीय सहायता देता है, उनको अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारें उनकी विस्तृत जांच करती हैं, निगम द्वारा विचार के लिये औपचारिक आवेदन पत्रों की संख्या अभी तक सीमित रही है। तथापि, आशा है कि जब राज्य सरकारें कुछ प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं की जांच पूरी कर लेंगी तो अधिक ऋण मंजूर किये जा सकेंगे और उनका उपयोग किया जा सकेगा।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

११०३. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४–६५ में पंजाब में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितना समय रखा गया है; और

(ग) तृतीय योजना काल में पंजाब राज्य में अब तक कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) ४ ।

(ख) प्रत्येक अवस्था १ खंड के योजना प्रधान आयव्ययक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये ४०,००० रु० के उपबन्ध के अतिरिक्त राज्य की स्वास्थ्य योजना में अवस्था १ खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये ७०,००० रु० की राशि निर्धारित की गई है ।

(ग) ५७ ।

Centrally Sponsored Health Schemes In Punjab

1104. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) the extent and nature of aid given by Central Government to the Punjab Government for the Centrally sponsored Health Schemes during 1963-64 ; and

(*b*) the amount of aid proposed to be given for this purpose during 1964-65 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): (*a*) In accordance with the procedure prescribed for payment of Central assistance to State Governments, funds are being released to the State on monthly basis in nine equal monthly instalments as lumpsum ways and means advances by the Central Government during the course of the year. Final payment sanction indicating the adjustment of ways and means advances will be issued towards the close of the current financial year only. The allocations of Central assistance to Punjab State for the Centrally-sponsored Health Schemes during 1963-64 are, however, as under :—

Scheme	Proposed Allocation (Rs. in lakhs)
(1) Post-graduate Medical Education	11·66
(2) Under-graduate Medical Education (Emergency Scheme)	15·50
(3) Town Planning including preparation of Master Plans .	1·20
(4) Family Planning	4·35
(5) Setting up of Special Investigation Division (in Rural areas) for Water Supply	2·58
(6) Control of Trachoma	8·00
TOTAL . . .	43·29

(*b*) The allocations for 1964-65 have not yet been finalised.

पंजाब में होम्योपैथिक चिकित्सालय

११०५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आज तक कितनी और किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : पंजाब के किसी भी होम्योपथिक चिकित्सालय को भारत सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है।

परिवार नियोजन

११०६. डा० प० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की तरह, जब कि विवाहित स्त्री पुरुष ने परिवार नियोजन के तरीके अपना लिये हों और वे तरीके निष्फल रहे हों, गर्भपात को कानूनी रूप से वैध बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में (उपमंत्री डा० द० स० राजू) : (क) इस समय भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर को सहायता

११०७. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कम सहायता दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं। राज्य को १९६१-६२ के लिये जो केन्द्रीय सहायता दी गई है उसमें कोई कमी नहीं हुई है। १९६२-६३ के लिये केवल अनन्तिम भुगतान किये गये हैं और अन्तिम समायोजन अभी पूरे किये जाने हैं। १९६३-६४ के लिये अभी तक किसी भी विकास के शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की कोई अन्तिम मंजूरी नहीं की गई है; परन्तु अर्थोपाय पेशगियां दे दी गई हैं और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अनन्तिम भुगतान किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Leprosy

1108. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Mr. Raoul Follereau, Persident of the Order of Charity, Paris and a member of the French Academy of Overseas Sciences and an expert on leprosy has come to India and had an interview with the Health Minister in February, 1964; and

(*b*) the advice offered by the visiting expert on leprosy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju) : (*a*) Mr. Raoul Follereau of the French Academy of Overseas Sciences and

President of the Order of the Charity, Paris, paid a visit to India from the 27th January, 1964 to the 20th February, 1964. During his short stay of three days in Delhi, he paid a courtesy visit to the Union Health Minister.

(*b*) No serious discussion took place during that visit on any of the aspects of leprosy problem.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली

११०९. श्री काशीराम गुप्त :
श्री बड़े :
श्री लहरी सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३ में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के 'आपरेशन थियेटर' से शल्य उपकरण चोरी चले गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित चोरी के पुलिस प्रतिवेदन में वस्तुओं का मूल्य २०,००० रु० दिखाया गया था; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस को शुरू में जो सूचना दी गई थी उसके अनुसार लापता वस्तुओं का मूल्य १५,१२७.०७ रु० लगाया गया था। अग्रेतर विभागीय जांच के परिणामस्वरूप शल्य उपकरणों/लापता उपकरणों का मूल्य ६,३९६.०२ रु० लगाया गया था। इस बीच पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है।

(ग) मामल की पुलिस अभी भी जांच कर रही है और उसके परिणाम की प्रतीक्षा है।

Vaccination In Delhi Schools

1110. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that inoculation of smallpox vaccines has been made compulsory for children before admission to schools in Delhi ; and

(*b*) if so, the places, besides Delhi where this Scheme has been enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Rau) : (*a*) Smallpox vaccination has not been made compulsory in Delhi. However, the Delhi Administration had requested local bodies in Delhi and also all Heads of Government and Government-aided Schools to ask for a vaccination certificate from children before admission to schools. If the parents cannot produce the vaccination Certificate immediately, the child is not refused admission but is given three months' time to produce the certificate.

(b) A statement showing the required information is attached.

Statement

Serial No.	Name of the State/Union Territory	Whether vaccination against smallpox is compulsory
1	Andhra Pradesh .	No. However, school authorities are informed to get the students regularly vaccinated and to facilitate this vaccinating staff are sent to schools.
2	Kerala . . .	Vaccination is compulsory for children before their admission to schools.
3	Maharashtra .	Smallpox vaccination has not been made compulsory for children before admission to schools in Maharashtra State.
4	Madhya Pradesh .	No. It may, however, be added that compulsory vaccination can be introduced under the Madhya Pradesh emergency Cholera & Smallpox Regulations, 1963.
5	Orissa	No such scheme is enforced.
6	Punjab . .	It is binding on the parents to see that the primary vaccination is done in respect of the child born to them within a period of six months of his/her birth. If possible a revaccination may also be done prior to entering the school going age. Instructions have been issued to Inspectors/Inspectresses of schools and Principals of the Government Training College in the State that the schools should insist on the production of a certificate of vaccination and revaccination before admission to a Nursery/Primary schools and on second revaccination before the student finishes his/her primary education and join the Secondary Schools i.e. at the ages of 5 and 10.
Union Territories		
1	Himachal Pradesh . .	No scheme.
2	Goa . .	Children are admitted to schools only after the production of vaccine certificates.
3	Laccadive Islands . .	Instructions have been issued to schools to insist on vaccination certificates before admission.
4	Tripura . . .	Vaccination of school children is compulsory in practice.
5	Manipur . . .	No such scheme is enforced.

No replies have been received from the remaining State Governments/Union territories.

दरदामो घाटी निगम

१११९. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जहां तक बिहार और पश्चिमी बंगाल दोनों राज्यों में दामोदर घाटी निगम क्षेत्र का सम्बन्ध है, दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत् दर सम्बन्धी किस नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या उनमें कोई निकट समन्वय नहीं है;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम की बिजली की दरें काफी कम नहीं हैं जिस से कि वितरक सस्ती दरों पर बिजली का वितरण कर सकें; और

(घ) दामोदर घाटी निगम का युक्तिसंगत लाभ क्या है और अखिल भारतीय स्तर से उसकी क्या तुलना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दामोदर घाटी निगम की विद्युत् संभरण दर सम्बन्धी नीति दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा २० के उपबन्धों पर आधारित है। उसके अन्तर्गत विद्युत् संभरण की दर सूची निर्धारित करने की शक्ति निगम को प्राप्त है। इस दर में थोक संभरण और फुटकर वितरण की दरें भी शामिल हैं तथा इसके अन्तर्गत वे शर्तें और निबंधन भी लगाई जा सकती हैं जिन्हें बिजली के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए निगम आवश्यक अथवा वांछनीय समझे। दामोदर घाटी निगम द्वारा जिस दर सम्बन्धी नीति का पालन किया जाता है वह यह है कि कई वर्षों में बिजली के विक्रय से जो राजस्व प्राप्त हो उससे ब्याज का भार, टूट फूट और मशीनों को चलाने और संधारण की लागतें पूरी हो जायें और थोड़ा सा पैसा पूंजी बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिये भी बच जाये। दामोदर घाटी निगम की शुल्क पद्धति समस्त सेवा क्षेत्र में एक समान है। दामोदर घाटी निगम दो राज्य विद्युत् बोर्डों को बड़ी मात्रा में बिजली देता है। दामोदर घाटी निगम इस समय प्रयोग में लाई हुई पूंजी पर ६ प्रतिशत से ७ प्रतिशत तक लाभ अर्जित कर रहा है।

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बिजली संभरण के व्यापार की देख भाल, दामोदर घाटी निगम के अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों के विद्युत् बोर्डों द्वारा की जा रही है। विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ की धारा ५९ के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि जहां तक व्यवहार्य हो, राज्य के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हेतु ऋण प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड अपना काम इस ढंग से चलायें कि उन्हें हानि न हो और इस प्रयोजन के लिये उन से आशा की जाती है कि वे समय समय पर अपने खर्चों का समायोजन करें।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संविहित उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम और विद्युत् बोर्डों को, जैसा वे उचित समझें, अपनी दर सम्बन्धी नीति बनाने की स्वतन्त्रता है और उनमें समन्वय का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि बोर्डों की शुल्क पद्धतियों को दामोदर घाटी निगम से खरीदी हुई बिजली की लागत को हिसाब में लेना पड़ता है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में दी गई नीति को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम के लिये बिजली की दरों को कम करना सम्भव नहीं हो सका है। दोनों राज्य विद्युत् बोर्डों से

दामोदर घाटी निगम द्वारा अर्जित राजस्व का औसत १९६१–६२ से १९६३–६४ में ५.४ नये पैसे से ५.६ नये पैसे प्रति किलोवाट घंटा (के० डब्ल्यू० एच०) है। थोक क्रेताओं द्वारा मितव्ययतायुक्त वितरण की दृष्टि से यह अधिक ऊंची नहीं है।

(घ) लगाई हुई पूंजी की विशुद्ध लागत पर दामोदर घाटी निगम को इस समय ६ प्रतिशत से ७ प्रतिशत के बीच आय है। सरकारी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत् उपक्रम के लिये दर सम्बन्धी कोई अखिल भारत प्रमाण नहीं है।

पलाई सेन्ट्रल बैंक (समापन)

१११२. **श्री प० कुन्हन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पलाई सेंट्रल बैंक के परिसमापक के पास कुल शुद्ध राशि कितनी है;

(ख) खातेदारों को अब तक कुल कितनी राशि लाभांश के रूप में वितरित की गई है;

(ग) अगला लाभांश कब दिये जाने की आशा है; और

(घ) बैंक के निदेशकों के विरुद्ध न्यायालय की कार्यवाही के परिणामस्वरूप यदि कोई राशि वसूल की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सि० सु०कृष्णमाचारी) : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार २८ फरवरी, १९६४ को सरकारी समापक के पास ३०.६२ लाख रु० की शुद्ध राशि थी।

(ख) २८ फरवरी, १९६४ तक लगभग ४६३ लाख रू० की राशि खातेदारों को दे दी गई है। समवाय परिसमापन लेखे में २३ लाख रुपये की अतिरिक्त रकम दी गई है यह उस रकम का प्रतीक है जो खातेदारों को देय है और अब तक मांगी नहीं गई है।

(ग) समापक को और लाभांश की घोषणा के सम्बन्ध में इस वर्ष के मध्य में उच्च न्यायालय के आदेश लेने पड़ेंगे।

(घ) निदेशकों और उनके संबंधियों से ४२ लाख रु० की जो पेशगियां लेनी हैं उन में से ८.९१ लाख रु० की राशि अभी तक वसूल की जा चुकी है। बैंक को २८९ लाख रु० की जो हानि हुई उसके सम्बन्ध में अपकरण[1] का आवेदन पत्र उच्चन्यायालय के सामने लम्बित पड़ा है।

कार से बरामद किये गये पटाखे

१११३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ फरवरी, १९६४ को हापुड़ में एक कार से जो ३ पटाखों के बरामद होने का समाचार मिला था क्या विस्फोटक पदार्थों के निरीक्षक को उनकी जांच करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

[1]Misfeasance

(ग) जांच के लिये जो तीन वस्तुएं प्राप्त हुई थीं उनमें से एक फेंकने वाला बड़ा पटाखा था जिसमें निषिद्ध विस्फोटक मिश्रण था। अन्य दो, देसी बम थे जिनके फट जाने पर जान को खतरा हो सकता था ।

आसाम में लोहे की नालीदार चादरों की कमी

१११४. श्री रा० बरुआ : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मकानों की छतों के लिये लोहे की नालीदार चादरों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए क्या उसके स्थान पर काम आने वाली किसी ऐसी वस्तु का पता लगाया जा रहा है जिसे लोग आसानी से खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय निर्माण संगठन द्वारा आसाम सरकार को, डामर—तेल शोधक कारखाने का उपोत्पाद[1]—से अस्फाल्ट की नालीदार चादरों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने के लिये, एक योजना भेजी गई थी। यह ज्ञात नहीं है कि आसाम सरकार ने योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये हैं। दो गैर सरकारी सार्थों को भी उनके निर्माण के लिये लाइसेंस दिए गए हैं। आशा है कि सामान तैयार होने पर लोग उसे आसानी से खरीद सकेंगे।

Unauthorised use of Power

1115. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to instal limiters to check unauthorised use of power ;

(b) if so, whether this instrument will be imported; and

(c) if so, the name of the country from which it will be imported ;

The Minister of Irrigation & Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No. (b) & (c).—Do not arise.

पंजाब में आयकर का निर्धारण

१११६. श्री दलजीत सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष में दिसम्बर, १९६३ तक पंजाब में आयकर का कुल निर्धारण कितना किया गया था; और

(ख) इस अवधि में कितनी वसूली हुई तथा बकाया धन की उगाही के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

[1]Bye-product

तम्बाकू की अनधिकृत खेती

१११७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में तम्बाकू की अनधिकृत खेती के कितने मामलों का पता लगा ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया और दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० न० कृष्णमाचारी) : (क) खेती के लिये अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है केवल खेती करने वाले को क्षेत्र की घोषणा करनी पड़ती है। १९६३ में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में तम्बाकू की अनधिकृत खेती के १९५४ मामले पकड़े गये।

(ख) किसी भी किसान को न्यायालय में नहीं ले जाया गया। जिन तम्बाकू साफ करने वालों ने अनधिकृत तम्बाकू की सफाई की है उनके विरुद्ध मामला विभागीय न्यायाधिकरण के लिये सौंप दिया गया है।

नोटों की नई ऋंखला

१११८. श्री राम हरख यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोटों की नई ऋंखला जारी करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी कितनी मुद्रा के हैं ; और

(ग) इनके सार्वजनिक रूप से चलने की कब तक आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० न० कृष्णमाचारी): (क) संविधान की आठवीं अनुसूची में बताई गई चौदह भाषाओं में छाप कर नोटों की नई ऋंखला जारी की जा रही है।

(ख) नई ऋंखला चालू मुद्राओं की ही होगी।

(ग) नई ऋंखला १ रुपया, २ रुपये, १० रुपये तथा १०० रुपये की परिचालित करदी गई है तथा ५ रुपये तथा १००० रुपये की नई ऋंखला ३१-३-१९६४ तक चालू हो जावेगी तथा ५००० और १०००० रुपये के नोटों की ऋंखला जारी करने के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ?

मनीपुर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये सीटों का रिजर्वेशन

१११९. श्री रिशांग किशिंग : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ के विद्या सम्बन्धी वर्ष में मनीपुर में प्री मेडिकल तथा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रमों के लिये कितनी सीटें रिजर्व हैं ;

(ख) अब तक कितनी रिजर्व सीटें भर दी गई हैं ; और

(ग) रिजर्व सीटों को न भरने के यदि कोई कारण हैं तो क्या ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) बिना मैडिकल कालिज वाले संघ राज्य क्षेत्रों की चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधा देने की भारत सरकार की योजना के अधीन १९६३-६४ के वर्ष में मनीपुर के विद्यार्थियों के लिये १० सीटें एम०बी०बी०एस० तथा २० सीटें प्री मैडिकल के लिये अस्थायी तौर पर आवंटित कर दी थीं।

(ख) सभी १० एम० बी० बी० एस० सीटें भर दी गई थीं परन्तु २० प्री मेडिकल सीटों में से मनीपुर के विद्यार्थियों ने केवल १० का लाभ उठाया।

(ग) विद्या सम्बन्धी वर्ष के जून जुलाई में अध्ययन शुरू होता है तभी योजना के अधीन चुनाव तथा निर्देशन होता है। मनीपुर के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा के परिणाम अगस्त के तीसरे सप्ताह से पहले मालूम नहीं होंगे। इस लिये खाली पड़ी प्री मैडिकल सीटें अन्य विद्यार्थियों को दे दी गईं क्योंकि अर्हता प्राप्त तथा योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर नतीजों की घोषणा के बारे में शिक्षा मंत्रालय को लिखा गया है।

मनीपुर का विकास

११२०. श्री रिशांग किशिंग : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ के लिये मनीपुर की विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कितनी निधि का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) अब तक कितना प्रतिशत धन व्यय किया गया है ;

(ग) क्या बिना खर्च किया गया धन व्ययगत हो जाएगा और वापस दे दिया जायेगा अथवा अगले वित्तीय वर्ष के लिये कर दिया जायेगा ; और

(घ) योजना को अनुसूची के अनुसार चालू न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). १९६३-६४ के लिये स्वीकृत वार्षिक योजना व्यय ३१६.९ लाख रुपये है। लगभग ९९.५ प्रतिशत स्वीकृत धन व्यय हो जाने की संभावना है।

(ग) स्वीकृत पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं पर व्यय किये गये धन में से शेष धन का ध्यान करके वार्षिक योजना व्यय की व्यवस्था की जायेगी।

(घ) विद्युत् योजना, करमलोक के अधीन लगभग ८ लाख रुपये की कमी आने का अनुमान है। क्रियान्विति से पूर्व इसकी और जांच की आवश्यकता है।

दिल्ली में मकान बनाने वालों के लिये सुविधायें

११२१. श्री राम हरख यादव : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में मकान बनाने वालों को और अधिक रियायतें तथा सुविधायें देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री महर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) सरकार निम्न लिखित सुविधायें दे रही है :

(एक)-मकान बनाने वालों को दिल्ली प्रशासन ने कुछ नीलामी के द्वारा तथा कुछ लाट डाल कर विकसित प्लाट दिए हैं। लाट डालकर अल्प आय वर्ग के लोकों को ही प्लाट दिए हैं। १९६५ के अन्त तक लगभग १०००० विकसित प्लाट उपलब्ध किए जाने की संभावना है। इसके साथ साथ सहकारी आवास निर्माण समितियों को अविकसित भूमि आवंटित की जा रही है और आशा है कि १९६४ के अन्त तक लगभग ८००० प्लाटों का विकास हो जायेगा।

(दो) नगर निगम ने नक्शों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सुधार कर दिया है तथा उपविधियों को भी उदार बनाने का विचार है जिससे कि वृहद योजना के अधीन अधिक छपे हुए स्थान रखने की अनुमति मिल जाये ।

(तीन) अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन आवास निर्माण ऋण भी दिया जा रहा है । १९६३–६४ में अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन ४३ लाख रुपया देने की तथा मध्यम वर्ग आवास योजना के अधीन ५२ लाख रुपये देने की सम्भावना है । वित्तीय सहायता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अल्प आय वर्ग आवास योजना के दिल्ली को तीसरी योजना के उपबन्ध १२५ लाख रुपये से बढ़ा कर २१५ लाख रुपये कर दिए गए हैं ।

(चार) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति की आवश्यकता पूरी करने के बाद दिल्ली प्रशासन सीमेंट और इस्पात का शेष आवंटन गैर सरकारी मकान निर्माताओं को दे देता है ।

केरल में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

*११२२. श्री प० कुन्हन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों को सेवामुक्त करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). इस समय केरल में चालू १४.५ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में से १३.५ यूनिटों ने मलेरिया उन्मूलन काम पूरा कर लिया है और अब संधारण कार्य कर रहा है । १ अप्रैल, १९६४ से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये इन १३.५ यूनिटों के कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी । मलेरिया से छुटकारा कार्यों को चलाने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की सामान्य स्वास्थ्य सेवा पर है ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को संधारण स्थिति में लाने के उपायों पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक विशेष समिति गठित की है जिसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । समिति ने सुझाव दिया है कि संधारण स्थिति में निगरानी के कार्य ग्रामीण डिस्पेंसरियों तथा प्राइमरी हैल्थ सेंटरों द्वारा जहां पर आवश्यक हो वहां पर कराये जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को शक्तिशाली बनाया जाये जिससे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार नियोजन आदि के कारण जो कार्य हुआ है उसमें प्रगति हो । उसने यह भी सिफारिश की है कि इसके लिये आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अनुभवी कर्मचारियों में से की जानी चाहिए । विशेष समिति की सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है ।

केरल में कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना

११२३. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य में कुष्ठ रोग नियंत्रण योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केरल सरकार को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार की सहायता दी गई है;

(ग) सहायता कौन कौन सी योजनाओं के लिए दी गई है; और

(घ) इन योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन तीसरी योजनावधि में केरल में निम्नलिखित योजनाओं के लिए उपबन्ध किया गया है :—

(एक) १०० सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों की स्थापना । प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष ५,४७० रुपये आवर्त्तक तथा २०० रुपये अनावर्त्तक व्यय होने का अनुमान है ।

(दो) वार्षिक अनुमानित आवर्त्तक व्यय पर १.०१ लाख रुपये तथा अनावर्त्तक १.३२ लाख रुपये पर कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र की स्थापना ।

(तीन) अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना—अनुमानित व्यय ७८,५०० रुपये आवर्त्तक तथा २,११,७२० रुपये अनावर्त्तक ।

कुष्ठ रोग निवारण योजनाओं के लिये तीसरी योजना में केन्द्रीय सहायता का ८५ प्रतिशत अनावर्त्तक व्यय तथा ५० प्रतिशत आवर्त्तक व्यय निश्चित है ।

केरल सरकार ने कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र तथा योजना में अर्द्ध चिकित्सा कमचारियों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिया है तथा सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार के १०० केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था जिसमें से ८९ स्थापित कर दिये गये हैं । आशा है कि लक्ष्य योजनावधि में पूरे हो जायेंगे ।

कार्यक्रम की प्रगति

प्रशिक्षण केन्द्र :

अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र मरारीकुलम में अक्तूबर, १९६३ तक १७७ अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है । इन सभी अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम के अधीन सेवा में नियुक्त कर लिया गया है ।

१५१. सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों द्वारा किया गया काम :

(दूसरी योजना में स्थापित ६२ केन्द्रों समेत)

१. कुल जन संख्या	३२ लाख
२. जांच किये गये लोग . . .	१८ लाख
३. रोगी पाये गये	८,२२९
४. परियोजना क्षेत्र से उपचार के लिये रजिस्टर्ड रोगी . .	४,२२९
५. परियोजना क्षेत्र से बाहर के उपचार के लिए रजिस्टर्ड रोगी .	५,७५४
६. कुल रजिस्टर्ड रोगी	१३,९८३

केन्द्रीय सहायता के बारे में यह बताया जा सकता है कि राज्य योजना तथा केन्द्र द्वारा संचालित 'स्वास्थ्य' योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया में १९५८-५९ में परिवर्तन कर दिया गया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए योजना-वार निधि का आवंटन नहीं किया गया है परन्तु योजनाओं के वर्गों तथा श्रेणियों के प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनुदान स्वीकार किया गया है। वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई वर्ष के दौरान नौ बराबर किश्तों में राज्य सरकारों को दे दिया गया है। तीसरी योजना की कुष्ठ रोग निवारण योजनाओं समेत सभी राज्य योजनाओं (अर्थात् केन्द्र सहायता योजनायें) के पहले दो वर्षों में केरल सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे बतायी जाती हैं :

	स्वीकृत अनुदान
१९६१-६२	३६.६४ लाख रुपये
१९६२-६३	६६.०६ लाख रुपये

राज्य सरकार से व्यय का विवरण मिल जाने पर चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य योजनाओं के लिए ९५.७० लाख रुपये आवंटित किये गये थे। जिसके सम्बन्ध में १९६३-६४ में धन दिये जाने के तरीके बताने वाली अन्तिम भुगतान स्वीकृति दी जायेगी।

उपरोक्त सहायता के साथ साथ केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम में भाग लेने वाली निम्न निजी एजेन्सियों को १८,००० रुपये अनावर्तक व्यय तथा १२,८०० रुपये आवर्तक व्यय की दर पर दिये हैं :—

१. डेमियन लैपरोसी इंस्टीट्यूशन, त्रिचूर

२. पूअर लैपरोसी होस्पिटल, शेरताल्लै

३. होली क्रास कंवट, कोट्टियम।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBILC IMPORTANCE

जम्मू क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :--

"जम्मू क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): मैं ने सभा को पहले सूचित किया था कि जम्मू के दक्षिण में २० मील पर, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर, एक कब्रस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयत्न पाकिस्तान करता रहा है। इस क्षेत्र में ५, ६, ७, ९, १० और ११ मार्च को गोली दोनों ओर से चलती रही। ५ मार्च सुबह दस बजे किसी बहाने से पाकिस्तानी फौजी दस्तों ने मार्टरों, हथगोलों, बन्दूकों आदि के साथ गोली चलाई, जो उसी दिन सायंकाल तक समदू मनहसफर, बामुन चक आदि पड़ौसी चौकियों में भी चलने लगी। गोली-वर्षा ६ और ७ तारीख तक चलती रही, ७ तारीख सुबह के समय मुख्य सेना प्रेक्षक उस क्षेत्र में गया। वह हमारे जनरल आफिसर कमांडिंग से मिल कर सियालकोट के लिये रवाना हो गया।

९ मार्च को पाकिस्तानी दस्तों द्वारा उस क्षेत्र में खाइयां खोदनी आरम्भ की गयीं और उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप करने पर भी गोली चलाई।

१० मार्च को फिर पाकिस्तानियों ने गोली वर्षा आरम्भ की। ११ मार्च को भी यही स्थिति रही और धीरे धीरे वह हमारे राज्य-क्षेत्र में काफी अन्दर तक हथगोले फेंकने लगे जिस से वहां के लोगों की जान को खतरा बन गया।

संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल युद्ध-विराम सम्बन्धी कार्यवाही के लिये स्थिति का अध्ययन कर सके इस उद्देश्य से कल सुबह ६.३० बजे से आज दोपहर १२ बजे तक अस्थायी युद्ध-विराम तय हुआ है। इसलिये अब सीमा पर शांति है।

केवल ९ मार्च को हमारे दो असैनिक व्यक्ति मारे गये और एक बालक घायल हो गया था। पाकिस्तानियों के हताहत व्यक्तियों सम्बन्धी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

हमारे फौजी दस्ते जवाबी तौर पर गोली चलाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास शिकायत दर्ज कराई गई है।

कब्रस्तानी क्षेत्र से भिन्न जम्मू के छम्ब क्षेत्र में भी पाकिस्तानियों द्वारा ७/८ मार्च की रात को दो बार हमले किये गये। पहले हमले में उलल्नवाली गांव पर हथगोले फेंके गये जिस के परिणामस्वरूप एक ग्रामीण घायल हुआ और साथ ही ४ पवेशी भी घायल हुए। दूसरा हमला २.३० बजे नावनकांड गांव पर किया गया जिस के परिणामस्वरूप एक ग्रामीण मारा गया और २ अन्य घायल हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमले योजनाबद्ध और संगठित तरीके से किये गये।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि जनवरी से नवम्बर, १९६३ तक पाकिस्तान ने ४६ बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ? और भारत सरकार जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: हम संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह कर रहे हैं कि वह इन प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाये ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न सीधे तौर पर पूछने की बजाय उसे इतना लम्बा कर देते हैं कि कई बार उसका उत्तर देने का ध्यान ही नहीं रहता । इसीलिये मैं अनुरोध करता रहता हूं कि प्रश्न जहां तक हो सके सीधे तौर पर और कम से कम शब्दों में पूछने चाहिएं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Are we not likely to be humilated by Pakistan like china ? Are we strong enough to face Pakistani threats ?

Shri Y. B, Charan : We are fully armed for that.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या यह सच है कि हमारे क्षेत्र में बम्ब फैंके जाने के कारण १०,००० लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, और क्या इसके लिये कोई मुआवजा पाकिस्तान से मांगा गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: इस बारे में मेरे पास निश्चित जानकारी तो नहीं है, परन्तु मैं जानता हूं कि वहां के लोगों ने काफी हौसले से स्थिति का मुकाबला किया है ।

श्री शिव मूर्ति स्वामी कोप्पल : क्या सीमा की रक्षा का काम सेना के सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अब सेना भी रक्षा का कार्य कर रही है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : काश्मीर विधान सभा में दिये गये इस कथन में कहां तक सच्चाई है कि पाकिस्तानी दस्तों ने भारतीय राज्य-क्षेत्र का ४००० से ६००० वर्ग मील क्षेत्र कब्जे में कर लिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: वहां पर यह कहा गया था कि गोली आदि का प्रभाव ४००० से ६००० वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I want to know also why does the Government not place the information regarding the casualties suffered by Pakistanis on the Table of this House, so as to boost the courage of the nation ? Why the acts of valour, on the part of our soldiers, not made public ?

Mr. Speaker : It is difficult to know the damage and casualties suffered on the other side.

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : इन घटनाओं के दौरान क्या कोई पाकिस्तानी कर्मचारी पकड़े गये अथवा कोई शस्त्रास्त्र पकड़े गये और, यदि हां, तो पूछताछ करने पर अथवा शस्त्रास्त्र की जांच करने पर यह मालूम पड़ा कि पाकिस्तान द्वारा चीनी शस्त्रास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मृत व्यक्तियों को तो वह छोड़ कर गये हैं। कैदी हम ने कोई नहीं बनाया इसलिये पूछताछ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कुछ कारतूस भी प्राप्त किए गये थे।

श्री हेम बरुआ: एक औचित्य का प्रश्न। अभी माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में किया गया कब्रस्तानी क्षेत्र बहुत छोटा सा है। मैं नहीं चाहता कि संसार में यह धारणा बने कि सरकार उस क्षेत्र की चिन्ता नहीं करती चूंकि यह छोटा सा क्षेत्र है। माननीय मंत्री ने स्थिति की गम्भीरता को कम करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय अधिनियम की कार्यान्विति तथा प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से (१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३८ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिये उक्त अधिनियम की कार्यान्विति तथा प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये, संख्या एल० टी० २५१०/६४)।

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या २५४।

(दो) दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या २६६।

(तीन) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या २९३।

(चार) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३१।

(पांच) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३२।

(छै) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३३।

(सात) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३४।

(आठ) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३५।

(नौ) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३६।

(दस) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३७।

(ग्यारह) दिनांक १ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३३८।

(पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—२५११/६४)।

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५५ की एक प्रति ।

(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०--२५१२/६४) ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २६ फरवरी, १९४४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२५१३/६४) ।

सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं (५) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :--

(एक) दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६५९ में प्रकाशित दादरा और नगर हवेली तथा गोआ, दमन और दीव (कराधान रियायतें) आदेश, १९६४ ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२५१४/६४) ।

(दो) दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६६० में प्रकाशित पांडिचेरी (कराधान रियायतें) आदेश, १९६४ ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२५१५/६४) ।

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMAND FOR GRANTS—*contd.*

शिक्षा मंत्रालय

श्री बैरो (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : अब ऐसा समय आ गया है जब कि शिक्षा के सम्बन्ध में सारे राष्ट्र की एक समान नीति होनी चाहिए और इस क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य होना चाहिए । भावात्मक एकीकरण समिति ने भी यही सुझाव दिया था कि शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय नीति का अनुसरण सारे देश में होना चाहिए । इस उद्देश्य से शिक्षा को समवर्ती सूची पर लाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जो समिति श्री श्रीमाली द्वारा डा० सप्रू की अध्यक्षता में स्थापित की थी उसका प्रतिवेदन क्या प्रस्तुत हो गया है और यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

अनुदान देते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुख्य आधार राष्ट्रीय नीति को ही माना जाये ।

आज प्रादेशिक नीतियों के कारण हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में विद्वत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आये। इसके लिये मैं सुझाव देता हूं कि शिक्षा स्तर सम्बन्धी एक आयोग नियुक्त किया जाय। इस आयोग के कारण विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कोई बाधा नहीं आयेगी। यह आयोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्वत्ता के स्तर का मूल्यांकन करेगा। इस आयोग में देश के प्रसिद्ध विद्वान होने चाहिए जो यह देखें कि पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में क्या त्रुटियां पाई जाती हैं। यह आयोग इस बारे में भी अध्ययन करे कि शिक्षा संस्थाओं में काम किस प्रकार होता है। जो संस्थाय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करती हों उन्हें "स्टेटस सिम्बल" दिया जाय।

वर्ष १९५४–५५ से १९६२–६३ तक विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो गयी। मैं मानता हूं कि अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है परन्तु जिस प्रकार पिछले वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी गयी उस से मैं सहमत नहीं हूं। पिछले वर्ष जिन विद्यार्थियों ने हायर सैकेंडरी परीक्षा ४० प्रतिशत नम्बर ले कर पास की थी उन्हें भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गयी। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जायें और विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले ८० प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तियां पाते हों। इस प्रकार हम स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकते हैं। शेष २० प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हों जो शिक्षा के साथ साथ खेल-कूद के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हों। यदि हम इस नीति का अनुसरण करें तो विश्वविद्यालयों में भीड़ कम की जा सकती है।

गत नवम्बर के उपकुलपतियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह ख्याल जाहिर किया गया था कि बहुप्रयोजनीय स्कूलों में तकनीकी सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जाता। मैं स्वयं एक ऐसे स्कूल से सम्बद्ध था और मैं ने केन्द्रीय सरकार को बताया कि हम जूनियर तकनीकी पाठ्यक्रम को लागू करना चाहेंगे। सरकार ने बताया कि मैं राज्य सरकार से बात करूं। राज्य सरकार से बात करने पर उत्तर मिला कि उन्हें केन्द्र की ओर से इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें प्राप्त नहीं हुई।

आय-व्ययक में देश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये जो राशि रखी गयी है वह सर्वथा अपर्याप्त है। यह वचन दिया गया था कि तीसरी योजना की अवधि में ३७ करोड़ रुपये छात्रवृत्तियों के रूप में दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ?

स्कूलों में एटलसों की भी बहुत कमी है। वर्ष १९६१ के संस्करण के पश्चात् कोई एटलस प्रकाशित नहीं की गयीं। एटलस सम्बन्धी दो बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए : एक तो यह कि यह आसानी से उपलब्ध हों और दूसरे कि एटलस में भारत के मानचित्रों की संख्या सर्वेक्षण विभाग की सहायता से कम की जाय।

त्रै-भाषा सूत्र को मैं आवश्यक मानता हूं परन्तु मेरा सुझाव है कि अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों को हिन्दी रोमन लिपि के जरिये सीखने की अनुमति की जाय।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक उन्नति की गति को बढ़ाने तथा सामाजिक समानता एवं न्याय का वातावरण पैदा करने का है। इसके लिये जब तक लोगों को समुचित ढंग से शिक्षित नहीं किया जाएगा, प्रगति की आशा सम्भव नहीं।

[श्रीमती रेणुका राय]

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में शिक्षा के स्तर को सुधारने की ओर अधिक ध्यान देने का आश्वासन दिया गया है। परन्तु यह नहीं कहा गया कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा किसानों को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिये किसानों को समुचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ।

सिद्धांत के रूप में शिक्षा का महत्व तो स्वीकार किया जाता है, परन्तु व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। शिक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन विद्यार्थियों की संख्या से आंकड़ों के कारण आशावादी है। निस्संदेह ६ से ११ आयु वर्ग के लड़कों की संख्या स्कूलों में बढ़ी है। परन्तु उस शिक्षा का स्तर बहुत कम है। शिक्षा की दृष्टि में पिछड़े राज्यों में प्रवेश संख्या भी कम है और शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है ।

देश में शिक्षा पर बहुत अधिक फिजूल खर्ची या छीजन होता है। ६ से १४ वर्ष के वर्ग, बालकों को शिक्षा देने की संविधानिक गारंटी होते हुए भी, हम इस समय यह सोच रहे हैं कि हम ६ से ११ वर्ग तक तीसरी योजना के अन्त तक पूरा करेंगे, और ११ से १४ तक केवल ३२ प्रतिशत होंगे। शिक्षा का उपयोग ६ से १४ में आयु वर्ग के लिये किया जाना चाहिये।

देखना यह है कि कितने बच्चे ११ वर्ष की आयु तक स्कूलों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची श्रेणियों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रह जाती है। इस कारण भी शिक्षा की बर्बादी होती है ।

श्री मसानी सदा राजकीय मुनाफाखोरों और राजकीय एकाधिकार का विरोध करते है, परन्तु वह यह भूल जाते हैं—सरकार जनता की ओर से यह काम करती है और गैर सरकारी लोग निजी लाभ के लिए वैसा करते हैं। जब तक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन राज्य द्वारा नहीं किया जाता, घोटाले समाप्त नहीं हो सकते। मुदालियर समिति का भी यह मत था। वर्तमान स्थिति में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं, परन्तु गैर सरकारी लोगों के हाथों में यह काम देना अत्यधिक भयानक है।

मेरे राज्य में कुछ माध्यमिक स्कूल खुले हैं। अतः सभी राज्यों में वर्तमान नीति को कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिये। अध्यापकों की कमी तो है, और इसी कारण बहु प्रयोजनीय स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा नहीं चलती। इसके लिये विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिये।

केवल साक्षरता पर्याप्त नहीं। शिक्षा का गुण प्रसार भी ऊंचा उठाना चाहिए। जब तक शताब्दियों में से संग्रहीत ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव का मूल्य लोगों को मालूम नहीं होता, शिक्षा का महत्व कम हो जाता है। अतः प्रारंभ से ही, हमें शिक्षा की किस्म को सुधारना चाहिये, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ।

शिक्षा मंत्रालय अध्यापकों की हालत को सुधारने के लिये प्रयत्नशील है। परन्तु हमें समूची समस्या के संबंध में अपने दृष्टिकोण में क्रान्ति लानी चाहिये। अध्यापकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये क्या किया गया है ? जब तक अध्यापक की आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों के प्रशासक के बराबर नहीं की जाती, शिक्षा में कोई सुधार नहीं आ सकता। आशा है कि नये शिक्षा मंत्री वांछित परिवर्तन लाने के लिये अपने सहयोगियों, अन्य मंत्रियों को प्रभावित कर सकेंगे। बुनियादी स्कूल अध्यापकों के वेतन डाकियों के वेतन से भी कम हैं। फिर हम किस प्रकार योग्य तथा प्रतिभावान लोगों को अध्यापक के व्यवसाय की ओर आकर्षित कर सकते हैं ?

पिछड़ी हुई जातियों तथा वर्गों के लोगों में निरक्षरता अथवा अशिक्षा बहुत व्यापक है। समाज कल्याण की दिशा में काफी काम नहीं किया गया। समाज कल्याण के लिये विशेष निधियों की व्यवस्था तो की जाती है, परन्तु फिर भी हमारी प्रगति की गति बहुत ही धीमी रहती है। अतः समाज कल्याण और शिक्षा का एक मंत्रालय होना चाहिये और सभी राज्यों में एक ही व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिये ।

हम मनुष्य के मन को शिक्षित करने की अपेक्षा इस्पात तथा अन्य कारखानों की स्थापना पर अधिक जोर देते है। परन्तु उन कारखानों को आखिरकार चलायेंगे तो मनुष्य ही। अतः हमें इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये ।

क्षेत्रीय काम करने वाले प्रशासकों को समाज कल्याण का कुछ प्रशिक्षण प्राप्त होता है। परन्तु चोटी पर बैठे हुए लोगों के सही विचार नहीं होते, जो उन का मार्ग दर्शन करते हैं। केन्द्र तथा राज्यों में गृह तथा वित्त मंत्रालयों का प्रभुत्व रहता है और शिक्षा को समुपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं होता। हमें शिक्षा को उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिये माध्यम बनाना चाहिये और इस के लिये प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना, प्रतिभावान अध्यापक रखना जरूरी है। शिक्षा का विषय समवर्ती सूचि में होना चाहिये, यदि हमें समाजवाद राज्य का निर्माण करना हो और शिक्षा को उसका उचित स्थान देना है। तभी समाज में जागृति पूर्ण परिवर्तन लाना संभव होगा, अन्यथा नहीं।

श्री त्यागी (देहरादून): मैं मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण पद पर आने के लिये धन्यबाद देता हूं। वह ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। मैं प्रारंभ में उनसे एक आग्रह करूंगा कि वह सरकार में नवीन वातावरण ले कर आयें हैं। सरकार की यह प्रवृति बन गई है कि विरोधी पक्षों या मंत्रियों से भिन्न अन्य सदस्यों के सुझावों को न मानें। जो चिन्ता का विषय है। शिक्षा का संबंध सब से बराबर है। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं। अतः वह जज के नाते निजी रूचि आदि की परवा किये बिना उन सब सुझावों पर समुचित ढंग से विचार करें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

आज शिक्षा के क्षेत्र में धर्म या नैतिक आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। धर्म का उद्देश्य भी नैतिक आदर्शों को व्यवहार में लाना है। जब तक छात्रों में वह धार्मिक या नैतिक दृष्टिकोण या आदर्श नहीं आयेगा, हम शिक्षा को वास्तविक शिक्षा का रूप नहीं दे सकेंगे। नैतिक शिक्षा के लिए स्कूल बेकार हैं। क्योंकि केवल लिखना और पढ़ना ही शिक्षा नहीं होती ।

इसकी कठिनाई यह है कि शिक्षा संस्थाओं में राजनीति का समावेश हो रहा है, और उसके कारण शिक्षा तथा संस्थाओं का वातावरण शिक्षा के अनुकूल नहीं रहा। हमें राजनीति को शिक्षा के क्षेत्र से निकालना चाहिये, क्योंकि नैतिक दृष्टिकोण के बिना राजनीति कार्य की विरोधी होती है। हमें शिक्षण संस्थाओं के वातावरण में आमूल परिवर्तन करने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालयों की परिषदों और समितियों के लिये निर्वाचन हों, लोग बारी बारी से लिये जाएं और अध्यापक निर्वाचनों में अपना आदर्श उपस्थित करें। अध्यापकों पर संसद आदि के निर्वाचनों, में अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान प्रतिबंध होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित की जानी चाहिये । अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिये ।

[श्री त्यागी]

समाज कल्याण बोर्ड पंजीबद्ध संस्था नहीं और उसको दिये गये धन का कोई लेखा जोखा लोक लेखा समिति के सामने नहीं आता। यह गलत बात है। ११ करोड़ ३२ लाख की राशि शिक्षा मंत्रालय द्वारा तथा कुछ अन्य मंत्रालयों द्वारा और राशि उस बोर्ड को दी जाती है। यह संस्था कई कामों को दोहरा करती है जो अन्य मंत्रालयों द्वारा किये जाते हैं। अतः मंत्री जी इस स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान दें।

यह संस्था गैर सरकारी सदस्यों की है—उप चुनाव का कोई आधार हमें मालूम नहीं, यह अनुदान भी देती है। इतनी बड़ी राशि के व्यय के बारे में सरकार तथा वित्त मंत्रालय की कोई मंजूरी नहीं होती। गैर सरकारी पक्षों के हाथों में इतनी भारी राशि देना सर्वथा अनुचित है। अतः इसको रोकना चाहिये।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Inspite of the fact that we achieved independence seventeen years before, no real progress has been made in the field of education and Hindi has not been made the official language of the Country. Instead corruption, Hindi-English clash, fashion and obscene literature has increased during the post Independence period. This is really an alarming situation before the nation.

The department of scientific research has been shifted from so many ministries and again merged with Education. There shall be a separate Ministry for Scientific Research as in U. K, U. A. R, Germany, etc. If it is to be kept with education, the ministry should be redesignated as Education and Scientific Research

Because of the conflict between the Centre and States regarding subjects, education could not be attended to properly, free education, as promised, could not be provided for children. In spite of heavy money spent on education the standard of education has not shown improvement. On the other hand the standard and quality of education has recorded tremendous deterioration. The results of Secondary and Intermediate show pass per centage upto 50%? As a consequence there is national loss. Teachers indulge in tutions and pay little attention in schools. That is also responsible for low results.

It is the duty of the Centre to develop teaching of Hindi. No doubt there is increase in admission of students, but the quality of education is poor.

There is big number of students, both boys and girls in primary schools. But there are no buildings for the schools and there is insufficient number of teachers, and these are also paid very meagre pay. I cannot understand how teachers can pull on with such a meagre salary. The number of girl students in schools is not much. Proper attention should be paid towards the education of girls.

The responsibility of Intermediate education should vest in States and that of higher education should vest in the Centre. Suitable amendment should be made in the Constitution.

Stand of Universities under Central control is higher than that state Universities. This difference should be removed.

There should be uniform pattern of secondary education, whether it may be secondary or higher secondary. But there should not be difference in the states. The whole system of education should be revolutionised as in Italy, and qualified persons should be provided with employment.

From the figures of provisions made for education it will be apparent that the increase is only 8%, while the increase in population is 22%? This gap will have to be lessened to the minimum. The number of illiterate persons has increased from 28 crores to 33 crores. While planning, we should keep in mind the increasing population and make provision accordingly. The percentage of literacy in our country *i.e.* 16% is much less than other countries. We should enhance its percentage.

I agree with Shri Chagla that politicians do not allow education to run independent of politics. Strikes, non-recruitment of able teachers, and lower quality of education are its results. Vice-Chancellors should be appointed from among eminent educationists or retired judges of Supreme or High Courts, who may remain aloof from politics.

Doctor Tailor has also hinted that universities have become arena of politics and only educationist politicians get benefits from various research scheme formulated. We should therefore keep our education away from politics.

The medium of Instruction should be charged from English into regional languages. For that, books in Hindi should be prepared and teachers trained to enable them to teach in Hindi. Dr. Shrimali had given an assurance about translation of text books and training of teachers. But it is not known, how far the scheme has progressed. Suitable steps should be taken in this respect.

What action has been taken in regard to adult education, military training, etc.

In the History of India taught in Bombay, there is no reference of Netaji, who fought for the freedom of the country.

Books should he nationalised under the supervision of a Committee, which should not be under official control. A committee consisting of parliamentarians should be formed for History of Freedom.

We should encourage scientific research and make increased provision for it. Research conducted in agriculture and industry should be co-ordinated and the results of scientific research should be published in regional languages, so that the public may benefit therefrom.

A register should be maintained for scientific personnel and scientists should be given due place, so that they may prefer to serve the country.

Much has been said yesterday about Council of Scientific and Industrial Research. There is great mismanagement ; favouritism and nepotism are on the increase. Director has made irregular appointments. These should be checked.

In Viswa Bharati the Vice Chancellor has been given powers of dismissal, etc. which has caused difficulties for staff and given scope for nepotism.

The Minister should look into the causes of the closure of a rural institution and try to restart it for the benefit of rural people.

श्री अ० त्रि० शर्मा : हम इस सुन्दर आय व्ययक का समर्थन करते हैं। हम निश्चय ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, हम उस से संतुष्ट नहीं । आदिम जाति क्षेत्रों या प्रदेशों में परिणाम अच्छे नहीं निकले। अत: मंत्रालय को इस की ओर विशेष ध्यान देना

[श्री अ० त्रि० शर्मा]

चाहिये। जहां आदिम जाति क्षेत्रों में स्कूल खोले भी गये हैं, उन का काम संतोषजनक नहीं। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्राथमिक शिक्षा के लिये पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक सफल होती हैं और वे छात्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा कर सकती हैं। अतः जिस प्रकार अन्य देशों में होता है, भारत में भी महिला अध्यापकों को लगाने का प्रयास किया जाए और वे इस व्यवसाय की ओर आ सकें, इस उद्देश्य से उन को प्रत्येक संभव सुविधा प्रदान की जाए। बालक बालिकाएं महिलाओं के प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं और महिलाएँ भी सहज स्नेह के कारण उन को आकर्षित कर लेती हैं। इसलिये उन का प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापिका के रूप में बड़ा लाभ हो सकता है। मंत्रालय इस बात की ओर ध्यान दे।

कुछ राज्यों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जारी कर दी गई है, परन्तु बहुत से राज्यों में जारी नहीं की गई। इस के कारण छात्रों को प्रवेश आदि में बड़ी कठिनाई होती है और शिक्षा का कोई समान स्तर निर्धारित नहीं हो पाता। इस विषय में सब राज्यों में समान व्यवस्था की जरूरत है। विश्वविद्यालय—पूर्व पाठ्यक्रम जहां कहीं विद्यमान है, उसे उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा के अन्दर मिला देना चाहिये ताकि स्नातक पाठ्यक्रम सभी जगह तीन वर्ष का हो सके।

इस समय छात्रों को तीन भाषाएँ सीखनी पड़ती हैं। इस से उस के मन पर भारी बोझ पड़ता है और वह विषयों की ओर अधिक तथा समुचित ध्यान नहीं दे पाता। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। लोगों को हिन्दी सीखने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। इस की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। अपितु लोगों को हिन्दी पढ़ने सीखने के लिए प्रेरणा दी जाए और अनुरोध किया जाए, परन्तु बाध्य न किया जाए।

चूंकि अध्यापक लोग ट्यूशनें पढ़ाने में ही व्यस्त रहते हैं और स्कूलों में छात्रों की शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी धारणा बन चुकी है कि ट्यूशन पढ़े बिना विद्यार्थी पास नहीं हो सकते। यह बड़ी चिन्ता की बात है। इस से शिक्षा का स्तर तो गिरता ही है, साथ ही निर्धन विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है। वे ट्यूशन पढ़ नहीं सकते, अतः उनकी शिक्षा खराब होती है। इस रोग को दूर करने के लिए अध्यापकों का वेतन बढ़ा देना चाहिये और उन को ट्यूशन पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये। ट्यूशन के संबंध में अध्यापकों पर कड़ाई का बर्ताव किया जाना चाहिये।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली संस्कृति से सर्वथा दूर है। इसी कारण आज के छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता पाई जाती है। अतः शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुरूप हो, इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिये। देशी भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की सर्वथा उपेक्षा की जाती है, जो देश के हित की दृष्टि में घातक है,।

अतः हमें प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और जो भी त्रुटियां हैं, उन का सुधार करना चाहिये। तभी शिक्षा का समुचित प्रचार हो सकेगा, क्योंकि प्रादेशिक भाषा में शिक्षा मिलने पर ही छात्र उसको आत्मसात कर सकेंगे। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह मेरे उपरोक्त सुझावों पर ध्यान दें और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ओर कार्रवाई करें।

Shri Dhuleshwar Meena(Udaipur) : It is a matter of great concern that in the field of education different patterns and systems have been followed in different states. There is no uniformity. This lack of uniformity in the systems of education is one of the causes of decline in the standard and quality of education. I would therefore urge the Hon. Minister to consider over this question and bring out a uniform pattern of the system of education which should be applied to all the states without exception.

The condition of educational institution requires through investigation. There is lack of equipment, lack of proper buildings and other material required. This results in wastage of education. I would therefore suggest that before we decide to introduce a subject in a school, we should make prior arrangements necessary for the teaching of the subject. Govt. should see that every educational institution has got a suitable building. Necessary help in the form of grants & loans should be provided for the purpose.

There is no dearth of capable and qualified teacher in the Country. But still it is seen that some time unqualified teachers are kept in schools. This tendency should be curbed and only qualified factors should be appointed, who may be in a position to deliver goods. Secondly Govt. should realise the necessity of appointing teacher in their own areas. This will facilitate them to understand the language of the area and this sort of regional understanding would help in making the students understand well. This system will also enable the teachers to pull or better in their meagre salaries.

Scholarships or stipends are given to students to enable them to carry on the education. But it is noted that often scholar ships are given at the end of the year to scheduled caste students, which puts them in great hardship. I would therefore suggest that scholarships should be given to scheduled caste students either in the beginning of the year or in three instalments spread over in a year. With a view to promote education among scheduled castes, scholarships should be provided for them for primary and secondary standards also. This will prove as a good incentive for them to undertake education at various stages.

Scheduled castes and scheduled tribes are very backward in the matter of education. Unless education is provided to them, their lot cannot improve. Hon. Member should pay attention to this issue and provide more facilities, incentive and money for the purpose.

It is seen that students knowledge of Hindi or regional lanugages is very poor . Unless their knowledge of regional and Hindi languages is improved, they cannot advance. So, Hindi and regional languages should be compulsory subjects in the high school examination so that students may acquire better understanding of national and regional lanugages. This is Important.

There is a dearth of facilities of technical education. Govt. should provide increased facilities for technical education. Govt. should also ensure employment for technically qualified persons, so that they may not have to remain without jobs after completing their training.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य): शिक्षा मानव जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती है , अत: इस का विस्तार करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य हुआ करता है । हमारी सरकार ने जो लक्ष्य शिक्षा विस्तार के निर्धारित किये हैं उन को यथा शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करे और जो भी राशि उसके लिये अपेक्षित हो, उस की व्यवस्था करे।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर उदासीनता का भाव रखा जाता है जो इस बात से स्पष्ट है कि जबकि चीन, रूस, अमरीका, इंगलैंड आदि देशों में भारत की अपेक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रति व्यक्ति अधिक बहुत अधिक खर्च किया जाता है । भारत में प्रति व्यक्ति १.७ रुपया का खर्च बहुत ही कम है । सरकार को अपने वैज्ञानिक अनुसधान पर अधिक बल देना चाहिये और इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जिस का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकरण. औद्योगिक क्षेत्रों में किये गये अनुसंधान का समन्वय करना है, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। परिषदों में केवल राजशाहा और नौकरशाही का राज है । वास्तविक कार्य की ओर ध्यान कम दिया जाता है। उस में सुधार की जरूरत है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान समस्त देश के लिये उपयोगी हैं और उनका लाभ जनता को होना चाहिये। परन्तु वैज्ञानिक अनुसंधान कई स्थानों पर होने के कारण उस का उचित समन्वय नहीं हो पाता । मंत्री जी को इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग आयोग संबंधी कागजात को देखने से पता चलता है कि वह बड़ी हानि में चल रहा है । समझ में नहीं आता कि हानि क्यों हो रही है ? ऐसा प्रतीत होता है कि निगम का विकास अच्छे ढंग से नहीं होता और इसी कारण निगम को हानि उठानी पड़ रही है ।

हमें वैज्ञानिक भावना देश की जनता में लाने के लिये वैज्ञानिक प्रचार भारतीय भाषाओं में करना चाहिये। जब तक हम देश की भाषाओं में वैज्ञानिक प्रचार नहीं करते, लोग उस को समझ न सकने के कारण उस से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे । अतः इस बात की ओर ध्यान दिया जाए और यथोचित कार्रवाई की जाए।

देखा जाता है कि किसी जगह माध्यमिक स्कूल हैं तो किसी जगह उच्चतर, माध्यमिक स्कूल हैं । यह विषमता क्यों ? क्या सभी जगह एक रूप प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती ? मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार कर के कोई यथोचित हल निकालने का प्रयत्न करें।

विश्वभारती विश्वविद्यालय, जो रवीन्द्र नाथ के कारण प्रसिद्ध है, उसके बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। एक तो वहां छात्रों में बड़ा असंतोष व्याप्त है, दूसरे वहां के अध्यापक भी संतुष्ट नहीं, तीसरे विश्वविद्यालय व्यय बहुत करता है, चौथे एक ग्रामीण शिक्षक संस्था को बन्द कर दिया गया है । इतनी बड़ी अव्यवस्था उस विश्वविद्यालय में होने के कारण समाज पर उस का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता । मा० मंत्री को चाहिये कि वह इस मामले की जांच करें और वहां की स्थिति को ठीक करने की ओर ध्यान दें ।

विश्वविद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में आधार स्तम्भ होते हैं, उन को पूर्ण स्वायतशासी होना चाहिये। उन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । केवल शिक्षा शास्त्रियों का ही उस में प्रभुत्व होना चाहिये । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि विश्वविद्यालयों की आज ऐसी स्थिति नहीं है । यदि विश्वविद्यालय कुछ विशिष्ट रूप से निर्धारित

शर्तें पूरी करते हैं, तो फोर्ड फाउंडेशन उन को सहायता देता है, अर्थात् विदेशी अभिकरण का विश्वविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप हो जाता है। और विश्वविद्यालय स्वतंत्रता तथा स्वायततापूर्वक काम नहीं कर सकते। यह गम्भीर स्थिति है। भारत सरकार इस ओर ध्यान दे और विश्वविद्यालयों को बाहर के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रयत्न करे।

हमारी शिक्षा जिस पर समस्त देश की प्रगति निर्भर है ; जब तक हमारी अपनी भाषा के माध्यम से नहीं दी जाती तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसके बारे में हमने कुछ ऐसे निर्णय किये हुए हैं जिनको समस्त राष्ट्र ने स्वीकार किया हुआ है। उनको कार्य रूप में लाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में जो निर्णय किया गया है उसे कार्यान्वित करने में अधिक शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है हमें दक्षिण भारत के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अथवा असम राज्यों से, जहां सामान्य जनता द्वारा हिन्दी नहीं बोली जाती, समझौता कर के ही कोई कदम उठाना चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हिन्दी लाने के पक्ष में नहीं हैं।

शिक्षा के स्तर के गिरने के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही गई हैं। हम एकदम शिक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। इसके लिये हमें सही तरीका अपनाना चाहिये। जब तक हम शिक्षा का माध्यम अपनी मातृ भाषा को नहीं बनाते हम अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर सकते। मद्रास में शिक्षा मंत्री के भाषण से ऐसा लगता है कि वे अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषायें लाने को अधिक महत्व नहीं देते। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर हमें निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और शिक्षा के माध्यम के बारे में राष्ट्रीय नीति को यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : नए शिक्षा मंत्री ने लगभग ५० समितियों को समाप्त करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। वे संसद् को अधिकाधिक विश्वास में लेना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि किसी बात के बारे में कोई निगम समिति की बजाय संसद् स्वयं करे।

शारीरिक शिक्षा संबंधी कुंजरू बोर्ड ने एक सिफारिश यह की थी कि एन० सी० सी० छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पास अंकों में जो रियायत दी जाती है वह समाप्त कर दी जाए मेरा निवेदन है कि इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाए।

समस्त देश में शिक्षा पद्धति में एकरूपता लाई जाए। संसद् को शिक्षा को समवर्ती विषय बना कर केन्द्रीय सरकार को शिक्षा नीति में समन्वय लाने का अधिकार देना चाहिए।

हमारी शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। उनको कृषि तथा उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय, माध्यमिक अथवा प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान पद्धति में एकरूपता का अभाव है। विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा के स्तर भिन्न भिन्न हैं तथा गिरते ही जा रहे हैं। यही कारण था कि

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

राज्यों में तथा अखिल भारतीय आधार पर लाक सेवा आयोग स्थापित करने की आवश्यकता हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यमान शिक्षा स्तर के अन्तर को दूर किया जाए। अब समय आ गया है कि देश के शिक्षाविदों को शिक्षा की एक समान पद्धति बना कर उसे कार्यान्वित करना चाहिए। उस पद्धति में शिक्षा संबधी महत्वपूर्ण सुधारों का समावेश किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता लाने में आसानी होगी। शिक्षा स्तरों में घोर असमानता, मुख्यतया माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण है।

हमें विभिन्न स्कूलों को दो प्रकार के स्कूलों में विभक्त कर देना चाहिए। एक सामान्य स्कूल तथा दूसरे रोजगार दिलाने में सहायक स्कूल। ये स्कूल विद्यार्थियों में नागरिकता, देशभक्ति, समाज सेवा, आत्म त्याग, आत्म-विश्वास तथा ईमानदारी की भावना पैदा करें। इन स्कूलों में उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे कि वे देश की रक्षा करने के योग्य बन सकें और मातृभूमि के उत्थान में अपना सर्वस्व लगा सकें।

हमें भारत से गरीबी दूर करनी है। इसके लिए हमें कृषि तथा तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आत्म-निर्भर ग्राम्य स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें सहकारी खेती तथा कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य बातों की शिक्षा दी जाए। तभी अध्यापक तथा विद्यार्थी कृषि में रुचि ले सकेंगे।

देश के युवकों को संतुलित शिक्षा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करके अगली तीन योजनाओं के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाए।

हमें सब से अधिक जोर देशवासियों की शिक्षा पर देना है। जब तक हम समाज निर्माण में शिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ नहीं उठाते हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

जहां तक भाषा का प्रश्न है मैं महसूस करती हूं कि अंग्रेजी जारी रहनी चाहिए। मेरा उद्देश्य त्रि-भाषी सूत्र में त्रुटि निकालना नहीं है मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इसे कार्यान्वित करने में सख्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे त्रि-भाषी सूत्र का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। मैं कहती हूं कि हिन्दी की उन्नति के लिए प्रयत्न किए जायें परन्तु छोटी कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए और इसका स्तर भी ऊंचा किया जाना चाहिए। अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास के लिए भी इसका होना अनिवार्य है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। देश की आन्तरिक एकता की दृष्टि से भी इसको प्रोत्साहन देना जरूरी है।

प्रत्येक स्कूल में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाए अपितु यह शिक्षा विश्वव्यापी तथा आधारभूत होनी चाहिए। तभी हम देश में राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : खेलों के लिए जो धन राशि दी गई है वह बहुत कम है। यह सच है कि स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर ने देश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया परन्तु वह प्रशिक्षण ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है। अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा इस संबंध में पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। इसमें नौकरशाही मनोवृत्ति आ गई है।

अखिल भारतीय खेल संगठनों में ध्यान चन्द तथा सी० के० नायडू सरीखे व्यक्ति इस में रखे जाने चाहियें। संसद् की ओर से महाराजकुमार विजयनगरम को उसमें स्थान दिया जा सकता है।

स्टेडियमों तथा खेल के मैदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कलकत्ता में एक फुटबाल स्टेडियम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस बारे में प्रतिरक्षा तथा शिक्षा मंत्रालयों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। दिल्ली में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा की कमी खिलाड़ियों को बाहर भेजने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। खिलाड़ियों को विदेशों में होने वाले खेलों में भाग लेने के लिए भेजा जाना चाहिए। इससे विदेशों में हमारे देश के प्रति सद्भावना भी बढ़ती है। इससे उन्हें केवल खेलों में ख्याति प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलेगा अपितु उससे देश का सम्मान भी बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि जिस तरह राजनीतिक पीड़ितों को राज्यों द्वारा पेंशनें दी जाती हैं उसी प्रकार ऐसे खिलाड़ि के लिए जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है एक कल्याण कोष प्रारम्भ किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

टोकियो में होने वाले ओलम्पिक खेलों के बारे में हमें पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें किस किस खेल में भाग लेना है, और किस में नहीं। केवल पहले खेलों में पदक जीतने के आधार पर खिलाड़ियों का विदेशों में होने वाले खेलों में भाग लेने के लिए चयन नहीं किया जाना चाहिए अपितु सभी होनहार खिलाड़ियों को उनमें भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उन सभी युवकों को, जो भावी आलम्पिक खेलों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे, हर सुविधा दी जानी चाहिए ताकि उनकी योग्यता का बेकार विनाश न हो।

एक पृथक खेल मंत्रालय होना चाहिए ताकि खेलों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस बार किसी खिलाड़ी को राज्य सभा के लिए नामनिर्देशित किया जाए।

श्री मजीठिया (तरनतारन): हमारे युवकों के शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। अतः हर स्कूल तथा कालेज में खेल के मैदान होने चाहियें। मुझे विश्वास है कि यदि खेल के मैदानों की व्यवस्था कर दी जाए तो हमारे छात्र स्वतः अपने स्कूल के खेलों में भाग लेने लगेंगे और अच्छी प्रगति करके दिखलायेंगे।

हमारी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और कक्षा में दिए गए कार्य के लिए भी विद्यार्थी को अंक दिये जाने चाहियें, ताकि वह आखिरी दो महीनों में नोटों को रट लेने की बजाय अपना काम नियमित रूप से कर सके। छात्रों को अध्ययन से भिन्न खेलों के लिए भी अंक दिए जाने चाहियें। इस प्रकार वही छात्र सब से अधिक अंक प्राप्त कर सकेगा जो पढ़ाई तथा खेलों दोनों में ही कुशल हो।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में उन उम्मीदवारों को अच्छा स्थान दिया जाना चाहिए जो खेलों में भाग लेते रहे हों क्यों कि वे उन व्यक्तियों की तुलना में इन पदों पर अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं जिन्होंने वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए बिना अपना सारा जीवन किताबें पढ़ने में बिता दिया है।

[श्री मजीठिय]

टैस्ट मैचों में टिकटों से धन एकत्रित करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वह धन किसी भी व्यक्ति विशेष की पाकेट में नहीं जाता है अपितु उस खेल विशेष को बढ़ावा देने के लिए ही उस धन का उपयोग किया जाता है।

जहां तक आलम्पिक खेलों का संबंध है हमारा एकमात्र उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें जीतना ही है। हमारा मुख्य ध्येय एक आदर्श खिलाड़ी के नाते खेलों में भाग लेना है। केवल सर्वोत्तम खिलाड़ियों को ही ऐसे खेलों में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए अपितु कुछ नवयुवक खिलाड़ियों को भी चुना जाना चाहिए ताकि वे कुछ समय बाद उनका स्थान लेने के योग्य बन सकें। इसके लिए नवयुवक खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को अनेक विश्व प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। तभी वे प्रतियोगिताओं में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय संस्था, पटियाला ने हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर सराहनीय कार्य किया है परन्तु स्टेडियमों तथा खेल के मैदानों के अभाव के कारण वे नवयुवकों को प्रशिक्षित करने में असमर्थ रहे हैं।

जहां तक अखिल भारतीय खेल परिषद् का संबंध है इसके सदस्यों का चुनाव करने का ढंग बदलना आवश्यक है। इसके कुछ सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिन्हें प्रशासन का ज्ञान हो और अन्य ऐसे हों जिन्हें वर्तमान खेलों की अच्छी तरह जानकारी हो। तभी इस परिषद् द्वारा किसी विषय के बारे में सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाये जाने की आशा की जा सकती है।

Shri Prakashvir Shastri (Bijnor): Mr. Deputy Speaker, Sir, the report of the education Ministry indicates that nothing is being done in the direction of substituting Hindi for official purposes from 1965 as laid down in the Constitution. The speech delivered at Madras shows the changed outlook of the new Education Minister towards the problem of official language.

One of the three points elaborated by the hon. Minister in his speech was that whereas studies of art can be conducted in Hindi successfully, it is not a suitable medium for teaching scientific subjects. I am much astounded by the argument put forth by him as in other countries like China, Germany and U.S.S.R. etc. the scientific studies are carried on not through the medium of English but through the media of their own respective languages. Even in our country, in the State of Gujarat they are using progressively Gujerati language as the medium for teaching scientific subjects. The other argument that the standard of English should not be allowed to deteriorate uptil the time Hindi becomes a fully developed language can well be likened to the argument some time adhered to by the Britishers that India would not be made independent uptil the time they deserve it. The sole responsibility of developing Hindi language lies on the Education Ministry alone which asks for the grant of crores of rupees every year.

Dr. K. L. Shrimali had previously announced that regional languages will be used in universities as medium of instructions. But the new Education Minister has expressed his opinion against it. The policy of Government should not be changed with changes in the Ministers in charge of portfolios.

Government proposes to propogate Hindi but the amount granted in respect of scholarships for non-Hindi speaking areas is for less than amount being

granted for English institutions. It is necessary that a university with Hindi as medium of instruction should be set up in southern part of India if you want to promote the use of Hindi. A conference of Hindi teachers from south India should be held annually so that difficulties coming in their way as well as their suggestions can be known.

Previously, on one occasion, the chief Minister of States had unanimously decided that Devanagari should be accepted as common script, Government should do their best to implement this decision. A dictionary of the words commonly used in all the Indian languages should be compiled.

The amount of 2 lacs and 20 thousand rupees allotted in the budget for the development of Sanskrit language is rather a meagre amount.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

Only 75 thousand of rupees out of the total amount of 9 lacs of rupees earmarked for the Third Five Year Plan have been spent by the end of last year. I do not know now Sanskrit would be developed in this way.

Nothing in my information goes to show that the new Education Minister has any background as an educationist; nevertheless I am well aware of the fact that he has been a justice of high repute and in that capacity I would appeal to him to consider over the discrimination being exercised as regards giving the grants to the two educational institutions declared as of national importance last year, *i.e.* Jamia Millia and Gurkul Kangri.

As regards selection of players I would like to submit that selection of good players should be made from rural sector also whose 87% of the population lives.

The work of the National Disciplinary Scheme is going rather with a slow pace. Measures should be adopted to expand and accelerate the work of the scheme.

It is regrettable that in Aligarh Muslim University favour and partiality are still being shown in making appointment and there are no clear cut rules in respect of admissions.

Persons of high merits should be selected for sending them to deliver lectures overseas. The author of the book "First Nizam" was recently sent to Australia for delivering discourse on Indian Culture and History. In the said book he has depicted a completely wrong picture of Marathas.

In the end I would like to know as to for how many days the Director General of C.S.I.R. who has such a big responsibility on his shoulders, remains in Delhi ?

श्री कन्डप्पन (तिरुवेंगोड) : श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी तक तामिल भाषा के अध्ययन के संबंध में उपेक्षा बरती गई है।

अनुसूची ८ में दर्ज १४ भाषाओं में से संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा कहा गया है। किन्तु आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि तामिल भाषा का साहित्य भी इतना प्राचीन और समृद्ध है कि यह भाषा भी संस्कृत के समान ही शास्त्रीय भाषा कही जा सकती है। मौलाना आजाद ने इस सत्य को स्वीकार किया था। किन्तु दुर्भाग्यवश इस भाषा के विकास के लिये कुछ भी

नहीं किया गया है। शास्त्रीय तामिल की व्याकरण "टोल्काप्पियम" ३००० वर्ष पुरानी मानी गई है। जब इसके संबंध में तथा अन्य ऐसी ही पुस्तकों के संबंध में पूरी खोज नहीं की जायेगी हमारा इतिहास अधूरा ही रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि संस्कृत की तरह तामिल भाषा के संबंध में भी एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जाये।

हमारे यहां के जैसे स्कूल अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते बच्चों को तीन अथवा इस से भी अधिक भाषाओं की वर्णमाला याद करने में अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विचारों को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त साधन मनुष्य की अपनी मातृभाषा ही है। सरकार ने भी कहा है कि विभिन्न भागों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं का ही प्रयोग किया जायेगा। फिर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को माध्यम बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का ध्येय यह नहीं है कि देश भर में हिन्दी के स्कूल खोले जायें? हिन्दी के प्रचार से हिन्दी जानने वालों का ही बोलबाला रहेगा और दूसरे लोग उनके अधीनस्थ बन कर रहेंगे। प्रशासनीय सुविधा के लिये भी हिन्दी की क्या आवश्यकता है जब कि अंग्रेजी में सुचारू रूप से कार्य चलाया जा सकता है।

हिन्दी के लिये एक ही युक्तिपूर्ण तर्क हो सकता है। कि भावनात्मक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है। किन्तु भारतीय होने के नाते हिन्दी आवश्यक रूप से मेरी मातृभाषा नहीं हो सकती। एकता स्थापित करने के नाम पर एकरूपता लाने का यह प्रयत्न बहु संख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किया जाने वाला एक राजनैतिक छल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग १०० प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं। वहां पर हजारों तामिल भाषी लोग हैं किन्तु तामिल भाषा का एक भी स्कूल नहीं है। इस बात की तत्क्षण जांच की जाय।

भाषा के संबंध में तामिल भाषी व्यक्ति काफी उत्तेजित हैं और मेरा निवेदन है कि संविधान के उस अनुच्छेद का संशोधन किया जाये जिसके द्वारा हिन्दी का स्तर उच्च घोषित किया गया है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान्, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में समूचे देश में प्रगति हुई है। अब इस स्थिति को दृढ़ करना है।

वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्व काफी अधिक है। देश में कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई है। किन्तु इस बार मंत्रालय के नाम में से "वैज्ञानिक अनुसंधान" निकाल दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस मंत्रालय का नाम बदल कर "शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय" रख दिया जाये, जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाये कि हम वास्तव में वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिये उत्सुक हैं।

गत वर्ष प्रयोगशालाओं की कार्यविधि के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। इस संबंध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। मैं नहीं जानता कि इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है या नहीं। माननीय मंत्री इस बात का उत्तर दें कि क्या अब इन प्रयोगशालाओं में कार्य संतोषजनक हो रहा है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक पदों पर नियुक्तियां करने के लिये उम्र पर इतना ध्यान नहीं दिया जाये जितना उस व्यक्ति की शिक्षा और योग्यता पर।

पाठ्यपुस्तकों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी कीमतें उचित से अधिक होती हैं, कागज की किस्म अच्छी नहीं होती और वे उचित स्थान पर उपलब्ध भी नहीं होतीं। इस क्षेत्र में एकाधिकार भी समाप्त किया जाये।

विद्यार्थियों में अनुशासन न होने के कई कारण हैं, जैसे एक अध्यापक के अधीन छात्रों की संख्या अधिक होना, अध्यापन का कार्य का स्तर निम्न होना आदि। इन्हें दूर किया जाये।

विद्यार्थियों में राजनैतिक प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिये यह उचित है कि अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाये। शिक्षा संबंधी नीति को सुचारू बनाया जाये।

खेल-कूद के संबंध में सरकार को चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में संघों और परिषदों की स्थापना करे। इन में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त न किया जाये। इससे हम इस क्षेत्र में अधिक उन्नति कर सकेंगे।

टोकियों में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भारत के भाग लेने संबंधी कार्य की देख रेख मंत्री महोदय स्वयं करें।

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : I support the demands for grants of the Ministry of Education.

There are many defects in our system of education. The standard of our graduates is much low. The future of the welfare state cannot be built on the basis of the new educated class.

The education should be the Union subject and the system of education should be reorientated. Ravinder Nath Thakur used to say that the medium of instruction should be the mother tongue of the children. No steps have so far been taken by the Government in this direction. The primary schools and the schools of the Municipal Committees are such in which no body would like to get their children taught. So People send their children to the convent schools where the medium of instruction is English.

The Education Minister has given an indication of a scheme and I wish that scheme should not remain a paper scheme only. Now it is time where we must give up the study of English. The language issue should not be treated on political basis.

Nothing has been done for the women education. The majority of the Indian population lives in villages where there are no schools for girls. The women education should not be neglected. Rather it should be made compulsory.

I am glad that a book on the wariors of freedom movement is being prepared. That book must be a comprehensive one so that the history of all those persons is given therein who have laid their lives for the country.

Everybody says that we should have national integration Education can play major role in this direction. More education is related with the culture and it should be orientated for the purpose of cultural upliftment.

Shri Kishan Patnaik (Sambalpur) : I request the Education Minister that he should take care that politics does not enter the sphere of education.

It has been intimated that there 350 lakhs of students in the primary schools, whereas the number of teachers is 7 lakhs. So the number of teachers

[Shri Kishan Patnaik]

should be increased and also the number of schools should be increased. The figures regarding the students are misleading.

No achievement has so far been made in the field of adult education. Still the percentage of literacy is 28. The Education Minister should take steps to remove illiteracy. A literacy force should be organised with the help of teachers and the students who should tour the villages during the vacations. Unless and until the primary education and adult education is advanced there is no use of indulging in big talks regarding university education.

The classification in the primary education should be abolished. There should be no distinction among the students of the age group of 6—11. For this purpose all the public schools should be closed.

The problem of medium is very important. English is a handicap in the advancement and promotion of education.

As regards the statement given by the Education Minister in Madras I have to submit that he should not try to create a gulf between the regional languages and Hindi. If he wishes to create a rift that should be created between English and Hindi. He should also propagate among the Muslims that Hindi and Urdu are not different languages.

Because of the English medium of instruction the pass percentage of the students is very low. But the Education Minister argues that though the pass percentage can be increased by doing away with the English medium. Yet English is more helpful for the cause of national integration. In this regard he should study the views of the great education like for Ravinder Nath, Shri Ishwar Chander and Mahatma Gandhi and should remove English at the earliest.

The study of science is not being properly advanced.

Lot of money is being spent on Vishwa Bharty, where the new Chancellor has undone the work atof Ravinder Thakur. He has dismissed the head-master who had been the colleague of Guru Dev. I request that a judicial enquiry should be held into the affairs of this institution.

शिक्षा मंत्री श्री मु० क० छागला : मैं उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होने भाषणों में मेरी ओर निर्देश किया है ।

शिक्षा का बहुत महत्व है। देश की ४६ करोड़ की जन संख्या ऐसी जन शक्ति है जिसकी शिक्षा हमारे देश के विकास में अन्य संसाधनों की तरह ही उपयोगी हो सकती है।

हमें देश का भाग्य निर्माण करना है और वह शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है।

किन्तु हमारे देश में शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जाता है। १९६३–६४ में केन्द्र और राज्यों में कुल मिला कर ११.४ प्रतिशत व्यय शिक्षा पर हुआ है जब कि जापान में इस पर २१.४ प्रतिशत खर्च किया जाता है। हमारा खर्च विश्व में सब देशों से–सिवाय इन्डोनेशिया और पाकिस्तान के कम है।

शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्रालयों का विलय बहुत श्रेयस्कर है क्योंकि विज्ञान शिक्षा का अभिन्न अंग है। रूस ने आज जो ख्याति प्राप्त की है उसका यही कारण है कि उसने प्रारम्भ में

ही विज्ञान को अनिवार्य विषय बना दिया था। अब भी चिकित्सा और कृषि शिक्षा के ऐसे विषय हैं जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। उन्हें शिक्षा मंत्रालय के अधीन आना जरूरी है।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है १९५०-५१ में प्राथमिक शिक्षा में २२३ लाख छात्र थे जो १९६५-६६ में ६३० लाख हो जाने की संभावना है। १९५०-५१ में माध्यमिक शिक्षा के छात्र १२·२ लाख थे और आशा है कि १९६५-६६ में यह संख्या ५२·६ लाख हो जायेगी। इसी तरह सभी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

यह प्रसार उचित है। दरिद्रता किसी द्वारा शिक्षा प्राप्ति में बाधक नहीं होनी चाहिये। इसके लिये योग्यता एवं उपाय छात्रवृत्ति की योजना बनाई गयी है। इसके अलावा मैं पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमों और शाम के कालेजों को बहुत महत्व देता हूं। अन्य देशों में भी इन उपायों से शिक्षा का प्रसार हुआ है। बल्कि इंग्लैंड में लेबर दल के नेता ने कहा था कि यदि उन्हें सत्ता मिली तो वे प्रसारण के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करेंगे।

अब भी भारत शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। ६-११ वर्ष के आयु वर्ग में ८० प्रतिशत और ११-१३ वर्ष के आयु वर्ग में केवल ३२ प्रतिशत बच्चे शिक्षा पा रहे हैं।

मैं मद्रास की सराहना करता हूं कि उन्होंने दसवीं तक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है।

हमारे यहां तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधायें विश्व में न्यूनतम हैं। हमें शिक्षा क्षेत्र में गिनती और किस्म दोनों में सुधार करना है। हमें ऐसी संस्थायें स्थापित करनी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों के बराबर हों

हमारी नीति यह है कि प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय। १९६४-६५ के बजट में ६७·१३ लाख की व्यवस्था छात्रवृत्तियों के लिये है और यह ३५,००० छात्रों को दी जायेगी। इस वर्ष १,११५० छात्रों को ५३·८० लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई।

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के अलावा ऋण छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। किन्तु ये बहुत कठिन है क्योंकि उन्हें रोजगार लगते ही ऋण लौटाना शुरू करना पड़ता है।

हमारे बहुत से छात्र विदेशों में अध्ययन के लिये जाते हैं और इसी प्रकार अफ्रीकी देशों से बहुत से छात्र हमारे देश में अध्ययन के लिये आते हैं

शिक्षा के सुधार के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से प्रस्ताव किया था कि यदि वे अध्यापकों का वेतन बढ़ाये तो केन्द्र ५० प्रतिशत खर्च देने के लिये तैयार है किन्तु उनका कोई उत्तर नहीं आया। पहले तो प्रशिक्षण की सुविधायें कम हैं और दूसरे प्रशिक्षण संस्थाओं का स्तर ऊंचा नहीं है। पांच वर्षों में १६०,००० छात्रों से बढ़कर ३६०,००० छात्रों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी। मैं अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये भी पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम आरम्भ कर रहा हूं। कह नहीं सकता यह कहां तक सफल होगा।

हर राज्य में एक राज्यीय शिक्षा संस्था स्थापित की गई है जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करेगी। इसी प्रकार हम माध्यमिक शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहते हैं जो एक संविहित संस्था होगी।

[श्री मु० क० छागला]

विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अत्यधिक है। उसे कम करने के लिये छात्रों को और मार्ग सुझाना होगा। इस व्यवसायिक शिक्षा के लिये केवल १२ प्रतिशत छात्र जाते हैं। इस समय केवल ७६ जूनियर तकनीकी स्कूल हैं। लड़कियों के पालिटेक्निक स्कूल १३ हैं इनकी संख्या बढ़ाई जायेगी।

शिक्षा को एक रूप रीति के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। अब सब राज्यों ने ११ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्थापित कर दिया है। मुदलियर आयोग की यही सिफारिश थी कि कालेज में जाने वाले छात्र परिपक्व अवस्था में हों। विदेशों में इसके लिये १८ वर्ष की आयु निर्धारित है किन्तु यहां कुछ एक विश्वविद्यालयों को छोड़ कर कहीं भी ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की गई।

ऐसे सैनिक कर्मचारियों और असैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये, जिनका तबादला होता रहता है केन्द्रीय स्कूल खोले गये हैं। इस समय २० स्कूल हैं जिनमें १२,००० छात्र हैं।

सरकार का यह विचार है कि कुछ स्कूलों को चुन कर उन्हें प्रथम श्रेणी के स्कूलों के रूप में विकसित किया जाय। परन्तु इसके बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इन स्कूलों में हमारे सर्वोत्तम विद्यार्थी जांय। यदि योग्य कोई गरीब होंगे तो सरकार उन्हें छात्रवृत्तियां भी देगी। हमें इस मामले में निश्चित रहना चाहिये कि ऐसे स्कूलों का उपयोग केवल धनी लोग ही नहीं कर पायेंगे।

अब मैं पाठ्यपुस्तकों के सुधार की बात की ओर आता हूं।

मेरा निवेदन है कि आज कल कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों के कारण पाठ्यपुस्तकों का सुधार करने की दिशा में काफी रुकावट रही है। आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय आधार पर तैयार की जायें। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय आधार पर अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्तियों की सहायता से माध्यमिक स्कूलों के लिये पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही हैं। ये तैयार की हुई पुस्तकें हम राज्य सरकारों को भेजेंगे और उन्हें यह अनुमति होगी कि वे उन में आवश्यक परिवर्तन करके अपना लें। विश्वविद्यालयों के लिये सस्ती पुस्तकें तैयार करने के लिये सरकार अमरीका, ब्रिटेन और रूस के साथ कार्य कर रही है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि हमें आस्ट्रेलिया से २००० टन और स्वेडन से ८०००टन कागज उपहार के रूप में प्राप्त हो गया है। वह सारा कागज राज्यों को पाठ्य पुस्तकें छापने के लिये भेज दिया गया है ताकि वे सस्ती कीमतों पर बेची जा सकें। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हम जर्मनी से ३ छापेखाने प्राप्त कर रहे हैं। ये छापेखाने पैलूर, भुवनेश्वर, और चंडीगढ़ में लगाये जायेंगे और उनका उपयोग पुस्तकों के प्रकाशन के लिये किया जायेगा।

सरकार को यह सुझाव पसन्द है और वह इसका स्वागत करती है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की तरह का एक माध्यमिक शिक्षा आयोग होना चाहिये। इस मामले पर अब इस दृष्टि से विचार किया जाना है कि हम संविधान के अन्तर्गत इस तरह का आयोग स्थापित कर सकते हैं या नहीं।

हिन्दी के कार्य को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी सहायता देना चाहती है। कई एक ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य हिन्दी को लोकप्रिय बनाना है और उसे अधिक से अधिक प्रवृद्ध करना है। सदन की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दी में पुस्तकें तैयार करने का हमारे पास एक बड़ा कार्यक्रम है। इस दिशा में जो प्रथम सूची बनाई गयी है उसमें ३०० पुस्तकें

हैं। राज्यों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अध्यापक नियुक्त करने के लिये अनुदान दिए जाते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी भाषी लोगों को अहिन्दी भाषी लोगों के प्रति उदारता का व्यवहार करें। हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दी भाषा को अधिक से अधिक सरल बनाया जाय। गांधी जी का यही विचार था कि हिन्दी हिन्दुस्तानी सामान्य लोगों की भाषा होनी चाहिये। क्या हम जिस हिन्दी का विकास कर रहे हैं वह सामान्य व्यक्ति की भाषा है ?

हमें किसी भी भाषा के शब्द को यह कह कर नहीं छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि उसका सम्बन्ध किसी भाषा विशेष से है। हमारे देश में तीन अकादमियां चल रही हैं। वे सब सांस्कृतिक कार्यों के प्रोत्साहन का काम कर रही हैं। मैंने एक समिति की स्थापना की है ताकि इन तीनों अकादमियों के कार्यों की जांच की जाये। हम कुछ कलाकारों को प्रोत्साहन देने का काम भी कर रहे हैं ताकि वे भूखे न मरें। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय का कार्य भी होता रहता है।

हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की बड़े व्यापक आधार पर प्रगति हुई है। १९६६ के अन्त में प्रथम उपाधि के लिए हम १२९ संस्थायें बना लेंगे जब कि १९४७ में इस प्रकार की संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष २५,००० छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसी तरह डिपलोमा संस्थाओं में ५०,००० छात्र प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। १९६६ में २००० स्नातकोत्तर छात्र तैयार होंगे १९४७ में इस सिलसिले में एक भी छात्र नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज करने के लिए एक योजना चला रही है जिस के अन्तर्गत उन्हीं छात्रों को चुना जाता है जिनमें कुछ विज्ञान में विशेष रूचि होती हैं। उन्हें छात्रवत्तियां भी दी जाती है। हमें विज्ञान की योग्यता रखने वाले छात्रों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और उसके अधीन काम करने वाली प्रयोगशालाओं के बारे में एक उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति की है। मैं आशा कर रहा हूं कि एक अथवा दो मास में उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। माननीय सदस्य उस में देखेंगे कि वह संगठन और प्रयोगशालायें कितना अच्छा कार्य कर रही हैं। इस दिशा में अनियमितता तथा महानिदेशक के घर सजाने की बातें भी निराधार है। नियुक्तियां एक समिति करती है अतः किसी का लिहाज नहीं होता।

अब मैं बड़े महत्वपूर्ण तथा विवादस्पद मामले पर आ रहा हूं। और यह मामला शिक्षा के माध्यम का है। जहां तक शिक्षा के माध्यम का संबंध है प्राकृतिक विकास से हमारे विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन जायेगी। यदि प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में हमारी मातृभाषा प्रयुक्त हो तो उस से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेंगी। यदि रूस की भांति हिन्दी यहां सारे देश की भाषा बन सके तो कोई समस्या नहीं रह जायेगी। हम प्रादेशिक भाषाओं का विश्वविद्यालयों में प्रयोग कर सकेंगे तथा हिन्दी विभिन्न राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में पत्र-व्यवहार का माध्यम बन सकेगी। परन्तु हिन्दी तभी सफल होगी यदि हम प्रेरणा से काम लें तथा उन क्षेत्रों या लोगों के प्रति विवशता से काम न लें जो उसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं।

हिन्दी अभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने के हेतु तैयार नहीं है। हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं। प्रादेशिक भाषाएं भी अभी इस स्थिति में नहीं हैं। अतएव विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में कार्य परिवर्तन मन्द गति तथा सावधानी से होगा। मैं खेल कूद को अत्यन्त महत्व देता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि इन की उपेक्षा की गई है। जहां तक खेल के मैदानों का सवाल है तीसरी योजना में यहस्कीम राज्यों को सौंपी गई है। दुर्भाग्य से इस तबादले से खेल-कूद के मैदानों की व्यवस्था के काम को हानि हुई है। हम अर्जुन पारितोषिक दे रहे हैं। हमारे यहां राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था भी है जो विभिन्न खेलों में खिलाड़ी तैयार करती है, उन खिलाड़ियों को राज्यों की क्रीड़ा परिषदों में लिया गया है। पर्वतारोहण का भी उल्लेख हुआ है। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार के सहयोग से एक हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग में बनाई है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

श्री त्यागी ने समाज कल्याण बोर्ड का उल्लेख किया है। मैं उन्ह बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि समाज कल्याण बोर्ड को एक स्वतंत्र निकाय बना दिया जाय। शीघ्र ही सदन में इसके बारे में विधान प्रस्तुत किया जायेगा। इस सुझाव पर भी हम विचार कर रहे हैं कि अध्यापक लोग सरकारी कर्मचारी हों तो उन्हें राजनीति से अलग रहना चाहिए। यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की नीति किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था को किसी विदेशी निकाय से धन प्राप्त करने के लिए उस समय तक वार्ता करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि इस मामले पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही न कर ले। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता में किसी संस्था द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। फोर्ड फाउन्डेशन ने जो भी सहायता अब तक विश्वविद्यालयों को दी है उस में कोई राजनीतिक बन्धन नहीं रहा। गुरूकुल कांगड़ी को चालू वर्ष से मान्यता दी गयी है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसकी यथासम्भव सहायता देगा।

जहां तक भविष्य के लिए आयोजन करने का प्रश्न है, हमने एक केन्द्रीय आयोजन दल बनाया है जिस में १५ सदस्य हैं। यह दल केवल चौथी योजना के लिए ही योजना नहीं बनायेगा अपितु १९८० तक समय के लिए सोचेगा और हमारी शिक्षा के संबंध में संभावी विचार अपनायेगा। यह बात कुछ सारगर्भित है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त है और उसके अंग्रेज़ों के समय के रूप में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। अब समूची शिक्षा प्रणाली की पूरी जांच करने की आवश्यकता है। इस जांच में भूतकाल में शिक्षा की प्रगति और सामने आई समस्याओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये। इस अध्ययन से शिक्षा की पर्याप्त और वास्तविक प्रणाली बनाने में, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट हो, सहायता मिलेगी। इसलिए शिक्षा सम्बन्धी उच्च विशेषज्ञों का आयोग या समिति बनाने का विचार है ताकि शिक्षा की समूची प्रणाली की पूरी जांच की जा सके। इन कार्यों में सहायता के लिए विदेशों से कुछ विख्यात शिक्षाशास्त्रियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

यह ठीक है कि शिक्षा की वास्तविक प्रगति के लिए यह जरूरी है कि इसे केवल राज्यों के विषय न बना कर समवर्त्ती सूची में लाया जाय। परन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी। व्यवहारिक रूप में सभी राज्य इस बात से सहमत हो गए हैं कि अब अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित कर दी जाय। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस से शिक्षा वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जायेगा। मेरे विचार में मैंने सभी विषयों पर प्रकाश डाल दिया है और लगभग आलोचकों की सभी बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। सदन का आभारी हूं कि उसने मेरी बात को सुना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।

The following demands in respect of Ministry of Education were put and adopted !

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	शिक्षा मंत्रालय	७६,०७,०००
६	शिक्षा	३३,५२,६०,०००
१०	पुरातत्व	१,१७,६१,०००
११	भारत का सर्वेक्षण	३,८१,४२,०००
१२	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२५,६६,०००
१३	प्राणिकीय सर्वेक्षण	२३,८०,०००
१४	शिक्षा मंत्रालय. का अन्य राजस्व व्यय	१०,८२,६१,०००
११४	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी-परिव्यय	५,१३,३३,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार १३ मार्च, १६६४/ फाल्गुन १३, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 13, 1964 Phalgun 23, 1885 (Saka.)

GMGIPND—LS—III—2714 (Ai) LS—6 6-64—600.